अंक : 90
(जुलाई-सितम्बर, 2000)

राजभाषा भारती

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

राजभाषा भारती

वर्ष : 22 अंक : 90
अगस्त : 2000
निःशुल्क वितरण के लिए

संपादकीय

"राजभाषा भारती" का जुलाई–सितम्बर अंक आपके हाथों मे है। जैसाकि आप जानते हैं अक्तूबर–दिसंबर, 1999 के राजभाषा हिंदी के स्वर्ण जयंती विशेषांक से हमने अपनी पत्रिका को न केवल आवरण व कलेवर की दृष्टि से बल्कि विषय–वस्तु की दृष्टि से भी एक नया रूप देने का प्रयास किया है। हमारे इस प्रयास के बारे में जो प्रतिक्रियाएं हमें अपने पाठकों से मिली हैं उनसे हमें काफी प्रसन्नता हुई है और हमारा उत्साह बढ़ा है।

जुलाई–सितम्बर, 2000 का यह अंक दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। पहले तो यह कि 15 अगस्त, 2000 को देश अपना 54वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। विगत वर्षों की भांति इन 53 वर्षों में हमारी किन-किन क्षेत्रों में क्या–क्या उपलब्धियां रहीं और कहां पर हम आशा के अनुरूप प्रगति नहीं कर सके–इन सबका जायजा लिया जाएगा जो सही भी है और समीचीन भी। तथापि एक बात तो स्पष्ट है कि आजादी के 53 वर्ष के पश्चात भी निरक्षरता, बेरोजगारी और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हम पूरी तरह से काबू नहीं पा सके हैं–इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए हम संघर्षरत् हैं और हम आशा करते हैं कि इनके निराकरण के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं–राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और साक्षरता अभियान आदि–उनसे अवश्य सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आएंगे। यहां यह कहना असंगत न होगा कि नीतियों को आम आदमी तक सही रूप में पहुंचाने के लिए और उनका सहयोग लेने के लिए राजभाषा हिंदी को एक सबल माध्यम बनाया जाना चाहिए।

दूसरा महत्व इस अंक का इस दृष्टि से है कि 14 सितंबर, 2000 को राजभाषा हिंदी का स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा हो जाएगा और हम राजभाषा हिंदी के प्रयोग/कार्यान्वयन का जायजा लेने की स्थिति में होंगे। परंतु उसके लिए आपको हमारे अगले अंक तक इंतज़ार करना होगा।

प्रस्तुत अंक में स्वतंत्रता संग्राम की हमारी यादों को ताज़ा करता हुआ "आजादी का परवाना–चन्द्रशेखर" नामक लेख स्वतंत्रता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बन पड़ा है। प्रमीला कुमार के "मनुष्य बनाने की मशीन" नामक लेख में उन कारणों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है जो लेखक के अनुसार हमारे समाज को विघटन की ओर ले जा रहे हैं। अपने उक्त लेख में लेखक ने

उन उपायों का भी खुलासा किया है जो समाज को विनाश और विघटन के गर्त में जाने से बचा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त "राष्ट्रीय एकता में तेलुगु साहित्य का विवरण" भी एक सूचनापरक लेख है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विषयों को लेकर लिखे गए लेख "ई-कामर्स–इलैक्ट्रानिक व्यापार" तथा "परखनली-शिशु–नए आयाम" भी ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक बन पड़े हैं।

प्रख्यात लेखक बशीर अहमद मयूख ने अपने लेख "मनुष्य की जय-यात्रा मुखर वेद-स्वर में" ज्ञान के भंडार का पिटारा वेदों से चुने हुए कुछ श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने खोल कर रख दिया है। इसी प्रकार मारिशस में हिंदी के जाने माने लेखक अभिमन्यु अनत की कहानी "ज्वार भाटा" काफी रोचक और प्रेरणादायक है। कुल मिलाकर "राजभाषा भारती" के इस अंक में पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए वह सब कुछ है जिसकी उन्हें अपेक्षा रहती है। हम आशा करते हैं पिछले अंकों की भांति यह अंक भी हमारे सुधी पाठकों को पसंद आएगा। इस पत्रिका को अधिक से अधिक रोचक, उपयोगी और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए वे हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेजने का सिलसिला बनाए रखेंगे–ऐसा हमारा विश्वास है।

धन्यवाद ! जयहिंद !

उप संपादक :
सुरेंद्र लाल मल्होत्रा
दूरभाष : 4698054

संपादक :
(प्रेम कृष्ण गोरावारा)
दूरभाष : 4617807

(पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।)

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन (दूसरा तल)
खान मार्किट
नई दिल्ली–110 003

विषय-सूची

क्र.सं.	लेख का नाम	लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	राष्ट्रीय एकता में तेलुगु साहित्य का विवरण	डा. एस. जे. दिवाकर	1
2.	ई.कामर्स-इलैक्ट्रानिक व्यापार—नया आयाम	करूणेश कुमार अरोरा/ सुनीता अरोरा	7
3.	मुनष्य बनाने की मशीन	प्रमीला कुमार	14
4.	एकीकृत जल समेट (जल संभरण) प्रबंधन योजना में जल समूह भागीदारी का महत्व	अलोक कुमार सिक्का/ सुभाष चंद एवं एम. मधु	20
5.	मनुष्य की जय-यात्रा में मुखर वेद स्वर	बशीर अहमद मयूख़	28
6.	आजादी का परवाना : चन्द्रशेखर आजाद	नोतन लाल	37
7.	पांडे बैचन शर्मा "उग्र" के सृजनशील क्रांतिधर्मिता के आयाम	डा. लक्ष्मी नारायण दुबे	40
8.	विचार ही कर्म, कर्तव्य ही धर्म	देसराज नाग	44
9.	बाल श्रम की समस्या : इक्कीसवीं सदी की चुनौतियां	अमरेश पंटेल	49
10.	जनगणना 2001 : प्रथम चरण-मकान सूचीकरण-नई चुनौतियां	सुरेश रैना	58
11.	पर्यावरण प्रदूषण एवं महिलाओं का स्वास्थ्य	डा. एस. के. वर्मा एवं आर. के. शर्मा	62
12.	मांगलिक प्रतीक-शंख	योगेश चंद्र शर्मा	67
13.	परखनली शिशु—नए आयाम	डा. वासुदेव प्रसाद यादव	72
14.	प्रकृति के साथ फिर से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने होंगे	गिरधारीलाल विजयवर्गीय	83
15.	ज्वारभाटा	अभिमन्यु अनत	92

पुस्तक समीक्षा

1.	ज्योतिर्गम्य	श्रीमती कान्ता शुक्ला/ डा. शशि तिवारी	101
2.	स्वस्तिक की छांव में	कृष्ण अग्रवाल "मंगल"/ डा. राजकुमारी शर्मा	103
3.	आर्थिक विषमताएं—एक दृष्टिकोण	अमर्त्य सेन/ डॉ. (कुमारी) संतोष अग्रवाल	106
4.	इक्कीसवीं सदी का भारत : नवनिर्माण की रूपरेखा	ए पी जे अब्दुल कलाम, वाई. सुन्दराजन/डा. परमानंद पांचाल	109

राष्ट्रीय एकता में तेलुगु साहित्य का योगदान

—डॉ. एस. जे. दिवाकर

राष्ट्रीय एकता का मूलाधार राष्ट्र और उसके धर्म, समाज और संस्कृति ही हैं और उसका मूल मंत्र है—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सच तो यह है कि एकता की यह अमरवेल देशभक्ति और देश प्रेम की जनधारा से सिंचित होकर ही पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित हो सकती है। यह राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रभक्ति न तो कोई अन्धी भक्ति है न कोई मूक प्रेम अपितु राष्ट्र के भूगोल, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के प्रति गहरी ममता है जिसके अन्तर में निज राष्ट्र का प्रेम, निज संस्कृति व सभ्यता का गौरव, निजभाषा का अनुराग न हो, वह साहित्यिक हो या राजनीतिज्ञ, शिल्पी हो या चित्रकार, संगीतज्ञ हो अथवा समाजसुधारक उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में राष्ट्रीयता का संचार कैसे हो सकता है ?

जब हम भारत की विभिन्न भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करते हैं और उनकी गतिविधियों का परिशीलन करते हैं तो हमें इस अन्तरभारती का सुन्दर व सौम्य रूप परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय एकता की इस सुन्दर व भव्यमूर्ति की ओर आकृष्ट होकर न जाने कितने कवियों ने अपनी काव्य वीणाओं के द्वारा उसकी विभिन्न रागिनियों को प्रतिध्वनित किया है, न जाने कितने चित्रकारों ने उसकी भाव-भंगिमाओं के सुन्दर चित्र चित्रित किए हैं और न जाने कितने संगीतज्ञों ने उसके रुधिर स्वरों को झंकृत किया है।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तेलुगु के साहित्यकारों ने प्रारंभ से ही इस भव्य और सुन्दर मूर्ति की आराधना की और यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। यही कारण है कि कल-कल करती कृष्णा और गोदावरी की तरंगों में आज भी एकता की धाराएं नृत्य करती दिखाई देती हैं। श्रीपर्वत और अमरावती के समीप स्थापित बौद्ध विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता के विभिन्न स्वर प्रतिध्वनित होते हैं। तुंगभद्रा में तट पर हंपी और पम्पा के क्षेत्र में एकता की वैभव गाथा का नयनाभिराम चित्र दृष्टिगोचर होता है। फलस्वरूप तेलुगु साहित्य में आश्चर्यजनक समन्वय की भावना परिलक्षित होती है।

देश के मध्यस्थ प्रदेश की भाषा होने के कारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सदा से तेलुगु का महत्व रहा है। प्रारंभ से ही उसने अपना एक हाथ दक्षिण की ओर और दूसरा हाथ उत्तर की ओर बढ़ाया था। यही कारण है कि उसमें जहां एक ओर द्रविड़ जन्य सरलता व प्रवणता है, वहीं दूसरी ओर संस्कृत व प्राकृत के साहचर्य से उद्भूत मिठास व गंभीरता है। 'हाल की सप्तशती' और गुणाढ्य की वृहत्कथा आन्ध्रों के द्वारा प्राकृत को भेंट की गई अनमोल सम्पत्ति है। जगन्नाथ का 'रसगंगाधर' संस्कृत के लिए आन्ध्रसाहित्यिकों की अनमोल देन है। 'गाथा सप्तशती' की पृष्ठभूमि में आन्ध्र के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं जनमानस की स्पष्ट झलक है। हजारों प्राकृत व संस्कृत शब्दों को अपनाने के कारण न

केवल तेलुगु का शब्दभण्डार विस्तृत हुआ अपितु उसमें संगीत की स्वर लहरियां उत्पन्न हुई।

तेलुगु साहित्य का आरंभ आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना द्वारा हुआ। वह न केवल एक महाकाव्य है अपितु उसमें भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म और नीति प्रतिष्ठित है। इसके पूर्व की भक्ति की धाराएं समस्त दक्षिणापथ में प्रवाहित हो रही थीं। सातवीं, आठवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया था। पड़ौसी तमिल साहित्य इस बात का साक्षी है। संबंदर, अप्परस्वामी, सुन्दरमूर्ति, माणिक वाचिकर आदि अनेक तमिल सन्तों ने भक्तिपूर्ण रचनाएं कीं। जब ये सन्त भक्ति विह्वल होकर वाद्यों के स्वर से स्वर मिलाकर मन्दिरों के प्राकारों में भगवान की सगुण लीलाओं के भजन मुक्तकण्ठ से गाते थे तो जनता, विशेषतः पामर जनता भाव विभोर होकर नाचती थी। इस प्रकार इस काल में भक्ति की हवा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रबल वेग से बह रही थी। पर ये सन्त पण्डित वर्ग के नहीं थे, उनका प्रभाव सामान्य जनता पर ही अधिक था। उच्च वर्ग और पण्डितों के मन में यह भय था कि कहीं भक्ति की परवशता में जनता भक्ति को ही खो न बैठे और धर्म को फिर एक बार कहीं धक्का न लग जाए। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता थी एक ऐसे महान ग्रंथ की जो युग की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भक्ति के बहते नीर में धर्म और नीति के गारे को मिश्रित कर उसे गाढ़ा बना दे ताकि धर्म की नींव उस देश में सुदृढ़ व चिरस्थायी रह सके। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तेलुगु के आदि कवि नन्नय ने महाभारत की रचना का श्रीगणेश किया। दक्षिणापथ में उस समय विद्वेष की भावना प्रज्जवलित थी, तेलुगु के कवियों ने उस आग को बुझाकर देश को गृहयुद्धों से बचाने की उदात्त भावना से प्रेरित होकर महाभारत की रचना की जिससे पण्डित और पामर यह समझ सकें कि गृह-युद्धों से देश की कितनी क्षति हो सकती है। यही नहीं, उस समय शैव और वैष्णवों के बीच जो वैमनस्य था, उसे दूर करके उस ग्रंथ ने यह उद्घोषित किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों एक ही ब्रह्म के अंश हैं और यह समाज सृष्टि उनकी ही लीला है। इस प्रकार तेलुगु के आदिकवियों ने शिव-केशव भेद को दूर कर एकता की भावना का प्रचार किया था। इन प्रारंभिक कवियों ने काल की परिस्थितियों और सामाजिक जीवन की गतिविधियों को ध्यान में रखकर तदनुसार जीवन-मूल्यों की स्थापना करके नए आदर्शों का प्रणयन किया था। तेलुगु के परवर्ती कवियों ने भी इसी पद्धति का अनुसरण करके सुन्दर समन्वय का मार्ग प्रस्तुत किया। भक्ति काल में रामभक्त कवि पोतना ने भागवत में कृष्ण की रोमांचकारी लीलाओं का विशद वर्णन कर एकता का अनोखा मार्ग प्रशस्त किया। मध्ययुग के प्रसिद्ध कवि अल्लसानि पेछना ने अपनी कल्पना के पंखों के सहारे हिमालय से निसृत झरनों की तरंगों के मृदंग स्वर का स्पर्श किया। आन्ध्र के सन्त कवि केमना ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों व कुप्रथाओं की निन्दा करते हुए सामाजिक एकता पर बल देते हुए कहा—

मालवानि नेल मरि-मरि निंदिंय
नोडलु रक्तमांस मोकटि गादे।

अर्थात् तुम अछूत की निन्दा बार-बार क्यों करते हो, सबके हाड़-मांस एक ही तो हैं।

जागरण काल में तेलुगु के नवयुग निर्माता श्री वीरेशलिंगम ने साहित्य की विभिन्न विधाओं के द्वारा समाजसुधार के लिए अनवरत प्रयास किया। जाति-पांत, बाल-विवाह, वेश्यागमन, रिश्वतखोरी आदि अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। नारी जाति की पिछड़ी हुई दशा के प्रति उनके हृदय में गहरी पीड़ा थी। आधुनिक काल के आरंभ में जब देशभर में स्वतंत्रता आंदोलन की लहरें उठीं, तेलुगु काव्य में भी देश-भक्ति का स्वर ही सबसे ऊंचा था। कवि गुरजाड़ा की देशभक्ति अनोखी और अनुपम थी—

देशमंटे मट्टि कादोय् देशमंटे मनुषुलोय

अर्थात् देश माने मिट्टी नहीं, देश माने मनुष्य है।

प्रादेशिक सीमाओं व जाति और धर्मगत दीवारों को तोड़कर राष्ट्रीय एकता की आवाज उन्होंने बुलन्द की—

अन्न दम्मुलवलेनु जातुलु
मत मुलन्नी मेलगवलेनोयु

अर्थात् भाई-भाई की तरह जाति व धर्म सब हिलमिल कर रहें। और इसी एकता पर बल देते हुए वे प्रश्न करते है—

मतुमु वेरैतेनु एमोय्
मनसुलोकटै मनुषुलुन्टे

अर्थात् धर्म अलग-अलग हों तो क्या यदि मनुष्य के मन एक हों।

राष्ट्रीय एकता की कल्पना उनकी बड़ी निराली थी—

देशमनियेडि दोहडव वृक्षं
प्रेमलनु पूलेत्तवलेनोय्
मसल चेमटनु वडिसि मूलं
धनं पंटलु पंडवलेनोय

तात्पर्य यह है कि देश के सुन्दर तरू पर प्रेम के फूल खिलें। नर-स्वेद से सिंचित जड़ों से धान की फसलें उगें।

राष्ट्रीय एकता के प्रचार व प्रसार के लिए तेलुगु के कवियों की दृष्टि एक ओर गगनचुम्बी पर्वतों और कोकिल कूजित कुंज वनों की ओर गई तो दूसरी ओर देश की रीढ़ दरिद्र जनता की ओर भी गई।

राष्ट्रीय एकता का एक और प्रमुख स्वरं संस्कृति-प्रेम और इतिहास का गुणगान है। बड़ी गहरी अनुभूमि के साथ देश की संस्कृति के प्रति अपनी ममता को व्यक्त करते हुए आचार्य रायप्रोलु सुब्बाराव जी लिखते हैं—

वेदशारवलु वेल से निच्चट
आदि का व्यंबलरे निच्चट

(यहां वेद की शाखाएं विकसित हुईं और यहीं आदिकाव्य का सृजन हुआ।)

जननी जन्मभूमि का गुणगान वे कितने सुन्दर शब्दों में करते हैं, देखते ही बनता है—

ए देशमेगिना एदुं कालिडिना
ए पीठमेक्किना एन्दरेदुरैना
पोगडरा की तल्लि भूमि भारतिनि
निलपरा नी जाति निंडु गौरवभु

जिस किसी भी देश में जाओ, जहां कही पग धरो, जिस किसी मंच पर चढ़ो जिस किसी से मिलो, करो प्रशंसा जननी जन्मभूमि भारत की, रखो याद निज जाति के पूर्ण गौरव की।

भारतीय आकाश में बापू के उदय को एक चमत्कार ही समझना चाहिए। वे राष्ट्र के कर्णधार, राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ बन गए। तेलुगु के कवियों और लेखकों की दृष्टि अनायास ही उनकी ओर गई।

तारे गांधीयुग मेगु देंचे जगदगुरूडेगे दिविकि लोकमान्युडु
स्वराज्य रथंबु लागुटकु रंडो भारतीय प्रजलू

आया है गांधीयुग, भारतीय स्वराज्य रथ को उनके नेतृत्व में खीचने आओ, मानो यह कहते हुए जगदगुरू तिलक दिवंगत हुए।

उस काल के कवियों ने एक ओर भारतीय दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया तो दूसरी ओर अंग्रेजों के विरुद्ध भी अपनी आवाज बुलन्द की।

सामाजिक एकता राष्ट्रीय एकता का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना राष्ट्रीय एकता खोखली रह जाती है। तेलुगु के लेखकों और कवियों ने उस परम्परा को जीवित रखा है।

मानव निर्मित जाति-पांत व धर्मगत दीवारों को तोड़ने की सलाह देते हुए जाषुवा ने गाया है–

कुलमतालु गीचुकोन्न गीतलजोच्चि
पंजरान गट्टुवडलेनु नेनु

जाति-पांत व धर्म के सीखचों से निर्मित पिंजरे में मैं बन्द नहीं रह सकूंगा।

यह तेलुगु के एक हरिजन कवि का आक्रंदन है जिसकी रचनाओं ने आन्ध्रजाति के पौरुष को भर दिया है।

डॉ. नारायण रेड्डी जाति-पांत की खिल्ली उड़ाते हैं–

अन्नि जातुलकोके सूर्युडु अभिनेलल कोके चन्द्रुडु
एन्दुकी धरणीतलम्मुनं इसकुवाडलु इनुपगोडलु

सब जातियों के लिए एक ही सूर्य है, सब देशों के लिए एक ही चन्द्र है फिर क्यों इस धरती पर तंग गलियां और लौह दीवारें ?

एक सुदृढ़ समुन्नत राष्ट्र में ही राष्ट्रीय एकता पनप सकती है। हमारा राष्ट्र कृषि और उद्योगों के विकास के द्वारा ही उन्नत हो सकता है। इस ओर संकेत करते हुए तेलुगु के कवियों ने अनेक प्रेरणादायी गीत गाए हैं।

कवि गुरजाड़ा का उद्‌बोध देखिए–

पाडि पंटलु पोंगि पोर्ले दारिलो
नीवु पाटु पडवोय्

कृषि के पथ पर तुम बढ़े चलो, घी, दूध की नदियां बहें और स्वदेशी वस्तुएं बाजारों में मिलें।

कवि सेहिपल्लि का अभीष्ट है कि किसान ही राजा बने–

2249 HA/2000—2A

आगुना जीवालु सागुना लोकालु
रेत्रु राजै राज्यमेलकपोते

(क्या रूकेंगे प्राण ? क्या बढ़ेंगे लोक ? यदि किसान राजा बनकर राज्य न करें तो ?)

राष्ट्र की सम्पत्ति व्यर्थ न जाए, इस विचार को प्रकट करते हुए प्रगतिशील कवि श्री. श्री पुकार उठते हैं :

शिशुकुकु दक्कनि स्तन्यं लागं
प्रवहिस्तोंदि गोदावरी

बहती है गोदावरी व्यर्थ ही शिशु को न प्राप्त होने वाले स्तन्य की तरह।

वस्तुतः राष्ट्रीय एकता केवल भौगोलिक और भौतिक मूल्यों पर आधारित हो तो वह किसी भी समय विचलित हो सकती है। लेखक किसी भी देश का क्यों न हो, उसकी दृष्टि सार्वदेशिक होनी चाहिए, किसी भी जाति का क्यों न हो, उसके अन्तर में सब धर्मों व जातियों के लिए प्रेम होना चाहिए, किसी भी तबके का क्यों न हो, नौकर हो या मालिक, पत्रकार हो या नाटककार, किसान हो या मजदूर, अपने सिद्धान्तों पर अटल रहकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का उसमें साहस होना चाहिए। तभी वह अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का संचार कर सकेगा।

प्रेम, सद्भावना और सिद्धान्तों के आदर्शों पर स्थित राष्ट्रीय एकता वरदान बन सकती है। युग-युग से सिंचित इस मिट्टी को सर्वजनीन एकता का साधन समझकर उसे अपने हृदय में तभी वह संजोए रख सकेगी। प्रारंभ से अब तक तेलुगु लेखकों, कवियों, कहानीकारों ने उसी विपुल भावना के प्रचार में अपना अमूल्य योगदान दिया। भाव, भाषा व शैली की दिशा में साहित्य के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण से जो भी आया, उसे तेलुगु ने अपनाया, यही नहीं उसे आत्मसात कर समन्वित रूप देने का प्रयत्न किया। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा और यमुना के प्रवाह को कृष्णा और गोदावरी के द्वारा ही कावेरी तक ले जाया जा सकता है। इन सभी कारणों के आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि तेलुगु साहित्य भारतीय संस्कृति का एक छोटा-सा प्रतिबिम्ब है और इसके विभिन्न कालों के विभिन्न स्वरों में भारत की एकता का ही स्वर सर्वाधिक ऊंचा था।

सरस्वती सदन, इंदिरा कालोनी (जे. एन. मार्शल) माला रोड़, कोटा जं. (राजस्थान)-324002

2249 HA/2000—2B

ई. कॉमर्स—इलेक्ट्रानिक व्यापार का नया आयाम

—करुणेश कुमार अरोरा तथा सुनीता अरोरा

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट :

तीव्र गति से हो रहे सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नवीन समाज का विकास हो रहा है जिसे सूचना-समाज कहा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्टरनेट का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विश्व में चल रही एक शान्त क्रान्ति है जिससे मनुष्य के सोचने, कार्य करने, व्यापार करने, अन्य लोगों से व्यवहार करने, पत्र व्यवहार की शैली और मनोरंजन की शैली, सभी में परिवर्तन हो रहा है। आशा है भविष्य में जीवन का कोई क्षेत्र इन्टरनेट से अछूता नहीं रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार क्या है—

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार अथवा ई-कॉमर्स एक सामान्य शब्द है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके इन्टरनेट के द्वारा व्यापार करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका मूल उद्देश्य एक अप्रत्यक्ष बाजार की व्यवस्था थी, न कि बाजार में स्थान प्राप्त करने के लिए मारामारी की और न ही बड़े व भव्य प्रदर्शन कक्ष के निर्माण हेतु बड़े बजट की। खरीदारी करने का सम्पूर्ण बाजार आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होता है।

किन्तु यदि हम इसकी क्षमताओं का गहन विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसका तात्पर्य व्यापार के सम्पूर्ण स्व. संचालन से है जिसमें विक्रेता तथा उपभोक्ता के पारम्परिक सम्पर्क, वस्तुओं की खरीदारी का क्रयादेश देना, उनका भुगतान, वस्तुओं का वितरण, उपभोक्ता प्राप्त करके अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना भी सम्मिलित हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए इन्टरनेट का प्रयोग किया जाता है।

किसी निगम अथवा संस्था में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करने के लिए जिस नेटवर्क का प्रयोग होता है उसे इन्टरनेट कहते हैं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में इन सीमाओं को लांघकर उपभोक्ता, वितरक तथा व्यापार के सहयोगियों से सम्पर्क बनाया जाता है जिससे लागत में कमी आ सके, उपभोक्ता को बेहतर सुविधा व सेवा दी जा सके तथा समय की बचत हो सके।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की विधि व्यापार के स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। अतः इसका उपयोग सुई बनाने से लेकर उच्च तकनीक पर आधारित व्यवसाय तक के लिए किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से होने वाले लाभों का आकलन करने के लिए हम उसे विक्रेता तथा उपभोक्ता दोनों को होने वाले लाभों की दृष्टि से देखेंगे।

उपभोक्ता के लाभ–

- किसी भी स्थान से कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट की सहायता से सामान की खरीदारी।
- इच्छित वस्तु प्राप्त करने हेतु सूची का उपलब्ध होना।
- बाजार में घन्टों तक खरीदारी करने तथा पार्किंग के लिए स्थान ढूंढने के झंझट से मुक्ति।
- बाजार जाने-आने में होने वाले खर्च में कटौती।
- किसी भी प्रकार की सेवा मांगने पर तत्काल प्रतिक्रिया, आदि।

विक्रेता के लाभ–

- नए बाजारों व नए उपभोक्ताओं की प्राप्ति।
- एक ही नेटवर्क से उपभोक्ता, निर्माता तथा वितरक का जुड़ा होना।
- उपभोक्ता से सीधे सम्पर्क होने से उपभोक्ता की पसन्द व आवश्यकताओं को समझने का बेहतर अवसर।
- आर्डर की गई वस्तुओं की स्पष्ट जानकारी होने से संसाधन तथा वितरण में गति व सरलता।
- बाजार में स्थान व भव्य प्रदर्शन कक्ष की आवश्यकता न होने के कारण वस्तुओं के विक्रय मूल्य में कटौती।
- बेचने के लिए समय तथा स्थान की पाबन्दी न होना, आदि।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में देखा जाए तो किसी व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में परिवर्तित करने के लिए किसी अतिरिक्त वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल इसकी क्षमता व सम्भावनाओं को समझने व इच्छा-शक्ति की। यदि कोई विक्रेता बिना किसी इन्टरनेट के बुनियादी ढ़ांचे के अपने व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में बदलना चाहता है तो उसे वेब-साईट निर्माता से सम्पर्क करना होगा जो विक्रेता के सभी सामान की सम्पूर्ण जानकारी, उनकी विशेषताएं, कीमत, तस्वीर तथा उपभोग करने की विधि वेब-साईट पर उपलब्ध करा सके। इस वेब-साईट की सहायता से उपभोक्ता अपनी इच्छित वस्तु का चुनाव कर सकता है। वेब-साइट बनने के बाद इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आई. एस. पी.) वेब साइट को अपने सर्वर पर स्थान देता है और इसे इन्टरनेट से जोड़कर सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराता है। इस वेब-साइट का एक एड्रेस होता है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट में उपलब्ध सूचनाओं को ग्रहण कर सकता है तथा अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं के लिए आर्डर कर सकता है। इसके लिए वह अपने बारे में कुछ सूचना वहां उपलब्ध

फार्म में भरता है जैसे कि अपना नाम, पता, इच्छित वस्तु का कोई तथा अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी आदि। वितरक को यह सूचना आई. एस. पी. द्वारा मिलती है तथा वह इच्छित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। वितरक का चुनाव उपभोक्ता के बताए गए वितरण स्थान के अनुसार होता है जो उसके समीप हो। इसी बीच क्रेडिट-कार्ड की सूचना के अनुसार उपभोक्ता के क्रेडिट-कार्ड खाते से वांछित वस्तुओं के मूल्य का भुगतान विक्रेता को किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के प्रकार–

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा–'बी 2 बी', 'बी 2 सी' तथा 'सी 2 बी'। 'बी 2 बी' अर्थात् व्यापार से व्यापार में व्यापारियों या सहयोगी कम्पनियों में परस्पर सम्पर्क बनाया जाता है। 'बी 2 सी' में व्यापारी/कम्पनी तथा उपभोक्ता का आपसी सम्पर्क होता है तथा 'सी 2 बी' में कम्पनी उपभोक्ता की प्रतिपुष्टि तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करती है।

इन्टरनेट या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सम्भावनाएं–

'अब से अगले 5 वर्षों में सभी कम्पनियां इन्टरनेट कम्पनियों में तबदील हो जाएंगी अन्यथा वे कम्पनियां ही नहीं रहेंगी।'

इन्टरनेट व्यापार की सफलता का जीवन्त उदाहरण 'वर्ल्ड कप फुटबाल' टूर्नामेन्ट है, जिससे उसके एक-एक क्षण की जानकारी तथा खाली सीटों की सूचना इन्टरनेट के द्वारा सामान्य व्यक्ति तक उपलब्ध रही और परिणाम हुआ रिकार्ड-तोड़ व्यापार। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री, टोनी ब्लेअर ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश कम्पनियों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया तथा कहा–'यदि हमें विश्व की कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े रहना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में सम्मिलित होना पड़ेगा।'

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के मार्ग में कठिनाइयां–

हर अच्छे कार्य के साथ-साथ कठिनाइयों का जुड़ा होना भी स्वाभाविक है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार इसका अपवाद नहीं है। इससे जुड़ी समस्याएं निम्नलिखित हैं–

- प्रामाणिकता की जांच।
- वैधता तथा अधिनियम।
- न्याय पालिका के सीमा-क्षेत्र की समस्या तथा भुगतान से जुड़ी समस्या।

सूचना की प्रामाणिकता से सम्बन्धित पहला मुद्दा ऐसे किसी तरीके का न होना है

जिससे कि विक्रेता तथा उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी की आवश्यकता तथा प्रामाणिकता की जांच की जा सके।

वैधता तथा अधिनियम समस्या न्याय-विधि से जुड़ी है जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रमादेश, इनवॉयस तथा बिल की वैधता आदि शामिल हैं क्योंकि अधिकांश देशों की न्याय-व्यवस्था इन्हें मान्यता नहीं देती।

तीसरी समस्या है न्याय पालिका के सीमा-क्षेत्र की जो कि स्वयं में ही गम्भीर है। यदि कोई अप्रत्यक्ष (इलेक्ट्रॉनिक) कम्पनी इंग्लैंड में है और इसके वेब-साइट निर्माता व देख-रेख करने वाली कम्पनी भारतवर्ष में, इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर अमेरिका में तथा उपभोक्ता कहीं जापान में। ऐसी स्थिति में यह समस्या सामने आती है कि यदि कोई व्यावसायिक आदान-प्रदान सही प्रकार से नहीं होता है तो यह मामला किस न्याय-पालिका के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आएगा।

वस्तुओं के मूल्य का भुगतान भी एक पेचीदा मसला है जो कि मुख्यतया क्रेडिट कार्ड सिस्टम पर आधारित है। वस्तुओं का आर्डर करते समय उपभोक्ता को अपना क्रेडिट कार्ड नम्बर देना पड़ता है, हालांकि यह नम्बर दिखाई नहीं देता है तथा डाटा-बेस में भी परिवर्तित रूप में (एनक्रिप्टेड) संग्रहित किया जाता है। लेकिन फिर भी इसे पूर्णतया सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस नम्बर पर ही सुरक्षा का दारोमदार है, इसका पता चलने पर इसका दुरूपयोग किया जा सकता है।

इसके साथ ही समस्या है मूल्य तथा आर्डर की गई मात्रा की सूचना की प्रामाणिकता की, यदि मूल्य अथवा आर्डर की मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो इससे उपभोक्ता अथवा विक्रेता को. हानि हो सकती है।

इसके साथ-साथ इसके लिए भी कोई नियम निर्धारित नहीं है कि सामान पहले वितरित किया जाए या उसका भुगतान पहले हो। किसी भी तरफ असन्तुलन होने से विक्रेता या उपभोक्ता को हानि हो सकती है तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के प्रति विश्वास में कमी आएगी।

इन समस्याओं तथा कमियों के चलते उपभोक्ता तथा विक्रेता में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के प्रति आशंका की भावना बनी हुई है। लेकिन प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास, साइबर कानून को लागू करने तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से होने वाले लाभ से इसके विकास की सम्भावनाएं प्रबल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के कुछ सफल वेब-साइट–

डेल, अमेज़न तथा ई-बेय सबसे अधिक सफल वेब-साइट हैं। इसका कारण है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की अपूर्ण क्षमता का पूर्वानुमान लगा लिया तथा उन्होंने बिचौलियों के हिस्से को समाप्त कर उपभोक्ता से सीधे सम्पर्क बनाया जिससे उपभोक्ता को बेहतर सुविधाएं मिलीं, पूर्ण व स्पष्ट जानकारी मिली, कम कीमत पर सामान व सेवाएं मिली जिससे उपभोक्ताओं ने भी इनसे खरीदारी करने में कोई हिचक नहीं दिखाई।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार–भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में–

भारतवर्ष यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की दौड़ में पीछे है किन्तु यहां इसके विकास की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आई. एस. पी.) के असमंजन से इन्टरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के विकास को नया बल मिला है। यहां के परिप्रेक्ष्य में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर लघु व मध्यम वर्गीय उद्योग बहुत हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के माध्यम से उन्हें बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए, कम व्यय करके अपना तथा अपने उत्पादों का प्रचार व प्रसार करने का सुअवसर मिल सकता है। इससे बाजार पर बड़ी कम्पनियों का एकाधिकार समाप्त होगा तथा उपभोक्ता को बेहतर वस्तु तथा सेवा प्राप्त करने के लिए चयन करने में अधिक स्वतन्त्रता मिलेगी। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के विकास की सम्भावनाओं के साथ-साथ कुछ बाधाएं भी हैं जैसे कि–शिक्षा के प्रसार का निम्न स्तर, कम्प्यूटरों का कम प्रसार व प्रचलन, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार न होना, वैधता तथा राजनीतिक अड़चनें तथा तकनीकी समस्याएं।

शिक्षा तथा कम्प्यूटर के प्रचार व प्रसार के लिए सरकार के साथ-साथ ज़न-साधारण का यह कर्त्तव्य बनता है कि इसमें अपना सहयोग दें। शिक्षा के साथ-साथ जन-साधारण को सूचना प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभ व सुविधाओं से अवगत कराना भी आवश्यक है जिससे वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। यद्यपि इस दिशा में प्रयास हुए हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए युद्ध-स्तर पर अभियान की आवश्यकता है जिससे इसका प्रसार केवल महानगरों तक ही सीमित न रहे अपितु दूर-दराज़ के ग्रामीण लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें।

दूसरी समस्या जो कि वैधानिक तथा राजनीतिक है, में आवश्यकता है एक ऐसी विनियन्त्रक व्यवस्था की जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक् आदान-प्रदान (जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रचेज़ आर्डर, इनवॉयस, बिल तथा डिजिटल हस्ताक्षर) को मान्यता मिल सके।

तकनीकी समस्याएं भी हैं जैसे बैण्डविड्थ की सीमाबद्धता। आज जब कि विश्व में विस्तृत बैण्डविड्थ पर कार्य हो रहा है हम संकीर्ण बैण्डविड्थ पर ही कार्य कर रहे हैं। विश्व की दिग्गज कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सत्कार को एक ऐसे बुनियादी

ढ़ांचे का निर्माण करना होगा जिससे भारतीय कम्पनियां भी विश्व की कम्पनियों की गति के साथ कार्य कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की दिशा में कार्य करने में अगुवाई करने वाली कम्पनियों व उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन समस्याओं के रहते हुए भी आशा की किरण दिखाई देती है जैसे कि अभी हाल ही में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय का गठन किया तथा जिसके **फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी बिल संसद में प्रस्तुत किया जो संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।** इस बिल से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़ी कई वैधानिक समस्याओं का समाधान हो सकेगा तथा बढ़ते कम्प्यूटर अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। विश्व के कुछ एक देशों में ही इस प्रकार की विधि व्यवस्था है। इससे इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को मान्यता मिलेगी, कम्प्यूटर के आंकड़ों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में स्वीकृति मिलेगी। अभी भी वैधानिक व्यवस्था में केवल कागजी अभिलेख तथा दस्तावेज, हस्ताक्षरित अभिलेख, मूल अभिलेख तथा दस्तावेज, हस्ताक्षरित अभिलेख, मूल अभिलेख, नकद और चैक ही मान्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस बिल से सरकारी कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को स्वीकार कर सकते हैं।

इस बिल में कम्प्यूटर अपराध को भी परिभाषित किया गया है जैसे कि अनाधिकृत नेटवर्क को एक्सेस करना, कम्प्यूटर वॉयरस का बढ़ जाना, किसी के आंकड़ों को अनाधिकृत रूप से क्षति पहुंचाना या चोरी करना, कम्प्यूटर की सेवाओं में बाधा डालना आदि कम्प्यूटर अपराध हैं तथा इनके लिए दण्ड का प्रावधान भी होगा। इसके अनुवर्ती गतिविधियों में वर्तमान अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी जैसे कि भारतीय प्रमाण अधिनियम 1872, भारतीय दण्ड संहिता 1860, बैंकर बुक-प्रमाण अधिनियम के अनुच्छेद 2 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 194 में संशोधन करना होगा।

इस बिल के लागू होने से व्यापार में गति आएगी तथा बाधाएं कम होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का भविष्य--

पिछले कुछ वर्षों में किए गए अनेक सर्वेक्षण यह दर्शातें हैं कि विश्वव्यापी वेब से सम्बन्धित व्यापार सन् 1994 में लगभग 10 करोड़ डालर का हुआ।

माइक्रोसॉफ्ट के बिल-गेट्स के अनुमान के अनुसार अकेले अमेरिका में सन् 2000 तक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में 50 गुना वृद्धि हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका इस क्षेत्र में अगुवाई करने के कारण प्रभावी रहेगा लेकिन इससे अनेक नए बाजारों का उद्भव होगा तथा अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों में सन् 2001 तक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में 30 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। यूरोप तथा एशिया में विकास बहुत तीव्र गति से होगा।

अतः कम्पनियों को अगली सहस्त्राब्दि में बने रहने के लिए इस नए माध्यम को अपनाना ही होगा। किन्तु इसे अपनाने के लिए पारम्परिक शैली में चले आ रहे अपने व्यापार का पुनरावलोकन अपेक्षित है।

ज़ेराक्स कम्पनी के जॉन सीली के कथनानुसार "पुरानी अर्थव्यवस्था में प्रबन्ध-संचालकों के समक्ष चुनौती थी उत्पाद के निर्माण की, नई अर्थव्यवस्था में चुनौती है एक नई सोच व समझ की।"

इलेक्ट्रानिक रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट सेंटर आफ इंडिया, सेक्टर 26, नोएडा।

"सजा और दोष एक नदी के दो किनारे हैं. निर्दोष इनसान कभी सजा नहीं पाता. निर्दोष व्यक्ति का सब से बड़ा दोष यह है कि वह अनुचित सजा को स्वीकार कर लेता है. जिस गंदे माहौल में वह फंस जाता है, उस को तोड़ नहीं पाता, यही उस की कमजोरी है, यही उस का दोष है. सजा पाने वाला सजा देने वाले के खिलाफ विद्रोह करने, संवैधानिक और सभ्य तरीकों से उस की गलती सुधरवाने के बजाए एक कोने में बैठ कर रोने लगता है. मैदान छोड़ कर भाग जाता है, आत्महत्या कर लेता है, यही दोष है."

– रमेश गुप्त : टूटती सीमाएं

मनुष्य बनाने की मशीन

—प्रमीला कुमार

राजनैतिक तंत्र, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संस्थान, परिवहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, उद्योगों की स्थापना या कृषि इन सभी मानवीय कार्यकलापों का आधार मनुष्य ही है। यह सच है कि संसार के सभी भागों में इन कार्यों के लिए प्राकृतिक साधन असमान हैं तथापि यह भी समान रूप से सच है कि मनुष्य ने ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं जिन प्रदेशों अथवा जिस भी ऐतिहासिक काल में मानवीय समूहों में अपने आप को संगठित किया है, अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का विकास एवं सदुपयोग किया है, वे शक्तिशाली, वैभवशाली एवं ऐश्वर्ययुक्त रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में, उपरोक्त तथ्यों का यदि परीक्षण करें तो हम जानते हैं कि कितने ही देश विकास की विभिन्न सीढ़ियों पर खड़े हैं एवं विकसित एवं विकासशील वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं या मानवीय क्षमता एवं कार्यकुशलता नहीं है। यह दो तथ्यों से प्रमाणित होता है। हम जानते हैं कि पिछली शताब्दियों में विकासशील देश आज के जाने-माने विकसित देशों के दास या उपनिवेश रहे और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा। दूसरे, इन्हीं विकासशील देशों के प्रवासियों ने अनेक अन्य देशों में बस कर अपनी कुशलता के द्वारा उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और समृद्धशाली बने। यह तथ्य दक्षिणपूर्वी एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के प्रवासियों के लिए समान रूप से सच है। तो यह प्रश्न उठता है कि यदि इन विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन भी हैं और मनुष्य सक्षम भी है तो ये तेजी से विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? यदि द्वितीय विश्वयुद्ध में वे देश बिल्कुल तहस-नहस हो गए थे, विगत दशकों में विकास के मापक पर पुनः ऊपर पहुंच गए हैं। तो विकासशील देश क्यों इस काल में उतना विकास नहीं कर सके हैं ? अधिकांशतः इसके अनेक आर्थिक, राजनैतिक एवं जनसंख्यकीय कारण बताए गए हैं जो सही हो सकते हैं पर इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण और है जिस पर हमारी दृष्टि नहीं ठहर रही है।

उपर्युक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अब हम भारत की समस्याओं को तोल सकते हैं। वैज्ञानिक बार-बार यह बताते हैं कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं हैं, भारत का इतिहास भी ऐश्वर्य एवं समृद्धि की गाथा गाता है। यह सच है कि पिछली शताब्दियों में जब पाश्चात्य देशों में कृषि क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति हुई तब भारत की कृषि में ये प्रगति नहीं हुई तथा उद्योग धीरे-धीरे मृतप्रायः होते गए। बढ़ती हुई आबादी विकास की प्रगति को धुंधला कर देती है लेकिन केवल इन्हीं कारणों को हम विकास की धीमी प्रगति का जिम्मेदार नहीं बता सकते। स्वतंत्रता के बाद इन पचास वर्षों में राजनैतिक गठन, आर्थिक ढांचा, परिवहन, प्रशासनिक तंत्र, औद्योगिक आधार, कृषि की प्रगति आदि जो कि किसी भी देश के आधार स्तंभ होते हैं, सुदृढ़, कुशल और प्रभावी नहीं हो सके। ब्रिटिश काल की परंपराएं, संगठन, मान्यताएं एवं संस्कृति तो टूटीं किन्तु स्वातंत्र्योत्तर भारत की यह नींव सुदृढ़ हो, यह नहीं

हो सका है।

भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले सेनानियों से भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक कर्मठ, सच्चे एवं समर्पित नेताओं की आवश्यकता थी जो इस प्रमुख लक्ष्य में बंधे एक विचारशील राजनैतिक संगठन के सेनानी भी होते। आज भी ऐसे नेताओं की जरूरत है जो न केवल देश के विकास के लिए सैद्धांतिक योजनाएं बना सकें बल्कि उन्हें वास्तव में क्रियान्वित कराने के लिए दृढ़ संकल्प हों। हमें ऐसी सुगठित नौकरशाही की जरूरत थी जो अफसर से ग्रामसेवक तक कठोर नियंत्रण एवं अनुशासन के साथ देश की प्रगति के लक्ष्यों को पूरा करा सकते। विकास की योजनाओं के लिए हमें अर्थशास्त्रियों से लेकर ग्राम प्रतिनिधियों एवं सच्चे, कुशल कार्यकर्ताओं की टीम चाहिए थी जो विकास योजनाओं को थोड़े से थोड़े धन में अच्छे से अच्छे ढंग से क्रियान्वित करा सकते। देश में सभी वर्गों के कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, अफसर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर एवं शिक्षक हैं लेकिन यदि नहीं हैं तो स्वतंत्र भारत की वह तस्वीर जिसकी कल्पना में देश ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी।

बार-बार यह प्रश्न सामने आता है कि भारत की संचार एवं परिवहन सेवाएं, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पुलिस सेवा, कृषि उत्पादनों का वितरण और यहां तक कि बाल विकास योजनाओं का तंत्र बहुत ढीला एवं अकुशल क्यों है ! आए दिन ये तंत्र रुक जाते हैं। भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, घूसखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी दैनिक जीवन का अंग बन गए हैं। जनसाधारण का यह मानना है कि इनके बिना आज़ की दुनिया में गुजारा नहीं है। यदि आराम से रहना है, आसानी से अपने काम निकालने हैं और आर्थिक जीवन का स्तर ऊंचा करना है तो यह सब तो करना ही है—यह मान्यता सुदृढ़ होती गई है। अन्यथा सारी जिन्दगी रोटी, कपड़े और मकान की समस्याओं से जूझते बीत जाएगी। अच्छा पहनना और खाना है, आरामदेह आवास चाहिए, आधुनिक जीवन के उपकरण चाहिए तो सीधे-सच्चे बनकर नहीं रहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भ्रमित होकर मनुष्य यहां-वहां भाग रहा है। यह तथ्य उभरकर आता है कि मनुष्य बनाने की मशीन में कुछ कमी है जो उपरोक्त सभी तंत्रों का आधार है। राजनैतिक अथवा आर्थिक प्रणाली एवं संबंधित कार्यकलाप और प्रशासनिक तंत्र के क्रियान्वयन का चालक मनुष्य है। और यदि तंत्र ठीक नहीं चल रहे हैं तो निष्कर्ष यही है कि उनको चलाने वाला ही ठीक नहीं बना है।

बचपन में कहीं पढ़ा था, when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost but when character is lost everything is lost. जैसा सुना और जाना है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुछ ऐसा ही पाठ पढ़ाया जाता था। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह आज मान्य नहीं है। तटस्थ होकर चारों ओर के माहौल को देखें। गांव के स्कूल का मास्टर स्कूल नहीं पहुंचता। वेतन से उसकी पूर्ति नहीं होती, गांव के विद्यार्थी और उनके परिवार तक उसे और कुछ नहीं तो कृषि उत्पादन पहुंचाते हैं और उसी प्राप्ति के अनुरूप परीक्षाफल निकलते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टीचर कहता है, विद्यार्थी पढ़ने नहीं बल्कि डिग्रियां लेने आते हैं, हम उन्हें डिग्रियां देकर आगे बढ़ा देते हैं। ज्ञान पाने की लालसा और

अदम्य आकांक्षा कहां है ? हमें पढ़ाने का कष्ट करने, रिसर्च कर ज्ञान सागर को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो न्यूनतम आवश्यक है उसे लेकर घर बैठते हैं या शिक्षा का व्यापार घर बैठकर करने लगते हैं। नम्बरों का बंटवारा एप्रोच तथा दबाव के तहत करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। लगता है उचित/अनुचित की चेतना इस पढ़े-लिखे वर्ग में भी मृतप्राय हो गई है। आए दिन यह सुनने में आता है कि डॉक्टर मरीजों को उनके पद और संपन्नता के अनुरूप देखते हैं या हॉस्पिटल में केवल औपचारिकता के नाते देखते हैं और फिर घर बुलाकर अतिरिक्त फीस लेकर ध्यान देते हैं। व्यापारी बिना अतिरिक्त मुनाफे के अपने गोदान नहीं खोलते, चोरबाजारी और कालाबाजारी उनके व्यापार का अंग बनता जा रहा है। दफ्तरों में कर्मचारी केवल समय बिताने आते हैं, काम का निपटारा करना है ऐसी कोई कोशिश दिखाई नहीं देती और जहां मौका लगता है ऊपरी आमदनी से नहीं चूकते। पुलिस विभाग, सरकारी गोदामों, पी. डब्ल्यू. डी. निगमों और संस्थाओं आदि जो देश की आवश्यकताओं के आधार हैं, उनमें क्या हो रहा है उससे हम अपरिचित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को कहने का केवल इतना ही अर्थ है कि ऐसी प्रवृतियां समाज और देश के भीतर तक घर कर गई हैं जिन्हें सुसभ्य या सुसंस्कृत समाज या देश का लक्षण नहीं कहा जा सकता। यदि आज की नई पीढ़ी से इन बातों को कहो तो वे हंसकर यही कहेंगे कि यह तो हो ही रहा है, यह कोई विशेष बात नहीं है। चारों ओर जैसा हो रहा है वही हम भी कर रहे हैं। और थोड़ा आगे बात करो तो कहेंगे कि हमें भी अच्छा कपड़ा, मकान, जीवन की सुविधाएं, वैभव, शानोशौकत चाहिए। मेहनत की कमाई में तो यह सब नहीं मिलता है और मिलता भी है तो ऐसी उम्र में जब उस सब सुख-सुविधा को भोगने की शक्ति नहीं रहती। नई पीढ़ी में उपरोक्त सुख-सुविधाओं की इतनी लालसा है कि वे यह भी देखना नहीं चाहती कि उनके अभिभावक इतना सब देने में सक्षम भी हैं या नहीं। छोटी उम्र में बिना मेहनत के सभी समृद्धि और ऐश्वर्य पाते हुए जब वे चारों ओर लोगों को देखते हैं तो वे ही रास्ते अपनाते हैं जिन्हें साधारणतः अनुचित कहा जाता है। यह विचार उभरकर बार-बार सामने आता है कि जैसे समाज और देश को चलाने के तंत्र में कहीं घुन लग गया है जो स्वस्थ और सुदृढ़ नहीं बनने दे रहा। इस आपा-धापी में कौन किस पर अंकुश लगाए यह भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मशीन ही बिगड़ी हो तो स्तरीय उत्पादन कैसे हो ? विडम्बना यह है कि मनुष्य को बनाने वाली मशीन भी मनुष्य ही है। प्रौढ़ पीढ़ी नई पीढ़ी को बनाती है। लेकिन प्रौढ़ के अग्रजों का चुनाव ही यदि दोषपूर्ण हो गया हो तो नई पीढ़ी से हम क्या अपेक्षा करें। बर्बरता, हिंसा, असुरक्षा, पैसे की चमक-दमक, अनुशासनहीनता एवं निष्क्रियता जैसे प्रवृतियां यदि प्रौढ़ पीढ़ी के अग्रजों का साधारण स्वभाव बन गई हैं तो नई पीढ़ी तब तक इनके विनाशकारी परिणामों से छुटकारा नहीं पा सकती जब तक कि वह स्वयं यह विश्वास न करने लगे कि इन्हें हमें त्यागना ही है क्योंकि हमें, हमारे देश और समाज को ये विघटन एवं विनाश की ओर ले जा रही हैं।

शिक्षा—जो सुसभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति बनाती है, उसके आधारभूत स्रोत हैं—परिवार, स्कूल और समाज। संयुक्त परिवार की परंपराएं पिछले दशकों में टूटी अवश्य हैं किन्तु एकल परिवार अपने देश में आज भी महत्वपूर्ण हैं। पाश्चात्य देशों की तुलना में

अपने देश में परिवारों के टूटने की दर बहुत कम है। एकल परिवारों में अभिभावक बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, शिक्षा एवं करियर बनाने के प्रति पहले से अधिक सजग हैं क्योंकि आज वे यह अच्छी तरह समझ गए हैं कि बच्चों को रोजी-रोटी के लिए अधिक मेहनत करनी है, प्रतियोगिता भी अधिक है और नौकरी की संभावना बहुत सीमित है तथा जीवन-यापन का मूल्य बहुत बढ़ गया है। किन्तु समस्याएं दो क्षेत्रों में हैं। एक उन परिवारों के बच्चों की हैं जो परंपरागत लालन-पालन से कटकर शिक्षित होकर पारिवारिक धंधों को छोड़कर अन्य किसी धंधे में जाना चाहते हैं। वे स्कूल पहुंचकर शिक्षित अवश्य हो जाते हैं किन्तु घर से मिलने वाली संस्कृति एवं आचरण, चरित्र निर्माण और स्तरीय जीवन मूल्य एवं मानवीय गुणों के सहज विकास से वंचित रहते हैं। धर्म के नाम पर जो कर्मकांड घर में देखते हैं या तो उसका अंधविश्वास के तहत पालन करते रहते हैं अथवा धर्म से बिलकुल ही कट जाते हैं। ऐसे शिक्षित बच्चे संतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो पाते, मानवीय स्तर पर सामान्यतः खोखले रह जाते हैं और भ्रमित होकर उपरोक्त अवगुणों को अपनाने लगते हैं।

दूसरे, ऐसे परिवारों में बच्चों का स्तरीय मानवीय विकास नहीं हो पाता जिनके अभिभावकों को बच्चों के लिए फुर्सत ही नहीं है। बड़े अफसर, समृद्ध व्यापारी एवं उद्योगपति आदि अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि वे बच्चों को सुख-समृद्धि के अधिकाधिक साधन तो जुटा देते हैं किन्तु बच्चों के आचरण, चरित्र निर्माण धर्म और जीवन मूल्यों के विकास के लिए उनके पास समय नहीं होता। ऐसे बच्चे स्वयं तो पथभ्रष्ट होते ही हैं, साथ ही अन्य बच्चों को भी अनजाने गुमराह करते हैं। पहले की तुलना में आज के स्कूलों को ज्ञान देने के साथ ही परिवार तथा समाज का भी बहुत सा काम करना पड़ता है जो पहले सहज ही बच्चों को प्राप्त हो जाता था। विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का संतुलित एवं स्तरीय विकास होना चाहिए जिससे सभी बच्चों में जीवन मूल्यों के आवश्यक संस्कार विकसित हो सकें ताकि वे अन्य बच्चों के साथ दिशा भ्रमित न हो जाएं।

यहां एक तथ्य और विचारणीय है। हमने धर्म निरपेक्ष देश बनाया है किन्तु धर्म के प्रारंभिक विकास तथा मानवीय गुणों को दैनिक जीवन से निकालकर फैंके ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया है। वह केवल यही अर्थ रखता है कि धर्म के आधार पर शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का बंटवारा नहीं होगा। हिन्दू, ईसाई या इस्लाम धर्म के हम अनुयायी हों लेकिन दैनिक जीवन में भी हमें धर्म को उतारना होगा। सच्चाई, निर्भीकता, कर्त्तव्यपरायणता एवं कर्मठता, त्याग और सद्भावना जैसे कितने ही चारित्रिक एवं आचरण तथा व्यवहार संबंधी मानवीय गुण हैं जो सभी धर्मों के अंग हैं और हमें नई पीढ़ी को इस धार्मिक पक्ष को परिवार अथवा स्कूल के माध्यम से सिखाना होगा। पिछले दशकों के अनुभव से हमें अब यह स्वीकार करना ही होगा कि इन सद्गुणों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है और इनकी थोड़ी सी कमी ने अपने देश में कितना विनाश किया है।

विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आज स्कूलों और कॉलेजों का दायित्व

पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है अर्थात् आज स्कूलों में अब ऐसे बड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं जिन्हें घर से संस्कृति एवं चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के नाम पर कुछ भी विरासत में नहीं मिलता। दूसरी ओर, उस समृद्ध वर्ग के भी बच्चे आते हैं जिन्हें शिक्षित होकर भी रोजी-रोटी की चिन्ता नहीं है और स्कूल या कॉलेज आना समय गुजारने का एक साधन मात्र है। ऐसे बच्चों को भ्रम से बाहर निकालना कि जीवन में केवल रुपया ही सब कुछ नहीं है, संस्कृति तथा चरित्र निर्माण एवं परिष्कृत जीवन मूल्यों की पहचान भी शिक्षित होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण हैं, आज की स्थिति में परम आवश्यक है।

आज के जीवन में समाज की भूमिका केवल बाह्य सामाजिक जीवन तक ही सीमित हो गई है। व्यक्ति पर अंकुश केवल इस रूप में है कि 'लोग क्या कहेंगे !' यानी जिसे हम समाज का मत कहते हैं। किन्तु व्यक्ति के निर्माण में समाज का इतना बंधन भी नहीं है कि व्यक्ति की सामाजिक दृष्टि से अनुचित गतिविधियां पर भी वह रोक लगा सके। यह काम अब प्रशासन तथा कानून का है। अतः व्यक्ति को सुसंस्कृत एवं मानवीय दृष्टि से परिष्कृत बनाने में उसका योगदान शून्य है। यदि मानवीय गुणों से युक्त समाज का निर्माण करना है तो हमें सामाजिक स्तर पर उपरोक्त गुणों से युक्त लोगों को संगठित कर समाज के लिए एक ठोस योगदान का बीड़ा उठाना होगा।

जो लोग पाश्चात्य देशों में रह आए हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वहां के मनुष्य का विकास बेहतर स्तर का है। यही कारण है कि वहां के देशों के सभी तंत्र बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसका मूल कारण यही चारित्रिक गुण है। वहां स्टेशन के कुली से लेकर महत्वपूर्ण पदों के अफसरों तक सभी ईमानदारी, प्रेरक मनोयोग और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ कार्यरत दिखाई देते हैं। सड़क पर गिरी चीज कोई उठाता नहीं। दुकानों में सामान लोग स्वयं उठाकर मूल्य चुकाते हैं। बिना टिकट यात्रा करता कोई दिखाई नहीं देता। हड़ताल, तालाबंदी और कालाबाजारी उन देशों में साधारण बात नहीं है। अतः स्तरीय मनुष्य को बनाने के लिए हमें अपनी मशीन का सुधार भी करना होगा। यह काम कई स्तरों पर तथा कई पक्षों पर आवश्यक हैं।

1. **स्कूल और कॉलेजों में** केवल गिनती बढ़ाने का ध्येय ही काम का नहीं है। हमें प्रशिक्षित बच्चों की गिनती बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। केवल अक्षर ज्ञान देना ही स्कूलों का काम नहीं है बल्कि बच्चों में **मानवीय और चारित्रिक गुणों का विकास कहीं अधिक आवश्यक है,** यह चेतना पैदा करनी होगी। तभी अगली पीढ़ी अधिक ईमानदार, कर्मठ, विवेकी तथा देश तथा समाज, परिवार तथा कार्यक्षेत्र के प्रति समर्पित होगी वरना भविष्य में किसी भी तंत्र को चला पाना कठिनतर होता जाएगा।

2. **हमें ऐसे नेतृत्व का विकास करना होगा जो भविष्य में इन मानवीय गुणों से युक्त व्यक्तियों को प्रश्रय दे सके तथा दुर्जनों का बहिष्कार कर सके।** ऐसे

व्यक्ति को दबाना आवश्यक होगा जो पद तथा रुपए या दुनिया की सुख-सुविधा की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसा नेतृत्व देश के संपूर्ण तंत्र में विकसित करना होगा। यह राजनीति, संचार माध्यमों, औद्योगिक इकाइयों, शिक्षा, परिवहन, आर्थिक नियोजन एवं व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। क्योंकि उपरोक्त गुण बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कार के रूप में विकसित करने होंगे, अतः स्कूलों का दायित्व विशेषरूप से अधिक हो जाता है। पूर्व पृष्ठों में स्वतंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा के लिए नए वर्गों को बताया गया है, उस संदर्भ में भी स्कूलों पर बच्चों के अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त परिवार तथा समाज का भी काम करना है अतः स्कूल टीचरों को इस पक्ष के प्रति संजग करना और भी आवश्यक है ? नीति निर्णय शासन को भी करना होगा कि बच्चों की गिनती बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को उच्च स्तरीय व्यक्ति के रूप में विकसित करना भी स्कूलों या शिक्षकों का दायित्व है।

3. **देश का कोई भी संगठन हो, सरकारी या निजी, उसमें 'इनाम और दंड' (Reward and Punishment) की नीति अपनानी होगी। अर्थात्** जो लोग ईमानदार, मेहनती, वफ़ादार तथा अपने काम के प्रति समर्पित हैं उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन देना होगा जिससे पद और शक्ति ऐसे ही लोगों के हाथ में हो। जो लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्यरत, अकर्मण्य तथा बेईमान हैं उन्हें चुन-चुनकर दंडित करना होगा जिससे जन-साधारण में यह चेतना विकसित हो सके कि केवल उपरोक्त मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, अन्य नहीं।

अमेरिका में इसे प्रचलित शब्दों में 'नियुक्ति एवं संवा समाप्ति' (Hire & Fire) का सिद्धांत कहते हैं। जो व्यक्ति किसी विशेष काम के लिए लगाया जाता है यदि वह आशा के अनुरूप कार्य निष्पादन नहीं करता तो उसे हटाकर दूसरे को रखा जाता है। यह नीति जब तक पूरे तौर पर नहीं अपनाई जाती तब तक देश के किसी भी पुर्ज़े को चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज, ऑफिस हो या औद्योगिक इकाई, रेलवे अथवा व्यापार किसी को भी कुशलता से नहीं चलाया जा सकता और नही एक सुदृढ़ समाज तथा देश का निर्माण करना संभव होगा। सीधा सा नियम है—उच्च स्तरीय मनुष्य के हाथ में काम सौंपो, तभी उपरोक्त किसी भी इकाई को कार्यकुशलता के साथ चलाया जा सकेगा और थोड़े समय में अधिक और बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

40, पंजाब बैंक कॉलोनी, ईदगाह हिल, भोपाल-462 001

एकीकृत जल समेट (जल संभरण) प्रबंधन योजना में जन समूह भागीदारी का महत्व

—आलोक कु. सिक्का, सुभाष चन्द्र एवं एम. मधु

भूमि एवं जल ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर जीवन निर्भर करता है। कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या आधिक्य से दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा भू-क्षरण एक और गंभीर समस्या है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान तथा अन्य, भू-क्षरण में काफी हद तक भूमिका निभाती हैं। अतः हम सभी का यह परम कर्त्तव्य है कि हम भू-क्षरण को रोकें। इसी प्रकार जल भी एक सीमित संसाधन है। वैसे तो संसार का 3/4 भाग पानी से परिपूर्ण है परन्तु इस अत्यधिक पानी स्रोत का अधिकांश भाग न तो सिंचाई योग्य है और न ही पीने योग्य। इसका कुछ भाग जो कि भूमि सतह पर उपलब्ध है, ही पीने तथा सिंचाई योग्य है। कृषि उत्पादन पानी की उपलब्धता पर काफी निर्भर करता है। हमारे देश में वर्षा का वितरण भी बहुत निराला है। कहीं पर अधिक वर्षा बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, कहीं पर एक भी बूंद वर्षा नहीं पड़ती। भारत में लगभग 60 मिलियन हैक्टर भूमि बेकार तथा सूखा ग्रस्त है। इसलिए पानी का सही वितरण, उपभोग तथा उपयोग अति आवश्यक है।

आज के समय में जल संभरण प्रबंधन प्रणाली सूखा पीड़ित तथा बेकार एवं बंजर भूमि के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। यह प्रणाली निश्चित ही लाभप्रद बनकर सामने आ रही है। इस प्रणाली द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, जंगलों का संरक्षण तथा वातावरण सुरक्षित किया जाना सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन समूह की भागीदारी महत्वपूर्ण एवं अत्यंत आवश्यक है।

जल समेट प्रणाली में बेकार, बंजर भूमि तथा सूखापीड़ित भूमि की आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, जल एवं वनों के संरक्षण तथा विकास को ध्यान में रखकर एक सुनिश्चित योजना बनाई जाती है। आजकल यह महसूस किया जा रहा है कि पुरानी प्रक्रिया जैसे ऊपर से नीचे आदेश देना आदि विफल होती जा रही है तथा इसके स्थान पर नयी प्रक्रिया नीचे से ऊपर आदेश देना तथा एकीकृत ढंग से जन समूह के साथ काम करना, एक सफल तथा लाभदायक कदम है। इसलिए, जन समूह, भागीदारी तथा प्रशासन साथ-साथ आकर एक विकास योजना बनाते हैं। यही एकीकृत जल समेट योजना का सिद्धांत है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन समूह, भागीदारी तथा प्रशासन का एकीकृत ढंग से काम करना जरूरी है। यही संगठित रास्ता, आर्थिक उन्नति,

वातावरण, सुरक्षा, निश्चित व लगातार उत्पादन की ओर ले जा सकता है।

जन समूह भागीदारी का महत्व समझते हुए सरकार ने बहुत से कार्यक्रम राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चलाए हैं। भारत की नवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि जल संभरण योजना को एक राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दिया जाए।

केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, ऊटी ने उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सालिपुर में एक जल समेट प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। सालिपुर जल समेट क्षेत्र अनूर ब्लाक, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। यह एकीकृत कार्यक्रम 1997 में शुरू किया गया। जल समेट क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याएं तथा उनका निदान दोनों, वैज्ञानिक व जन समूह के बीच वार्तालाप करके, वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो विधि, नियम/एवं प्रणाली प्रयोग में लाई गई उनका विवरण इस लेख में दिया गया है।

एकीकृत जल समेट क्षेत्र (सालिपुर)

सालिपुर जल समेट योजना क्षेत्र, मैटोपोलियन शहर से 18 कि.मी. दूर अनूर ब्लाक में है। इस जल समेट योजना में 513 हैक्टर भूमि को लिया गया है। यह क्षेत्र तीन गांवों से सम्बन्धित है। गांवों के नाम इस प्रकार हैं। उन्नीकृष्णापालयम, कुम्भपालयम तथा सालिपुर। सालिपुर गांव का अधिक से अधिक क्षेत्र उस योजना के अन्तर्गत आता है। भूमि ढलानदार भी है तथा औसतन वर्षा 60 सें.मी. है। यह जल समेट समुद्र तल से लगभग 370 से 470 मी. ऊंचाई पर है। औसतन तापमान 39 डी. सें. है जो कि सभी एरिड में सेमी ट्रौपिकल क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र की मृदा लाल तथा मध्यम गहरी है। इस क्षेत्र में पानी की भारी कमी तथा पानी का जमीन में स्तर दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है जो यहां के जनजीवन के लिए एक चिंताजनक बात है।

विधि एवं तकनीक :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जन समूह भागीदारी को प्रोत्साहन, ग्रामीण समस्याओं तथा आवश्यकताओं की खोज कर उनका निदान तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं अन्य कार्यों के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया। ग्रामीण समस्याओं का अवलोकन जिस विधि द्वारा किया गया, उसमें आधारभूत सर्वेक्षण सम्मिलित था। सभी उपलब्ध फसलों, पेड़ों तथा घास और इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति एवं अन्य आधारभूत आंकड़े इकट्ठे किए गए। आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़े प्रत्यक्ष वार्तालाप करके ग्रामीणों से प्राप्त किए गए। वैज्ञानिक ढंग तथा तकनीकी सदस्यों की एक टीम इस काम के लिए बनाई गई।

2249 HA/2000—3A

आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण :

इस जल समेट क्षेत्र में 288 परिवार हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1146 है। इसमें 31 प्रतिशत अनुसूचित तथा 67 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 2 प्रतिशत अन्य समुदायों के लोग रहते हैं। औसतन प्रति परिवार 4.17 तथा भूमि 1.41 हैक्टर है। लगभग 74 प्रतिशत परिवार निम्न आय के दायरे में आते है, जिनकी आय 20,000/- रु. से भी कम है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्योंकि सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि कृषि क्षेत्र कुल आय में लगभग 62 प्रतिशत योगदान करता है। आधारभूत सर्वेक्षण में ईंधन की लकड़ी, मिट्टी का तेल तथा दूध उत्पादन एवं उपयोग का भी आकलन किया गया है और यह पाया गया कि आवश्यकता तथा उपभोग में काफी अन्तर है। इसका कारण अनियमित फसलों का उगाना, अनियमित पानी का उपभोग तथा अनिश्चित योजना भी हो सकता है।

मृदा एवं मृदा का वर्गीकरण :

कृषि भूमि वर्गीकरण के अनुसार यहां की मृदा वर्ग-2 (31.2 हैक्टर) के अन्तर्गत आती है तथा 325.7 हैक्टर वर्ग-3, 69.6 हैक्टर वर्ग-4 और 13.1 हैक्टर वर्ग-5 में आती है। इस भूमि की पी. एच. 7.7 से 8.3 है। मृदा में पानी रोकने की क्षमता बहुत कम है। इसका कारण भूमि में पत्थर चट्टान का पाया जाना है।

सालिपुर जल समेट क्षेत्र में भूमि उपयोग :

इस सारणी-1 में विभिन्न उपयोगों में आने वाली भूमि दी गई है। सर्वेक्षण के अनुसार 79.10 प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है जिसमें से 65.6 हैक्टर क्षेत्र सिंचित है। लगभग 18.4 प्रतिशत भूमि बेकार है। इस क्षेत्र में जंगली (वनों) क्षेत्र बहुत कम है। फिर भी कीकर, विलायती बबूल की कुछ जातियां पाई जाती है। कृषि वानिकी विज्ञान की दृष्टि से नीम बहुलता से पाया जाता है। किसान अपने खेतों की मेड़ों पर बबूल तथा नीम का रोपण करते हैं।

सारणी-1 : भूमि उपयोग

भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हैक्टर)	कुल का प्रतिशत
कृषि योग्य भूमि	406.10	79.10
बेकार भूमि	94.30	18.40
ग्रामीण रिहायशी भूमि	12.60	2.50
कुल	513.00	100.00

2249 HA/2000—3B

जल विज्ञान एवं जल संसाधन :

इस जल समेट क्षेत्र में उत्तर-पूर्व मानूसन से वर्षा होती है। मुख्य नालियो, पोखरों तथा तालाबों में वर्षा का पानी इक्ट्टा होता है। इन मुख्य नालियों में वर्ष भर पानी नहीं बहता क्योंकि औसतन वर्षा कम है, जिससे कि भूमि सतह के नीचे जल स्तर काफी नीचा है। वर्षा के मौसम को छोड़कर काफी समय में संभी नालियों, तालाब सूखे देखे जा सकते हैं। इसका कारण नियमित रूप से भूमि व जल संरक्षण की विधि का न अपनाना है।

सालिपुर जल समेट क्षेत्र में लगभग 114 कुएं हैं जिनकी गहराई 20 मी. से 30 मी. तथा औसतन आकार 5 मी. x 5 मी. है। यहां से किसान 7.5 एच. पी. इन्जिन पानी को उठाने के लिए प्रयोग में लाते हैं।

जन समूह भागीदारी के द्वारा जो तथ्य सामने उभर कर आये, उनके आधार पर भूमि संरक्षण, जल संरक्षण तथा वातावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कए योजना तैयार की गई जो इस प्रकार है।

सामाजिक संस्थाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम :

सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ कई मिटिंगस, संगोष्ठियां आदि की गई तथा जल संमेट एसोसिएशन, जल संभरण समिति तथा सैल्फ हैल्प ग्रुप (एस. एच. जीस.) और उपभोक्ता (कन्जूमर्स) ग्रुपों को संगठित किया गया। अभी तक इस क्षेत्र में पाई गई सफलता तथा उन्नति इस प्रकार से है :

एन्टरी प्वांइट एक्टीवीटी (ई.टी.पी.ए.) :

अ. एक सामुदायिक मीटिंग हाल का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत किया गया। यह मीटिंग हाल अति आवश्यक था क्योंकि गांव वालों के पास एक सामुदायिक स्थान, जहां वे इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं पर वार्तालाप कर सकें तथा शादी-विवाह एवं उत्सवों को इकट्ठा होकर मना सकें, नहीं था।

ब. प्राईमरी पाठशाला को पंखे वितरित किए गए, क्योंकि यह क्षेत्र सेमीएरिड है और गर्मी अधिक पड़ती है।

स. दस लोहे के हल भी गरीब व छोटे किसानों को दिए गए।
इस सामग्री वितरण में जिला ग्रामीण विकास संस्था (डी. आर. डी. ए.) का भी काफी योगदान रहा।

सैल्फ हैल्प ग्रुपों (एस. एच. जीस.) का निर्माण :

शुरू में नौ एस. एच. जीस. बनाए गए तथा 44.341/- रु. उनको ऋण के रूप में वितरित किए गए। इन सभी वर्गों को यह बता दिया गया था कि यह पैसा आपको प्रौजैक्ट को वापस करना होगा। इस कदम से एस. एच. जीस. की आय में काफी बढ़ोतरी हुई तथा उनको लगभग पूरे वर्ष रोजगार मिलने लगा। वे अपने खाली समय का उचित उपयोग करने लगे। कुल मिलाकर परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। लगभग सभी एस. एच. जीस. ने किश्तों के आधार पर लिया गया पैसा धीरे-धीरे वापस कर दिया है। वापस आए पैसे से हमने फिर एस. एच. जीस. बनकर वितरित किया। हमारे अनुभव के अनुसार यह पाया गया कि फंड प्राप्त करने वाले लाभान्वित आदमियों ने इसका अच्छा उपयोग किया है।

प्रशिक्षण :

भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, उद्योगमंडलम ने पांच प्रशिक्षण कैम्पों का भी आयोजन किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, जैसे कि सिलाई एवं बुनाई, आचार बनाना, फार्म औजारों का प्रयोग, नर्सरी तैयार करना तथा बागवानी लगाना आदि।

भूमि एवं जल संरक्षण के लिए किए गए कार्य :

सालिपुर जल समेट क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए गए।

अ. जल संरक्षण तथा जल का उचित उपयोग :

इस जल समेट क्षेत्र में पांच तालाबों को ठीक किया गया जिनमें से तीन फार्म तालाब व्यक्तिगत भूमि पर तथा दो तालाब पंचायत भूमि पर हैं। इनमें पानी संरक्षण तथा इक्ट्ठा करने का क्षेत्र बढ़ाया गया, चारों ओर मेड़ बनाए गए तथा कुछ स्थानों पर छिट-पुट मुरम्मत की गई। एक नया तालाब पंचायत भूमि पर बनाया गया, जिसकी क्षमता 6.7 है. मी. है। तीन चैकडैग भी बनाए गए। इन इन्जिनियरिंग कार्यों का मुख्य उद्देश्य जल एवं भूमि संरक्षण तथा फार्म तालाबों एवं कुओं में जल स्तर को बढ़ाना है।

यहां सामान्यतः किसान पहले पम्प द्वारा पानी कुओं से छोटे-छोटे फार्म तालाबों में इकट्ठा करते हैं फिर सिंचाई तथा अन्य कार्यों में इस जल का प्रयोग करते हैं। इस प्रथा से पानी का काफी मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि पानी वाष्पोत्सर्जन में तथा जमीन के नीचे चला जाता है। हमारे अनुसंधान केन्द्र के द्वारा एक नई तकनीक इस क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है, जिनमें तालाब की सतह पर प्लास्टिक शीट बिछाई जाती है जिससे पानी का भूमि सतह में न के बराबर होता है। इस विधि द्वारा दो किसानों को प्रोत्साहित किया गया

जिसमें किसान तथा प्रोजैक्ट अथॉरिटी ने पच्चास-पच्चास प्रतिशत धन का योगदान दिया। इस विधि के द्वारा लगभग 40-40 प्रतिशत भूमि को सिंचित कर सकता है।

भूमि एवं जल संरक्षण में वानस्पतिक अवरोधों का प्रयोग :

भूमि एवं जल क्षरण से बचने के लिए वानस्पतिक अवरोध लगाए गए। सामान्यतः इस जल समेट क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। परन्तु जब भी वर्षा होती है तो काफी मात्रा में उर्वरा व उपजाऊ परत पानी के साथ बह जाती है। इसकी केवल वानस्पतिक तथा इन्जिनियरिंग अवरोधों से ही बचाया जा सकता है। इस समस्या के निदान के लिए हमारी टीम ने ऐसे पेड़-पौधों को लगाया जिससे भूमि क्षरण को रोका जा सके तथा ये पेड़ पौधे किसानों के दूसरे कामों जैसे पशुओं के लिए चारा, मकानों के लिए तथा ईंधन की आवश्यकता को पूरा कर सके। जो सफलता इस कार्यक्रम में सामने उभर कर आई है उसमें जन समूह भागीदारी का विशेष योगदान रहा है।

वनों को फिर से स्थापित करना :

सालिपुर जल समेट क्षेत्र में पानी की कमी तथा पथरीली भूमि होने के कारण पेड़-पौधों का बड़ा अभाव है जिससे मानव जीवन में पेड़ पौधों का प्रयोग घटता जा रहा है। लेकिन आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे बचे हैं उनको दिन प्रति दिन मानव अपने प्रयोग के लिए काटता जा रहा है। वनों को बचाने के लिए हमारी टीम ने बहुत सी वन्य ज़ातियों को पहचाना है जोकि इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है तथा मानव आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। ये पेड़ पौधों की जातियां इस प्रकार हैं : जैसे बबूल, नीम, शीशम, इमली, आम तथा अन्य। इस एकीकृत जल समेट योजना के अन्तर्गत लगभग 40000 पेड़ों की पंचायत भूमि पर लगाया गया।

बागवानी को बढ़ावा देना :

भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, ऊटी के किसानों को सुझाव दिया है कि वे अपने खेतों पर खाली जगह में फलों वाले पेड़ लगाए। इस क्षेत्र में आम तथा इमली के पेड़ लगाए गए। अब इस क्षेत्र में किसानों ने आकर्षित होकर फलों वाले पेड़ लगाने शुरू कर दिये हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बागवानी प्रशिक्षण तथा अन्य सावधानियां किसानों को विस्तार से बताई गईं। पृष्ठ 26 पर दी गई तालिका से ये तथ्य और भी स्पष्ट हो जाते हैं :

फल वाले पौधे	प्रतिशत जीवित पौधे	गड्डों में मिट्टी तथा कम्पोस्ट खाद	गड्डों में छनी हुई अच्छी मिट्टी तथा कम्पोस्ट खाद
आम	83.35	80	88
(पौधों की ऊंचाई से.मी.)		0.72	0.87
(पौधों की आधार से.मी.) परिधि			
इमली	76.70	87.5	91
(पौधों की ऊंचाई से.मी.)		0.69	0.72
(पौधों की आधार से.मी.) परिधि			

फसल सुधार कार्यक्रम :

सालिपुर जल समेट योजना के अन्तर्गत किसानों को उन्नत किस्म के बीज तथा खाद व कीटनाशक वितरित किए गए। मुख्यतः उन्नत किस्म के बीच मूंग, कपास, अरंड, लोबिया तथा यूरिया, डी. ए. पी. और पोटाश खाद वितरित किए गए। उन्नत बीजों को बोने का समय, ढंग तथा अन्य जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम अभी तक जारी है। इससे हमें यह शिक्षा मिली कि जन समूह भागीदारी ही किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में उपयुक्त भूमिका निभा सकती है।

किसानों का योगदान :

सालिपुर जल समेट योजना में किसानों का योगदान सराहनीय है क्योंकि व्यक्तिगत भूमि पर कार्य के लिए पचास प्रतिशत तथा पंचायत भूमि पर लगभग 10 प्रतिशत ग्राम वासियों ने योगदान किया। यह भागीदारी केवल पैसे के रूप में ही नहीं बल्कि श्रम तथा साधन जुटाने के रूप में भी रही।

निष्कर्ष :

इस कार्यक्रम को आरम्भ हुए लगभग दो साल पूरे हो गए हैं। अभी तक परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं। जन समूह भागीदारी लगभग शत प्रतिशत रही। कार्यक्रम के विभिन्न तथ्यों जैसे भूमि क्षरण रोकना, जल संरक्षण करना, पानी स्तर में सुधार करना, फल वाले पेड़ पौधों को लगाना तथा अन्य कार्यों को इस क्षेत्र के निवासियों ने अच्छी तरह समझा तथा

स्वीकार किया है। एस. एच. जीस. की आर्थिक दशा में काफी सुधार हुआ है। हमारे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, ऊटी का अनुभव इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तुलनात्मक रूप से नीचे से ऊपर कार्य करने की प्रथा, "ऊपर से नीचे कार्य करने की प्रथा" से विकास क्षेत्र में अच्छी है। इस कार्यक्रम की सफलता का मुख्य श्रेय उन ग्रामवासियों को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से भाग लिया। एस. एच. जीस. को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आमदनी के अनेक रास्तों को सुझाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों तथा भूमिहीनों सभी को एक उन्नति करने का मार्ग दर्शाया गया है।

संदर्भ :

1. आलोक कु., सिक्का, त्रिपाठी के. पी. मधु, रघुपति आर., सुभाष चन्द्र एवं डी. वी. सिंह (1998) रिपोर्ट "एकीकृत जल समेट विकास योजना सालिपुर-जल समेट प्रबंधन कार्यक्रम", भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, उद्योगमण्डलम (तमिलनाडु)।
2. आलोक कु. सिक्का, त्रिपाठी के. पी. मधु तथा अन्य (1998) रिपोर्ट : "पारटीसिपेटरी रूरल अपराइजल (पी. आर. ए.)" केन्द्रीय भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, उद्योगमण्डलम, तमिलनाडु।
3. आलोक कु. सिक्का, मधु के. पी., सिंह डी. वी. एवं सुभाष चन्द्र, सेल्वी रघुपति आर. (1999) "पारटीसिपेटरी जल समेट प्रबंधन, एकीकृत जल समेट विकास योजना, सालिपुर, जल समेट तमिलनाडु, पत्र—जल समेट विकास संगोष्ठी में जमा किया गया जो 10-11 अगस्त, 1999 को कोयम्बटूर में सम्पन्न हुई।

केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का अनुसंधान केन्द्र, रोस कार्नर, फर्नहिल, पो. आ. उद्यममंडलम—643004 (तमिलनाडु)

मनुष्य की जय-यात्रा में मुखर वेद-स्वर

—बशीर अहमद मयूख

वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है और इनकी हजारों वर्षों से प्रवहमान जीवन-व्यवस्था के आधार भी। वेद मानव-मेधा की उत्कृष्ट उपलब्धि तो है ही; साथ ही इन्हें मनुष्य की काल-यात्रा के सहज क्रम में भी देखा जाना चाहिए। इनके मंत्रों को जीवनानुभव एवं ज्ञानोपलब्धि के यथार्थ धरातल पर रखकर देखने तथा उपयोगितावाद की कसौटी पर रखने पर भी ये खरे उतरते हैं। प्रस्तुत लेख में वेदों के कतिपय मंत्र और इनका काव्य रूपान्तर प्रस्तुत है।

समता एवं विश्व-बन्धुत्व की उदात्त भावना से ओत-प्रोत निम्न मंत्रो में एक समाजवादी विश्व का स्वप्न बड़ी प्रखरता से मुखर हुआ है :

अव्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।
युवा पिता स्वपा रूद्र एषां सुदुधा पृश्निः सुदिना मस्द्भ्यः।।

(ऋग्वेद, 5/60/5)

जग में छोटा-बड़ा न कोई सब हैं भ्राता,
ईश्वर सबका पिता और धरती है माता,
एक पिता के पुत्रों से सब मिलो परस्पर,
स्वर्गों का ऐश्वर्य उतारो इस भूतल पर।

संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागे यथापूर्वे संजानाना उपासते।।2।।
समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्।
समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।3।।
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।4।।

(ऋक्. 10/191)

पूर्व काल के देव कि जैसे,
एक दूसरे के हित का आचार पालते,
साथ जानते हुए भोग्य का लाभ उठाते,

उसी भांति तुम अपनी वाणी—
मन-विचार को करो संगठित।

अभिमंत्रित करता मैं तुम्हें समान मंत्र से
और एक ही हवि से करता हवन तुम्हारा,
समिति एक हो तुम सबकी, हों सभी एक सम,
एक साथ हो गमन और आगमन तुम्हारा।

करो लक्ष्य के लिए चित्त-मन सब संकल्पित।
हम सबकी कल्पना एक हो,
हृदय एक हो, मन समान हो,
सह-अस्तित्व-भावना जग में प्रवहमान हो।

मनुष्य की कर्म-यात्रा का प्रत्येक दिवस प्रबल आत्म-विश्वास के साथ प्रारम्भ हो, निराशा का अंधकार उसे जीवन-संघर्ष में पलायनवादी न बना दे, एतदर्थ वेद ने मंत्र-बोध किया :

उदीर्ध्व जी वो असुनं आरादप
प्राभात् तम आ ज्योति रेति।
आरैक् पन्थां यातवे सूर्यायागन्म
यत्र प्रतिरंत आयुः।।6।।
(ऋक्. 1/113)

जागो, उठो, नया जीवन ले नवप्रभात आया है
और निशा के अंधियारे के साथ-साथ ही
जीवन की तामसी नींद का अंत हो गया।

पथ प्रशस्त कर दिया सूर्य का,
पावन ज्योति-शिखा ने आकर
अब होगा आरंभ हमारी कर्म-मयी जीवन यात्रा का।

उठो इसी सूरज के संग हम जय-यात्रा को चरण बढ़ाएं,
ज्योति-पुंज के स्वागत-गीतों से अनंत निःसीम गुंजाएं।

मानव को यशोमय जय-यात्रा पृथ्वी पर आनन्द-सृजन करते हुए उसे देवत्व से उत्तम स्तर तक ले जाने की ओर उन्मुख होना चाहिए, यथा :

अस्माकमुत्तमं कृधिश्रवो देवेषु सूर्य।
वर्षिष्ठं द्यामिवोपरि।।15।। (ऋक् 4/31)
अस्मे धेहि घुमघशोमघवघ्श्यमह्मं च।
सनिं मेधामुत श्रवः।।6।। (ऋक्. 9/32)

उज्जवल तेजोमय हों हम सब
उज्जवल यश का सर्जन हो;
पाप-रहित हो बुद्धि हमारा,
जग में सुख का सर्जन हो।

यह उन्नत आकाश हमारे यश की व्यापक परिधि बने,
तेज हमारा देवों से भी उत्तम हो, अत्युत्तम हो।

और देवत्व की ओर अग्रसर मानव की यह जय-यात्रा व्यष्टिमय आत्म-मुखी न होकर समष्टि को समर्पित रहे, एतदर्थ वेद के सावधान स्वर मुखर हुए :

उत प्रहामतिदीव्या जयति कृतं यच्छ्वध्नी विचिनोति काले।
यो देवकामो न धना रूणद्धि समित् तं राया सृजति स्वधावान्।।8।।
(ऋक्. 10/42)

अच्छे कर्म और सद् इच्छा उचित समय पर कर अभिव्यक्त,
दिव्य-भावना उत्तेजित कर, निज महत्व के प्रति अनुरक्त।
नष्ट न कर अपने हित अपनी ज्ञान-सम्पदा है कर्मठ-जन,
और अधिक उन्नत है इसका यदि समाज को करे समर्पण।
इच्छा-शक्ति बढ़ा कर अपनी वीर, विजय से प्यार कर।
रूक मत जाना जीवन-पथ में बाधाओं से हार कर।
यत्र ब्रह्मं व क्षत्रं च सम्यन्चो चरतः सह।
तंल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना।।20/25।। (यजुर्वेद)

उप पवित्र प्रज्ञान-रूप जीवन को वर लूं
ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि एक मन वाले होकर
चलें जहां अविभक्तभाव से सतत कर्मरत
और जहां अध्यात्म-तेज की सतत अग्नि से—
पोषित करते हैं मानव को सतत देवगण
मैं उस प्रज्ञामय पवित्र जीवन को वर लूं।

मनुष्य की जय-यात्रा में समाज के सभी वर्गों-समुदायों का सहयोग आवश्यक है।

इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हर वर्ग-समुदाय ज्ञानवान तेजस्वी बने, अतः वेद ने स्वर मुखर किए :

रूचं नो धेहि ब्राह्मणेषु।
रूचं राजसु नस्कृधि।
रूचं विश्येषु शूद्रेषु
मयि धेहि रूचा रूचम्।। 18/48।। (यजुर्वेद)

देव, हमारे ज्ञानयोगियों-ब्रह्मणों में
नूतन तेज भरो,
और क्षत्रियों-कर्म योगियों को
जय दान करो।
तेज भरो तुम वैश्य-जनों में
जो कर्मठ वाणिज्य-प्रवण,
प्रीतिदान दो शूद्र-वर्ग को,
जो हैं सेवाधारी जन।

सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि हर वर्ग आपस में मित्र-भाव से अनुप्राणित हो, यथा :

दृते दृढ़ं मा,
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।। 36/12।। (यजुर्वेद)

जयत-नियंता मेरे प्रभुवर,
शुभ-कर्मों में दृढ़ता मुझे प्रदान करें।
मित्र-दृष्टि से देखूं जग के हर प्राणी को,
मेरे प्रति भी जग के प्राणी मित्र-भाव का भान करें।
एक दूसरे के प्रति सबका मित्र-भाव ही रहे परस्पर
ऐसा कर दो मेरे प्रभुवर।

मनुष्य की भाषा भिन्न हो सकती है। धार्मिक आचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन धरती एक है, गगन-पवन एक है, अतः समाज को भी संघबद्ध होकर एकत्वभाव से अपना उन्नयन करना है। इस सन्दर्भ में निम्न मंत्र देखें :—

जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं,
नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।। 12/1/45।।
(अथर्व)

भिन्न-भिन्न भाषा मनुष्य की
विविध धर्म-आचार
किन्तु सभी का एक निकेतन सी यह धरती
सबको एक समान भाव से धारण करती
देती अपना प्यार।

सं सं स्त्रवन्ति सिन्धवः,
सं वाताः सं पतत्रिणः।
इमं यज्ञै प्रदिवो मे,
जुषंतां सं साव्येण हविषा जुहोमि।। 1/15।। (अथर्व)

सारी नदियां मिलकर बहतीं,
पक्षी भी मिलकर उड़ते हैं संघबद्ध हो,
मुक्त पवन अंबर में मिलकर ही बहता है!
इसी भांति से कर्म-क्षेत्र में
मिलकर करते कर्म श्रेष्ठ-जन!
इसीलिए हम संघबद्ध हो
स्नेह-द्रवित ये अनुष्ठान सम्पन्न कर रहे।

अकर्मण्य जीवन-गति मनुष्य के पुरूषार्थ को पंगु बनाती है। कर्म-योग द्वारा ही जय की सिद्धि एवं जीवन में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इस सन्दर्भ में निम्न वेद-मंत्र देखें :

इच्छन्ति देवा सुनवन्तं
न स्वप्नाय स्पृहयन्ति
यन्ति प्रभादमतन्द्राः।। (ऋक्. 8/82)।।

जो पुरूषार्थ करें उसके ही देव सहायक
कोई नहीं प्रमादी का होता सहयोगी,
देवगणों का नहीं स्नेह-भाजन वह बनता
जो सोता रहने वाला है आलस-भोगी।

स्वस्तिपन्धामनु चरेम सूर्या-चन्द्रमसाविव।
पुनर्ददताध्नता जानता संगमेमहि।। 15/ऋक्. 5/5।।

सूर्य-चन्द्र की भांति निरन्तर,
निर्धारित पथ पर गतिमय हों।
यह परिक्रमण करें संकल्पित

नाश नहीं निर्माण-कामना,
नहीं लाभ का लोभ, अपितु हो
सेवा की निष्काम-भावना।

कर्मयोग द्वारा जीवन में प्रभु के आदेशों की जय हो ? निरूद्देश्य जीवन व्यर्थ है। निश्चित मानव-मूल्यों को समर्पित चिन्तन के प्रति आस्थामय श्रद्धा मनुष्य की जय-यात्रा के लिए अनिवार्य है, यथा :

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि।। 1/10/151।।
(ऋक्.)

श्रद्धा से ही जीवन-यज्ञ हविष पाता है,
श्रद्धा से ही होता जीवन-तेज सचेतन।
अपने कर्मों-वचनों से जीवन-मस्तक पर
धारण करो इसी श्रद्धा को हे मेरे मन।
(निश्चित मानव-मूल्यों को मैं रहूं समर्पित)

बंधन यात्रा में सदैव बाधक होते हैं, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक। इनसे मुक्त हुए बिना मनुष्य की जय-यात्रा प्रारम्भ नहीं होती, अतः वेद में प्रार्थना की गई :

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रधाय।
यथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम।। 35।।
(ऋक्. 1/24)

ऊपर के बन्धन ऊपर से
भीतर के बन्धन भीतर से
नीचे के बन्धन नीचे से
खोलो वरुण-देव तुम मेरे।
पाप-रहित जीवन जीकर मैं
स्वतन्त्रता को, मुक्ति-मोक्ष को
तत्पर रहूं मुझे यह वर दो।
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक—
बन्धन के पापों के घेरे
तोड़ो ज्योति-पुरुष तुम मेरे।

मनुष्य का जीवन प्रतिक्षण मरण की ओर अग्रसर है, आयु की अनमोल सम्पदा उसे

सीमित समय के लिए ही मिली है, अतः इसका सुचिंतित उपयोग करते हुए मनुष्य को समाज एवं संसार की कल्याण-कामना को समर्पित रहना ही श्रेयस् है, यथा :

यथाहान्यनुपूर्व भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यान्ति साधु।
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्।।5।।
(ऋक्. 10/18)

दिवस एक दूसरे के पीछे आते जैसे,
ऋतुएं अपने क्रम से करतीं गमन-आगमन,
भूतकाल जैसे भविष्य के निकट पहुंचकर,
अपने आप बीत जाता है वर्तमान बन,
उसी भांति, हे वय के धारण करने वाले,
जीवन के दिन भी हैं प्रतिक्षण मरने वाले।
यह अनमोल सम्पदा जीवन तुझे समर्पित,
कर इसका उपयोग सत्य-शिव-सुंदर के हित।

मनुष्य को आसुरी प्रवृत्तियों एवं दूषित संसर्ग से कुप्रावित होने की आशंका बनी रहती है। इन वृत्तियों के शमन के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई :

यो नः पूषन्नघो दुःशेव आदि दे शीत।
अपस्म तं पथो जहि।।2।। (ऋक्. 1/42)
यो नो अग्नेहभिसत्यन्ति दूरेपदीष्ट सः।
अस्माकमिद् वृधे भव।। ।। (ऋक्. 1/79)

हे पूषन् परमात्मा।
पापी, चोर, लुटेरे, डाकू
दुःशासन को, दुर्विचार को

दूर हटा, दूर हटा,
हे पूषन् परमात्मा।

वह समीप हो, या कि दूर हो,
अपना या कि पराया हो,
दास बनाने हमको अपना
जो भी पापी आया हो,
ओझल हो जाए आंखों से

दूर हटा, दूर हटा।
इनका शासन सहे न मेरी आत्मा।
हे पूषन् परमात्मा, हे पूषन् परमात्मा।

मीठे बोल, मधुर व्यवहार पत्थर-से मन को भी पिघला देता है। जीवन में सफलता के लिए यह रामबाण सूक्त है :

विह्वया अग्रे मधु में जिह्वया मूले मधूलकम्।
ममेदह ऋतावसो, ममचित्त भुपायसि।। 1/34/2।।
मधुमन्मेनिष्क्रमणं, मधुमन्मे परायणम्।
वाचा वदामि मधुमद्, भूयासं मधुसंदृशः।। 3।।
मधोरस्मि मधतरो मधुधान मधुमत्तरः।।.4।। (अधर्व)
मधुपूरित हो मेरी वाणी।
मधुपूरित हो अग्रभाग मेरी जिह्वा का
और मूल भी इसका हो मधुरिम कल्याणी
मधुपूरित हो मेरी वाणी।।
मधुपूरित हो यात्रा मेरी
निकट-पूर्व का गगन-आगमन।
सबको प्रसन्नता पहुंचाकर
खुशियों से भर दूं सबका मन।
मैं सबका प्रियवर बन जाऊं
मधुरिम-प्रवृत्तियों का उद्गम।
मैं मधु से भी अधिक मधुर हो
बनूं मधुरतर और मधुरतम।
जग के हर पदार्थ से मीठी हो मेरी वाणी-कल्याणी
मधूपूरित हो मेरी वाणी।

युग-पुरुषों, देवताओं का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त कर शतजीवी होने के साथ उत्तम कार्य करने के निमित्त मानव समर्पित भाव से प्रभु के निकट प्रार्थी रहकर ही अपनी जय-यात्रा की कामना करता है, यथा :

पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं।
श्रृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं।
अदीनाः स्याम शरदः शतं।। 36/24।। (यजुर्वेद)

सौ वर्षों तक दृष्टि हमारी क्षीण न हों,
सौ वर्षों तक श्रवण शक्ति से हीन न हों।

वाक-शक्ति सम्पन्न रहे सौ वर्षों तक,
शतजीवी हैं किसी कर्म से हीन न हों।।

आ नो भद्राः कतवोयन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः।
देवा नो यंथा सदमिद् वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे।। ।।
देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनोनि वर्तताम्।
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे।।2।।

(शक्. 1/89)

हमें प्राप्त हो जन-समाज की बाधा-धोखा-हीन भावना,
और करें मंगल भावों से हम समाज-कल्याण-कामना।
शुभ कर्मों में देव गणों का नित्य आन्य-आशीष प्राप्त हो,
रहें लक्ष्य की ओर अग्रसर, प्रगति हमारी दिशा-व्याप्त हो।
सरल मार्ग से जाने वाले देवों का निर्देशन पाकर
दीर्घ आयु हो, पूरा जीवन जियें, सुमति के पथ पर चलकर।

2-ल-17, विज्ञान नगर, कोटा-5

"वही कुछ कर गुजरता है जिसे बातें बनाना नहीं आता, सिर देना आता है. जो अपने को किसी लगन की आग में जलाना जानता है, वही यह देश की होली खेल सकता है. मृत्यु को छाती से लगाना हम में से आज कितने जानते हैं? अपने पवित्र रक्त से भक्तिपूर्वक प्यारी माता के पादपद्म पखारना हम ने अभी सीखा ही कहां है? रक्तदान माता को अभी दिया ही कितनों ने है?"
– वियोगी हरि : स्वदेश प्रेम

आजादी का परवाना : चन्द्रशेखर आजाद

—नोतन लाल

'मादरे हिंद की जिंदा से रिहाई हो जाए,
इस तरह अपने फरायेज की अदाई हो जाए।
बस इसी धुन में भटकता फिरा वीरानों में,
कौम का एक ही दीवाना था दीवानों में।'

विदेशी कुशासन के अत्याचारों से पीड़ित परतन्त्रता पाश में जकड़ी भारत जननी को मुक्त कराने के लिए वीरानों में भटकने वाला, कौम के अनेक दीवानों में अकेला और अनोखा यह दीवाना अपने सिर पर कफन बांधकर मौत को गले लगाने के लिए बेचैन तथा देश की आजादी की शमा पर मर मिटने वाला यह परवाना कोई और नहीं, भारतीय क्रान्तिकारी वीरों का प्यासा धरती पुत्र चन्द्रशेखर आजाद था।

भारतीय क्रांतिकारियों के सिरमौर एवं भारतीय जनता की आंखों के तारे, भारत के वीर सपूत चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, सन् 1907 ई. (तदनुसार सुदी दूज) को सोमवार के दिन 2 बजे मध्य प्रदेश के अलिराजपुर रियासत के भांवरा गांव में हुआ था। इनके पिता जी सीताराम तिवारी भी स्वाभिमानी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। आजाद अपने माता-पिता की पांचवी और अन्तिम सन्तान थे।

आजाद को अध्ययन में काफी अधिक रूचि न थी। वह स्वभाव से जोशीले और खतरनाक कार्यों को करने के लिए सदा व्यग्र रहने के कारण लोगों में जनप्रिय हो गए थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उन्हें 'क्विक सिलवर' कहा करते थे। बनारस में शिव विनायक नामक सज्जन की प्रेरणा से इन्होंने विद्याध्ययन हेतु संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया। सन् 1921 में असहयोग आन्दोलन के कारण इन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। आजाद ने भी बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय पर धरना दे दिया। आजाद पकड़े गए और परिणामस्वरूप इन्हें पन्द्रह बेतों का दण्ड मिला। यद्यपि इस समय यह किशोर ही थे, किन्तु प्रत्येक बेंत पर इस स्वाभिमानी युवक के मुख से 'वन्देमातरम्' 'इन्कलाब जिन्दाबाद' और 'भारत माता की जय' ही निकली थी।

जब समाचारपत्रों में आजाद के पकड़े जाने और दण्ड से सम्बन्धित समाचार छपे, तो इनके परिवार वाले भी परेशान हो उठे। इन्होंने परिवार के सदस्यों से विनम्रतापूर्वक कहा, 'मेरा जीवन अब भारत माता का जीवन है, जब तक भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं करा देता, तब तक घर में नहीं रहूंगा' सन् 1923 ई. के मध्य में आजाद मन्मथनाथ

2249 HA/2000—4A

गुप्त के दल में सम्मिलित हो गए। इस समय इनकी आयु मात्र सोलह वर्ष की थी, लेकिन इनकी ज्वलन्त देशभक्ति, अद्म्य साहस, असीम उत्साह तथा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति किसी सुलझे हुए और मंझे हुए क्रांतिकारी से कम न थी। एक समय वह भी आया जब यह क्रान्तिकारियों के सर्वेसर्वा बन गए।

चन्द्रशेखर आजाद ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल एवं तीन अन्य साथियों के साथ 9 अगस्त, 1925 ई. को हरदोई और लखनऊ के बीच 'काकोरी' नामक छोटे से स्टेशन पर आठ डाउन पसेन्जर ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना के पश्चात् इनकी बहुत खोज की गई, लेकिन वह झांसी चले गए और साधु के वेश में रहने लगे। तत्पश्चात् अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों को जारी रखते हुए आगरा ओर उसके बाद काकनपुर चले गए। कानपुर से आजाद को अपने मित्र के यहां रक्षा-बन्धन के कारण रूकना पड़ा। इसी मध्य गुप्तचर अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। पुलिस अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया तथा 'क्या तुम आजाद हो ?' इस प्रकार आजाद ने कहा—

'वक्त आने पर बता देगें तुम्हें ऐ आसमां
हम अभी से क्या बताएं जो हमारे दिल में है'

मातृभूमि की सेवा में समर्पित होने के कारण वह आजीवन अविवाहित रहे। जब इनसे विवाह के लिए कभी मजाक में कहा गया तो इन्होंने अपना 'माउजर पिस्तौल' दिखाकर कहा, 'यह मेरी संगिनी है जो अन्त तक साथ देगी।' इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मैं सोचता हूं अगर मैं विवाह करूं भी तो किससे करूं। मेरी तबियत के लायक कोई लड़की मिलती ही नहीं। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो एक कन्धे पर राइफल और दूसरे कन्धे पर कारतूस की बोरी लादकर पहाड़-पहाड़ घूमती फिरे और इसी तरह लड़ते-लड़ते मर जाए, ऐसी तो मिल सकती है फ्रन्टियर में।'

आजाद का चरित्र बहुत ऊंचा था। वह जितेन्द्रिय और संयमी थे। उनके सिर पर अंग्रेज सरकार ने ईनाम की घोषणा कर रखी थी। अतः इन्हें अपना देश बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना तथा रहना पड़ता था। वह डिमरपुरा गांव में सातार नदी के किनारे हनुमान मन्दिर के पास एक कुटिया में ब्रह्मचारी बनकर रहे। इसी अवधि में एक रूपवती स्त्री छमिया इन पर जी जान से मोहित हो गई थी, और सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर थी, लेकिन आजाद पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा में सफल हो गए थे। इस घटना के बाद वह डिमरपुरा के ठाकुर मलखान सिंह के यहां उनके पांचवे भाई के रूप में रहे थे। झांसी में इन्हें हरिशंकर के नाम से ड्राईवर के रूप में रहना और कार्य करना पड़ा था, लेकिन शराब आदि की तो बात ही क्या, वह बीड़ी तक भी नहीं छूते थे।

आजाद ने अपनी मातृभूमि को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जीते जी शत्रु इनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता।

2249 HA/2000—4B

वह प्रायः कहा करते थे।

'दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे,
आजाद हैं हम, आजाद ही रहेंगे।'

वह सदैव देशभक्ति के गीत सुनना पसन्द करते थे और देश की स्वतन्त्रता हेतु सर्वस्व बलिदान करने को सदैव तत्पर रहते थे। इनका हृदय मानव प्रेम एवं करूणा से भरपूर था तथा मस्तिष्क सदैव ही देश को स्वतन्त्र कराने की योजनाओं में व्यस्त रहता था। वह अनुशासन प्रिय, नियम पालन को मानने वाले और सहृदय थे।

27 फरवरी, सन् 1931 ई. को इलाहाबाद में 'अल्फ्रेड पार्क' (अब 'आजाद पार्क') में चन्द्रशेखर आजाद और इनके एक क्रान्तिकारी मित्र अपने दल की गतिविधियों के सम्बन्ध में विचारमग्न थे कि अनायास विश्वेश्वर नाम के पुलिस अधिकारी ने आजाद और इनके मित्र को देख लिया। इस पुलिस अधिकारी ने तुरन्त ही पुलिस को सूचना दे दी। इस स्थान पर पुलिस और आजाद की गोलियों का आदान-प्रदान हुआ। इस बड़े मुकाबले में एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल की गोली जांघ में लगने से यह घायल हो गए, लेकिन अन्तिम सांस तक अंग्रेज पुलिस अफसर और उसके पालतू इनके समीप आने का साहस नहीं जुटा पाए थे। इन्होंने उस पुलिस अधिकारी को अपनी 'माउजर' से वहीं ढ़ेर कर दिया। अपने को चारों ओर से घिरा देखकर आजाद ने अन्तिम गोली अपनी कनपटी पर दाग दी।

27 फरवरी 1931 ई. को इस मनहूस दिन क्रान्ति गगन का यह ध्रुव तारा इलाहाबाद में अस्त हो गया, लेकिन शहीदों का जीवन यहीं समाप्त नहीं हो जाता। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए युगों-युगों तक उनके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं।

अतः हम सब भारतवासियों का यही पुनीत कर्तव्य है कि हम आजाद द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करके अपने देश की स्वतन्त्रता एवं अखण्डता को बरकरार रखें, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी इतिहास बदलने वालें इन वीर सपूतों को इतिहास के पृष्ठों से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि—

'जालिम फलक ने लाख मिटाने की फिक्र की,
हर दिल में अक्स रह गया, तस्वीर रह गई।'

डी-1209, डबुआ कालोनी,, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र' के सृजनशील क्रांतिधर्मिता के आयाम

—डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे

पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र' (1900-1967) के स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों के साथ उनके संबंध तथा राष्ट्रीयता के उनके पक्ष को हिंदी साहित्य जगत् में उद्घाटन के अधिक स्वर नहीं मिले हैं। उनकी साहित्यिक क्रांतिकारिता की चर्चा तो 'स्वदेश' (गोरखपुर) से लेकर 'मतवाला' (कलकत्ता) तथा 'चाकलेट' से लेकर 'अपनी खबर' में हुई है परन्तु राष्ट्रीय आंदोलन की सशस्त्र क्रांतिकारी धारा से वे किस प्रकार सम्प्रक्त थे और उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति उन्होंने अपने साहित्य में की—इसकी चर्चा कम ही पढ़ने को मिलती है।

आधुनिक काल के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत में जो साहित्यकार गांधी की आंधी में कूदकर सर्वप्रथम कारागृह गए—उनमें बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा', पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र', जगदम्बा प्रसाद 'हितैषी' तथा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के नाम प्रमुख तथा अहम हैं। इसी राष्ट्रीय जागरण के युग में यदि बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन' बने तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने 'निराला' का उपनाम धारण किया परंतु पाण्डेय बैचन शर्मा तथा गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने 'उग्र' तथा 'विराज' का ताण्डव-स्वरूप धारण करना सर्वथा समुचित समझा। उन्होंने 'अपनी खबर' में लिखा है—सन् 1920-21 के बीच देश में राष्ट्रीयता की लहर तेज प्रवाहित हो रही थी जिसमें मेरे भी प्राण प्रसन्न डुबकियां लगाने को लालायित रहते थे।

उग्रजी ने इसका स्पष्टीकरण भी अपनी आत्मकथा में दिया है और 'निराला' की 'आह्वान' (एक बार बस और नाच तू श्यामा) तथा 'नवीन' का 'विप्लवगायन' (कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ—जिससे उथल पुथल मच जाए) की भांति सिर्फ बीस वर्ष की आयु में 'कामना' (भयंकर ज्वालाएं, जाग उठें, सब और आग की हो जाए भरमार, ऐसा वीर भारत, हमारा उग्र नाच उठे) में अपने प्रयोजन में राष्ट्रीय स्वाधीनता के निमित्त शहीद होने वाले क्रांतिकारियों का स्तवन किया—उन दिनों राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर्कश नाम इसलिए चुना करते थे—कि बलवान ब्रिटिश साम्राज्य के नृशंस शासक नाम से ही दहल जाएं।

इसी परिवेश में ही 'एक भारतीय आत्मा' तथा 'एक राष्ट्रीय आत्मा' के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी तथा राजाराम शुक्ल ने अपने को क्रांतिकारिता के साथ प्रतिबद्ध किया था।

वस्तुतः 'उग्र' के बचपन-किशोरावस्था के परिवेश ने उनको क्रांतिकारी तथा विद्रोही

बना दिया। वे भी बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की भांति क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो जाना चाहते थे परन्तु परिस्थितियों ने उनको अपने भोगे हुए यथार्थ को रचनात्मक विप्लव की परिणति प्रदान की।

'उग्र' का नाम उस सूची में था जिसे अंग्रेजों ने 'जब्त शुदा साहित्य' कहा था। 1924 में गोरखपुर के 'स्वदेश' के 'विजया विशेषांक' में अपने सम्पादन में 'उग्र' ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात किया। वे राजद्रोह में पकड़े गए, विशेषांक जप्त किया गया और उनके ही शब्दों में—पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, भुजापर सूती रस्सी बंधवाए तीन-तीन सशस्त्र पुलिसवालों के साथ में बंकाई से गोरखपुर भेजा गया। तीन महीने तक केस चलने के बाद मुझे नौ महीने की सख्त सजा मिली।

यह वही गोरखपुर कारागृह था जहां अमर शहीद रामप्रसाद 'बिस्मिल' को 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। 'उग्र' को सुख का वास्तविक पता कारागृह-शृंखला-हार में मिला। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कानपुर के 'प्रताप' तथा मासिक 'प्रभा' में उनको प्रकाशित किया। वे नवम्बर, 1922 की 'प्रभा' में सागर में महाकवि पद्माकर के 'बगरो बसंत है' को अपने कारागृह-जीवन में पाते हैं—

गगन में बारिज में बल्लरी में बीथिका मैं,
बोर में वसंत-दुम हूं के खोजि डारयो मैं।
वृन्दावन कुंज वर बृज बनितान पुंज,
गुंजरत मंजुल-मलिन्द पेखि हास्यो मैं।
वाराणसी धाम वामदेव जू को नाम दिव्य,
देवसरि धार में न देखि निरघास्यो मैं।
विश्वबीच है न सुख 'उग्र' पर इतै माहि—
कारागार-शृंखलानि-हार में निहारयो मैं।।

बलिदान के आसव को अपने में समाहित किए, हमारे देशभक्तों को गौरांग-महाप्रभुओं की अनुकम्पा से कारागृह की बार-बार यात्राएं करनी पड़ीं। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने सर्वप्रथम 'उग्र' के अप्रकाशित 'बंदी' काव्य को जनवरी, 1923 में अपनी 'प्रभा' मासिक पत्रिका में प्रकाशित किया—

वन्दे, मुकुन्द की जन्मभूमि सुखकारी।
वन्दे, स्वतंत्रता के उदार भण्डारी।।
वन्दे, भारत- उन्नति के एक सहारे।
वन्दे, बंदीगृह 'कर्मवीर' के प्यारे।।
'गंगाधर' की तप-भूमि निराली वन्दे।
'अरविन्द' मुक्ति-जप-भूमि निराली वन्दे।।

'पंजाब केसरी' के अत्यंत दुलारे।
वन्दे, बन्दीगृह 'कर्मवीर' के प्यारे।।

जहां बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कारागृह की कविता को 'तपोभूमि की रचना' कहा, वहां 'उग्र' के लिए परिपक्व जमीन तैयार करने वाले रामनाथ 'सुमन' की कविता को 'छायावाद' का नाम दिया था जबकि छायावाद-युग अपना वितान तान रहा था।

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की क्रांतिकारी मालवभूमि तथा मध्यप्रदेश से 'उग्र' के गहरे तथा सुदीर्घ काल तक संबंध रहे। वे अनेक वर्षों तक उज्जैन के 'विक्रम' तथा इन्दौर की 'वीणा' पत्रिका के सम्पादक रहे। बलिदान की मूल भावना के कारण ही 'उग्र' ने 'महात्मा ईसा' नाटक लिखा जिसका उल्लेख आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किया। क्रांतिकारी तथा विद्रोह के युग में 'एक राष्ट्रीय पथिक' तथा 'एक राष्ट्रीय हृदय' जैसे कवि-नाम भी बड़े प्रसिद्ध हुए। 'नवीन' ने सन् 1857 की प्रथम राष्ट्रीय क्रांति की 'उग्र' की प्रतिक्रिया को भी 'प्रभा' (अप्रैल, 1923) में प्रकाशित किया था—

'मानवता' भी भागी लेकर प्राण तब,
'दानवता' की ऐसी लीला देखकर,
स्तबध रह गए थे वे लेखक इतिहास सब
व्यग्र 'उग्र' हो गए नेत्र में अश्रु भर।

उग्रजी के अपने समय के अनेक क्रांतिकारियों से घनिष्ठ संबंध थे। वे कानपुर में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद तथा शहीदे आजम भगतसिंह से मिल चुके थे। इनके माध्यम हुतात्मा गणेशशंकर विद्यार्थी थे। क्रांतिवीर रवीन्द्रनाथ सान्याल ने अपनी सुप्रसिद्ध आत्मकथा 'बंदी जीवन' में पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र' से अपने संबंधों की चर्चा की है। 'उग्र' ने राष्ट्रीयता में सशस्त्र क्रांतिकारियों की देशभक्ति तथा आत्म-बलिदान की भावना की सराहना की गई है। उन्होंने 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग (1919) तथा ऐसी देशभक्तों विषयक कहानियां लिखीं। इन कहानियों ने उनको आग्नेय पुरुष बना दिया और वे अंगारे बन गई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जब्त कर लिया। उनकी सुप्रसिद्ध कहानी 'देशभक्त' का नायक देशभक्त है। चन्द्रशेखर आजाद के साथी डा. भगवानदास माडोर ने लिखा था कि इस युग की रचनाओं में सशस्त्र क्रांतिकारी प्रवृत्ति की संवर्धन करने में यह कहानी संभवतः सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई। इसमें इस युग के सशस्त्र क्रांतिकारी देशभक्त को विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति घोषित किया गया है और इसके चरित्र में शौर्य, साहस, उत्साह आदि के साथ दया, करूणा आदि सभी मानवीय सद्गुणों का होना स्वीकार किया गया है।

'उग्र' की कहानी 'मां' में एक भारतीय क्रांतिकारी की साधारण मां का असाधारण चित्र खींचा गया है। यह आख्यायिका मैक्सिम गोर्की की विश्व विख्यात कृति का स्मरण दिला देती है।

'उग्र' राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में राष्ट्रीय क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। वे हिन्दी में क्रांतिकारी कहानी के प्रवर्तक थे। उनके दलित-लेखन तथा नारी-लेखन के क्रांतिकारी तेवरों की ओर भी हिंदी-जगत् का ध्यान नहीं गया है। उनके द्वारा सम्पादित 'हिंदी पंथ' (दिल्ली-जयपुर) तथा 'गणराज्य' (जयपुर) में उनकी ज्वालामुखी लेखन की चिनगारियां बिखरी पड़ी है। उनके उपन्यासों ('बुंघुआ की बेटी', 'दिल्ली का दलाल' आदि) में उनकी सामाजिक क्रांति के स्वर मुखरित हुए हैं। उनकी रचनात्मकता तथा सृजनधर्मिता में मुम्बई का 'संग्राम' तथा वाराणसी का 'आज' का अवदान भी अविस्मरणीय है। 1923 में उन्होंने 'आज' में तत्कालीन राष्ट्रीय पत्रकारिता के गांधीवादी स्वरों को भी वाणी दी थी।

यह भी विशेष स्मरणीय है कि हिंदी में पत्रकारिता के क्षेत्र में पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', झाबरमल्ल शर्मा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी काफी भ्रमणशील रहे और उनके अनेक पत्र-पत्रिकाओं के साथ संपादक के रूप में संबंध रहे। 'उग्र' के लेखन में व्यंग्य का प्राधान्य रहा और भाषा आम आदमी की ताकि वे अपनी लेखनी की क्रांतिधर्मा आग को जनता-जनार्दन तक सम्वाहित करना चाहते थे। उनकी क्रांतिधर्मी सृजनशीलता का तत्कालीन साहित्यिक जगत् में काफी विरोध भी हुआ परन्तु उनका जीवन मंत्र था—न दैन्य न पलायनम्। उनकी प्रहार शक्ति में विकल्प नहीं संकल्प है और वे नव-निर्माण के पक्षधर थे। उनकी प्रासंगिकता इसी आयाम में अन्तर्निहित है कि उन्होंने पाखण्ड, आडम्बर, कृत्रिमता, अंधविश्वास, छद्म-छल का प्राणप्रण से विरोध किया और साहित्य तथा राष्ट्र के वे आलोकस्तंभ बन गए। उनकी वर्तमान सन्दर्भों में परम आवश्यकता है। उनकी क्रांति भ्रांति का उन्मूलन करती है। उनका अपना बनाया मार्ग था और वे उस पर निर्द्वन्द्व-निर्भीक भाव से अग्रसर होते गए। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, अवदान तथा लेखन में अपने उपनाम को औचित्यपूर्ण संस्थिति प्रदान की। उनका व्यग्र उग्र मन समाज में बदलाव की संस्थिति चाहता था इसीलिए क्रांति-चेतना तथा क्रांतिकारी उनके इष्टदेव बने।

लक्ष्मीकांतम्, रोड़ नं. 2, आनंद नगर, मकरोनिया, सागर-470004

विचार ही कर्म,
कर्त्तव्य ही धर्म

—देसराज नाग

मानव जीवन में विचार-शक्ति प्रमुख भूमिका निभाती है। **विचारों से ही कर्म बनते हैं, कर्मों से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से जन्म बनते हैं।** ये विचार त्रिगुणात्मक होते हैं—सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी होता है। विचारों के अनुसार ही हमारे कर्मों में भेद हो जाता है। कर्मों की यह गति अत्यंत गहन है जो मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अतः मानव का कर्त्तव्य है कि वह अपने विचारों और कर्मों पर सतत् दृष्टि रखे जिससे उसका प्रत्येक विचार प्रत्येक कर्म श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सके।

हम मन, वाणी और शरीर से तीन तरह से कर्म करते हैं और इन तीनों का कर्म-संग्रह ही हमारे भाग्य और स्वभाव का निर्माण करता है। इन तीनों कर्मों के मूल में हमारे विचार ही सक्रिय होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं :

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः।। (4/17)

(अर्थात् **कर्म** का स्वरूप भी जानना चाहिए और **अकर्म** का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा **विकर्म** का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है।)

एक व्यक्ति किसी एक की दृष्टि से अच्छा होता है तो किसी अन्य की दृष्टि में बुरा। इस दृष्टिकोण के मूल में भी हमारे विचार या भावना ही सक्रिय होती है। भगवान राम तो एक ही थे लेकिन **"जिन्ह कें रही भावना जैसी, तिन्ह देखी प्रभु मूरति तैसी"** और उस भावना के अनुरूप ही भिन्न-भिन्न दर्शकों में, भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न हुए और उनके प्रति भिन्न-भिन्न आचरण भी हुए। शेक्सपीयर ने भी कहा है—"Nothing is good or bad, but thinking makes it so".

शास्त्रोक्ति है कि :

धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहाः।
धर्मेण हन्यते शत्रुः, यतः धर्मस्ततो जयः।।

(अर्थात् धर्म से **रोगों का नाश** होता है, धर्म से ही **ग्रह शांत** होते हैं, धर्म से **शत्रुओं**

का नाश होता है और जहां धर्म है वहीं **विजय** है।)

प्रश्न उठता है कि यह धर्म क्या है ? कोई पंथ, सम्प्रदाय या कुछ और ? वास्तव में धर्म कुछ और नहीं है, मात्र एक कर्त्तव्य-बोध है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने-अपने धर्म का पालन कर रहा है। सूर्य निश्चित समय पर उदय होता है और निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। ऋतुएं अपने-अपने समय पर पदार्पण करती हैं और परिगमन करती हैं। हमारे शरीर के अंग-उपांग भी सहज रूप में अपने-अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इन सब से सिद्ध होता है कि चाहे जड़ हो या चेतन, जिसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है और वह उसका जितनी निष्ठा से पालन करेगा उसी के अनुरूप उसे धार्मिक या अधार्मिक कहा जाएगा। धर्म वास्तव में समाज को नियंत्रित करने का एक माध्यम है और कर्त्तव्य-बोध को जागृत करने का एक साधन। जब प्रकृति अथवा व्यक्ति अपने-अपने कर्त्तव्य का परित्याग कर देता है तब सामाजिक एवं वैचारिक असंतुलन पैदा हो जाता है जो अनेक दुर्घटनाओं, कुरीतियों और विपदाओं को जन्म देता है। आसुरी प्रवृत्तियों का बाहुल्य हो जाता है, सज्जन परेशान होने लगते हैं, दुर्जनों का प्रभुत्व बढ़ जाता है, मान-मर्यादाएं भंग होने लगती हैं और अंततः दैवी शक्ति को अवतरित होना पड़ता है जिससे वह समाज में पुनः धर्म स्थापित कर सके। ऐसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं :—

जब-जब होई धर्म की हानि, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी;
सीदहिं धेनु विप्र सुर धरनि, करहिं अनीति जाई नहिं बरनि;
तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा।

मनुष्य जब अपना धर्म छोड़ देता है तो वह पशुवत् आचरण करने लगता है। जिस प्रकार शरीर में प्राण-तत्व है उसी प्रकार मानव जीवन में सुख, शान्ति तथा आनन्द के लिए धर्म का महत्व है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः (3/35)

(अर्थात् अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। **अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है।**)

कई बार हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म की उपेक्षा करके दूसरे की संस्कृति, दूसरे की सभ्यता, दूसरे के धर्म को स्वीकार करने लग जाते हैं जिससे हममें भटकाव आ जाता है और अनेक तरह की विसंगतियां व समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अनुकरण करते-करते हम अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूल जाते हैं। अनुकरण कदापि यथार्थ नहीं हो सकता, यथार्थ-बोध भले ही करा दे। इसीलिए भगवद्गीता में अपने ही धर्म का अनुपालन

करने पर जोर दिया गया है।

यहां "धर्म" से अभिप्राय किसी रूढ़िवादिता या सम्प्रदाय से नहीं है। यह एक व्यवस्था का नाम है जो मानवमात्र के लिए सुख-शांति, आनन्द और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। धर्महीन मनुष्य को "पशु" कहा गया है—**"मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति"** अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो धर्मबुद्धि का नहीं है, है तो मनुष्य परन्तु आचरण उसका पशुओं जैसा है। खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते, लड़ते-झगड़ते आदि पशु भी हैं। मनुष्य वह है जो मनन करे, उचित-आनन्द, उन्नति और परस्पर प्रेम का कारण बने। हमारे शास्त्रों में इसी मनुष्यता पर जोर दिया गया है और पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई, राजा-प्रजा आदि के लिए ऐसे धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हों, जैसे :—

(1) मुखिया मुख सों चाहिए, खान-पान को एक।
पाले-पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।।

(जिस प्रकार खाता तो अकेला मुंह है परन्तु उसका लाभ उचित ढंग से वह शरीर के सभी अंगों को देता है उसी प्रकार **परिवार, ग्राम, राज्य या राष्ट्र का मुखिया** होना चाहिए जो विवेक का आश्रय लेकर अपने-अपने क्षेत्र का समान रूप से भरण-पोषण करे)।

(2) जाके राजु, प्रिय प्रजा दुःखारी
सो नृप अवसि नरक अधिकारी

(जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुःखी होती है ऐसा राजा नरक को जाता है।)

(3) चारों पदार्थ करत ताके
मातु-पितु प्रमोद चरित सुनि जाके

(जिस पुत्र के चरित्र या गुणों को सुन कर माता-पिता का हृदय प्रफुल्लित होता है उस पुत्र के हाथ में चारों पदार्थ अर्थात् धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष आ जाते हैं।)

मनुष्य प्रभु की सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है और उसका कर्त्तव्य ही धर्म का संग्रह करना है। यह मनुष्य-जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है, जिसको पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं :—

"दुलर्भो मानुषो देहे, वैभव नैव शाश्वत्
नित्य सन्निहितो मृत्यु, कर्त्तव्य धर्म संग्रहः"

(अर्थात् मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, वैभव स्थायी नहीं है। मृत्यु प्रत्येक पल निकट

आती जा रही है। अतः एकमात्र कर्त्तव्य है धर्म का संग्रह करना)

आज का मानव इस यथार्थ को भूल गया है। इसीलिए, वह हिंसा, द्वेष, परनिन्दा, झूठ, भ्रष्टाचार जैसे तामसी कृत्यों का क्रीतदास बन कर अधर्माचरण करने लगा है।

मनुष्य पशुवत् आचरण तभी करने लगता है जब उसके ज्ञान को अज्ञान ढक लेता है। जब तक वह अज्ञानी है तब तक वह पशुवत् ही है—**"अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः"** परन्तु, जब उसमें श्रद्धा का उदय हो जाता है और वह ज्ञानार्जन के लिए तत्पर हो जाता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है जिसे पाना उसका अंतिम उद्देश्य है और मनुष्य-जन्म की सार्थकता भी—

"श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।"

(अर्थात् ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धावान हो, संयमी हो और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह तत्काल ही परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है।)

जो व्यक्ति श्रद्धारहित होते हैं, अज्ञान होते हैं, संशयात्मना होते हैं उन्हें न तो सुख ही मिलता है और न ही यह लोक या परलोक उनके लिए शांतिप्रद होता है। इसलिए प्रत्येक मानव का कर्त्तव्य है, धर्म है कि वह ज्ञानार्जन करे क्योंकि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य अन्ततः किसी न किसी ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं **"सर्वं कर्माखिलं ज्ञाने परिसमाप्यते"**। ज्ञान ही वह अग्नि है जिसमें हमारे समस्त कर्म जल जाते हैं **"ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणाम्"** और हमारा अन्तःकरण निर्मल, शुद्ध, चैतन्ययुक्त हो जाता हैं।

यदि हम उपर्युक्त विचार-रश्मियों के आलोक में राष्ट्रभाषा हिंदी के परिदृश्य का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि संस्कृत की बेटी हिंदी भारतीय संस्कृति का प्राण-तत्व है। हमारे वाङ्मय का मूल मंत्र **"ॐ"** शब्द की ध्वनि है जिसे ब्रह्मस्वरूप माना गया है। बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उसके रोने की आवाज में यही ध्वनि निःसृत होती है। जब हमें कभी कोई चोट लगती है तो भी बरबस हमारे मुंह से "ओह मां !" शब्द उच्चरित हो जाता है। इस प्रकार की नैसर्गिक घटनाएं संकेत करती हैं कि हमारी भाषा का मूल संस्कृत है और जैसाकि भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है अपने धर्म में जीना ही कल्याणकारी है, वैसे ही **अपनी भाषा में काम करना ही हमारा सहज स्वभाव है, हमारा धर्म है, हमारी भारतीयता का प्रमाण है।**

आज हम अंग्रेजी का अंधानुकरण करते हुए अपनी अस्मिता को भूल चूके हैं। भारतीय संस्कृति की उस गरिमा को भूल चुके हैं, उस मर्यादा को भूल चुके हैं जो राम-लक्ष्मण के जीवन के आचरण में देखने को मिलती है। दोनों भाई एक साथ उत्पन्न हुए परन्तु जो

सम्मान, जो सहयोग, जो विश्वास लक्ष्मण ने राम को दिया वह आज के युग में बेटा बाप को नहीं देता। आज का युग हमारी वैचारिक विकृति का द्योतक है। हमारे विचारों पर अंग्रेजों की दासता का प्रभुत्व इतना अधिक हो गया है कि हम अपने स्वभाव, अपनी संस्कृति की गरिमा, अपने प्रभुत्व और अपने गुरूत्व को विस्मृत कर चुके हैं। परिणामतः अपनी ही भाषा का प्रचार-प्रसार करने के लिए आज भी हमें करोंड़ो रुपया खर्च करना पड़ रहा है जिससे अन्यथा लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है। अपनी ही धरती में, अपने ही देश में विदेशी भाषा के भूत को भगाने के लिए हमें आज अपनी भाषा का प्रचार करने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम बनाने पड़ रहे हैं और आधी शताब्दी बीत जाने पर भी अभी तक हम संविधान निर्माताओं की संकल्पना को पूरा नहीं कर पाए हैं। यह स्थिति हमारे दृष्टिकोण, हमारी कर्त्तव्य भावना, धार्मिक विचारधारा, सांस्कृतिक और संवैधानिक निष्ठा सभी के समक्ष एक प्रश्न-चिह्न लगा देती है।

प्रत्येक व्यक्ति में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। जब दैवी प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है तो वह सद्विचारों, सत्कर्मों और सदाचार की ओर उन्मुख होता है और जब आसुरी प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है तो वह कुविचारों, कुकर्मों और कदाचारों की ओर प्रवृत्त होता है। जिस समय हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ते चले जाएंगे और आम जनता की हम अधिक अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे। लेकिन ये सब हो तो कैसे हो ? इसके लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी श्रेष्ठ व्यक्तियों को, जो समाज में या राष्ट्र में स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जैसा वे स्वयं आचरण करेंगे समाज के अन्य प्राणी भी वैसा ही आचरण करने लगेंगे।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुवर्तते।।

(अर्थात् श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं समस्य मनुष्य समुदाय उसके अनुसार ही काम करने लग जाता है।)

कारण, कार्य और फल एक ऐसा सूत्र है जिससे हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। **यदि हमारी योजना सफल नहीं हो पा रही है तो हमें सर्वप्रथम उस कारण को ढूंढ़ना होगा जिसके कारण हमें विफलता का सामना करना पड़ रहा है।** जैसी हमारी योजना की रूपरेखा होगी वैसा ही हमारा कर्म होने लगेगा और जिस प्रकार का हमारा कार्य होगा उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होगी।

उपनिदेशक (राजभाषा), योजना मंत्रालय, नई दिल्ली

बाल श्रम की समस्या : 21वीं सदी को चुनौती

—अमरेश पटेल

बच्चे देश के भविष्य तथा देश के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर होते हैं। आज के बच्चे कल युवा तथा प्रौढ़ होकर खेलकूद, राजनीति, समाज-सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, जन संचार, सिनेमा आदि के क्षेत्र में अपने प्रतिभा तथा योग्यता के बल पर देश का नाम रौशन करेंगे तथा देश को नेतृत्व प्रदान करेंगे और कुछ बच्चे सेना में भर्ती होकर अपने देश के दुश्मनों को मारकर, हराकर अपने देश की एक-एक इंच भूमि की सुरक्षा करेंगे। किन्तु प्रश्न उठता है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले आज के बच्चे अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, मनोरंजन के साथ कितना विकास कर रहे हैं। 1991 ई. की जनगणना के अनुसार भारत में **14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या 30 करोड़ थी।** आज वर्तमान सन् 2000 ई. में इन बच्चों की संख्या **35 करोड़** है अर्थात एक तिहाई से अधिक आबादी भारत में बच्चों की है। भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन बच्चों में 40 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक विद्यालय तक अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं अर्थात 40 प्रतिशत बच्चे शिक्षा विकास की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। इन 40 प्रतिशत बच्चों से भी दयनीय स्थिति उन बच्चों की है जो स्कूल का प्रवेश द्वारा देखना तो दूर, अपने जीवन को जीने के लिए मजदूरी करते हैं। जी हां मैं 'बाल श्रम' की बात कर रहा हूं।

'बाल श्रम' का अर्थ है—ऐसा बालक जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी न की हो और अपनी आजीविका के लिए काम करना शुरू कर दे। विश्व में आज बाल श्रमिकों की संख्या 25 करोड़ है। भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 2 करोड़ है। गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। बड़ौदा के आर्गेनाइजेशन रिसर्च ग्रुप के अनुसार भारत में **4 करोड़ 40 लाख से अधिक बाल श्रमिक हैं।** सेन्टर फॉर कन्सर्न ऑफ चाइल्ड लेबर के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 100 करोड़ है। भारत में कुल बाल श्रमिकों का 20 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है। 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व अन्य गतिविधियों में 86.4 प्रतिशत बच्चे कार्यरत है। इनका एक थोड़ा हिस्सा खेतिहरों और मजदूरों के रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है—शहरी क्षेत्र, जहां कुल कारीगरों का एक तिहाई भाग बाल श्रमिकों का है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अध्ययन में दर्शाया गया है कि भारत में (1995-96) 30 करोड़ बच्चे है, जिसमें हर सातवां बच्चा मजदूरी के काम में लगा हुआ है। बाल श्रमिकों में 63 प्रतिशत बड़ी उम्र के किशोर, 22 प्रतिशत मध्यम उम्र के किशोर तथा शेष 15 प्रतिशत नादान कही जाने वाले उम्र के बच्चे हैं।

बढ़ते औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप जनसंख्या की ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की

ओर पलायन की प्रवृत्ति ने बाल श्रम की समस्या को प्रोत्साहित किया है। **कृषि क्षेत्र में एक सामाजिक परंपरा हमारे देश में बाल श्रम होता रहा है।** विभिन्न सरकारों, स्वयंसेवी संस्थानों और शोधकर्ताओं आदि ने बाल श्रम के विभिन्न कारणों का उल्लेख विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है। कुछ ने तर्कों के आधार पर, कुछ ने तथ्यों के आधार पर, कुछ ने विचारधाराओं के आधार पर तो कुछ ने अपनी व्यावहारिक प्रतिबद्धता के आधार पर बाल श्रम के कारण बताए हैं। गरीबी, बच्चों के माता-पिता की अशिक्षा तथा अज्ञानता, बड़े परिवार, परिवार में किसी कमाऊ व्यक्ति का न होना, बच्चों के प्रति परिवार का नकारात्मक रवैया, दुर्व्यवहार और पारिवारिक विघटन, शैक्षिक विफलता, बाढ़, सूखा, भूकम्प, तूफान, दंगे, महामारी, युद्ध, दास प्रथा, परिवार की घुमक्कड़ प्रकृति, ऋणग्रस्तता, शराब, जुए, गन्दी बस्ती, शरणार्थी समस्या, भूमि सुधार की विफलता, श्रम कानूनों का समुचित कार्यान्वयन न होना आदि बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं।

अशिक्षा, गरीबी और बाल श्रम में सकारात्मक संबंध है। बच्चों के माता-पिता की गरीबी, अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण बाल श्रमिकों की बढ़ती सेवायोजन की प्रकृत्ति, असंगठित क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी है क्योंकि बाल श्रम की सौदेबाजी क्षमता शून्य है और यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। **यह असंगठित क्षेत्र ही बाल श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार देता है।** कहा जा सकता है कि संगठित क्षेत्र को बाल श्रम के मामले में जितना प्रतिबंधित और संरक्षित किया जाता है, उतना ही बाल श्रमिक असंगठित क्षेत्र की ओर बढ़ते जाते हैं। **बच्चों का श्रम आज मुख्य रूप से माचिस उद्योग, पटाखा उद्योग, खनन उद्योग, होटल उद्योग, बीड़ी उद्योग, बागानों, बेकरी उद्योग, काष्ठ कला उद्योग, डायमण्ड कटिंग, शू पॉलिशिंग, चूना, ईंट-भट्ठे, भवन निर्माण, ऑटो रिपेयरिंग, रेस्टुरेन्ट, ढाबों, घरेलू नौकर, कृषि, होकिंग, लोडिंग, रिक्शा चालन, चर्म उद्योग, कालीन उद्योग, दर्जी, पेपर बाटना, विवाह में लाइट उठाना आदि हैं। ऐसी सैंकड़ों इकाईयां और है, जो गिनती में नहीं है लेकिन वहां हजारों की संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं।**

1996 ई. के 'समाज कल्याण' पत्रिका के वर्ष 42वें अंक 4 में डा. गणेश कुमार पाठक ने अपने शोध पत्र "बाल श्रमिक, कारण, समस्याएं और समाधान" में भारत में लगे प्रमुख उपक्रमों में लगे बाल श्रमिकों की संख्या का उल्लेख किया है। डॉ. जी. के पाठक के अनुसार शिवकाशी तमिलनाडु के माचिस एवं पटाखा उद्योग में 50,000 से 80,000 बाल श्रमिक, केरल तथा मेघालय के पत्थर खादानों में 48,000 बाल श्रमिक, मरकापुर आन्ध्रप्रदेश तथा मदसौर मध्य प्रदेश के पत्थर खादानों में 62,000 बाल श्रमिक, केरल के मत्स्य पालन में 30,000 बाल श्रमिक, कांचीपुरम्, तिरुवनंतपुरम्, त्रिपुरा तथा तिरुपुर तमिलनाडु के हथकरघा उद्योग में 30,000 बाल श्रमिक, सम्पूर्ण भारत के बीड़ी उद्योग में 3,27,500 बाल श्रमिक, जम्मू-कश्मीर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कालीन उद्योग में 1,00,000 से 1,50,000 बाल श्रमिक, ताला उद्योग अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 7,000 से 10,000 बाल श्रमिक, कांच उद्योग फिरोजबाद उ. प्र. में 50,000 बाल श्रमिक, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा उत्तर प्रदेश में 50,000 बाल श्रमिक, रत्न पालिस जयपुर राजस्थान में 33,000 बाल श्रमिक, सिल्क

वस्त्र बुनाई वाराणसी उत्तर प्रदेश में 6,517 बाल श्रमिक, हस्तकला उद्योग जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम में 50,000 बाल श्रमिक, श्रम करते हैं। बाल श्रमिकों में सबसे दयनीय स्थिति **बन्धुआ बाल श्रमिकों** की है जो कानूनी प्रावधानों से बचने के लिए प्रायः रोजगार देने वाले मालिकों से साठ-गाठ कर लेते हैं, और परिणामतः रोजगार देने वाला मालिक इस तरह के बाल श्रमिकों का शोषण ही करता है। शोषण के विस्तार की सीमा कुछ हो सकती है भूमिगत खादानों से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्ठियों तक जहां बाल मजदूर काम पर जुटे रहने को अभिशप्त है। चूंकि वयस्कों की अपेक्षा बच्चे शारीरिक, मानसिक तथा सांगठिक रूप से बेहद कमजोर होते है, इसलिए अन्य वर्ग की मजदूर की तुलना में उनके शोषण की सम्भावना अधिक बनी रहती है। **बच्चों को भूमिगत खादानों, खतरनाक मशीनों और रसायनों के जोखिम भरे सम्पर्क में रहकर बेहद विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है।** उन्हें चलती मशीन के नीचे धूल इकट्ठा करना, बिना सुरक्षा उपकरणों के वेल्डिंग का काम तथा संकरे स्थानों तथा गाड़ियों के नीचे लेटकर काम करना पड़ता है। कई मामलों में बाल श्रमिकों से 12 से 16 घण्टे काम कराया जाता है लेकिन बदले में भरपेट भोजन और ढंग का वस्त्र भी नहीं मिलता है। बन्धुआं बाल श्रमिकों में बीमार होने पर ढंग से उपचार कराया जाता है, बीमारी गंभीर होने पर इन्हें उनके श्रम का मूल्य भूगतान किए बगैर मालिक भगा देते हैं। यूनिसेफ द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बाल श्रमिकों में 71 प्रतिशत भागने की स्थिति में गम्भीर रूप से पीटे जाते हैं तथा उन्हें मानसिक और शारीरिक यंत्रणाएं दी जाती हैं। बाल श्रम के कई मामलों में बंद कमरों, घुटन भरे माहौल और रसायनों के बीच बच्चों को बेहद बारीक काम करने पड़ते हैं नतीजन उन्हें छोटी उम्र में ही बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं। लम्बे समय एक एकरस काम बच्चों का शरीर झेल नहीं पाता और बड़ों की अपेक्षा बीमारियों के दुष्परिणाम उनके शरीर पर शीघ्र दिखने लगते हैं। पहले ही कुपोषण के शिकार वे इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो बैठते हैं। बाल श्रमिकों में काम के दौरान होने वाले रोगों में दमा, जलन, नेत्र दोष, तपेदिक, श्वास नली शोध, सिलिकोसिस, ऐंठन, अपंगता, कै, श्वास सम्बन्धी रोग, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, चर्म रोग, संक्रामक रोग, टेटनस, सर्दी एवं खासी, स्नायु संबंधी बीमारी, उत्तेजना, ताप अघात, सांस दोष, कंजक्टीवाइटिस, टी. बी., निमोनियां तथा कभी-कभी मृत्यु हो जाती है। बाल श्रमिकों में यह रोग शीशा संबंधी कार्य, ईंट-भट्ठा, पीतल बर्तन, बीड़ी, हथकरघा, पावरलूम, जरी-कटाई, रूबी, हीरा कटाई, रद्दी चुनना, माचिस-पटाखा उद्योग, स्लेट उद्योग, कृषि, चूड़ी उद्योग, मिट्टी बर्तन निर्माण, पत्थर तथा स्लेट घनन, गुब्बारा, कालीन उद्योग, ताला उद्योग, रासायनिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्य करने से होता है।

सुप्रसिद्ध न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र ने एकबार कहा था, "बच्चे को जन्म देकर उसका सही लालन-पालन न करना मानवाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन हैं।" बच्चों द्वारा मजदूरी करवाना किसी भी देश के लिए एक कलंक की बात है। बचपन से मजदूरी करवाने वाले अभिभावक तथा नियोक्ता दोनों पाशविक मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। निस्संदेह ऐसे अमानवीय कृत्य पर प्रतिबन्ध लगना ही चाहिए। भारत का संविधान देश को 'लोक

कल्याणकारी राज्य' घोषित करता है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक; विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, असहाय, विकलांग, महिलाओं तथा वृद्धों के कल्याण का दायित्व प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी मानी गयी है। बच्चों को भी राज्य के द्वारा विशेष सहायता और संरक्षण देने का निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। भारत के संविधान में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी विकास तथा उनके शोषण के विरुद्ध उनके संरक्षण के कानून बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-15(3) द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रबन्ध करे, ऐसा करना समानता के अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद-23 में बच्चों के क्रय-विक्रय और उनसे गैर-कानूनी तथा अनैतिक कार्य कराने पर रोक लगाई गई है। साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना परिश्रम के काम कराना भी प्रतिबंधित है। अनुच्छेद-24 में 14 वर्ष की उम्र से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खादानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद-39 में बच्चे के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद-39(ई) में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के लिए घातक हों। अनुच्छेद-45 में देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध कराना राज्य को कहा गया है। यद्यपि उपयुक्त संवैधानिक प्रावधान राज्य के लिए केवल नीति निर्देशक तत्व हैं, बाध्यताएं नहीं है तथापि राज्य का यह दायित्व है कि वह संवैधानिक प्रावधानों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करे क्योंकि लोक कल्याण और विकास से बढ़कर अन्य कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है।

भारत में ब्रिटिश शासन का ध्यान सर्वप्रथम बाल श्रम जैसी विकट समस्या पर गया और 1881 ई. में खादानों एवं कारखानों में काम कर रहे बच्चों की सुरक्षा के कानूनी प्रयास प्रारम्भ हुए, लेकिन यह कोशिश सिर्फ खानापूर्ति ही साबित हुई। तब से लेकर अब तक बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए, जिनमें प्रमुख हैं—

खदान अधिनियम, 1901
फैक्टरी अधिनियम, 1911
भारतीय खदान अधिनियम, 1923
फैक्टरी संशोधित अधिनियम, 1926
भारतीय बंदरगाह अधिनियम (संशोधित), 1931
चाय बागान मजदूर अधिनियम, 1932
बाल बंधुआ श्रम अधिनियम, 1933
फैक्टरी संशोधित अधिनियम, 1934
भारतीय खदान संशोधित अधिनियम, 1935
बाल रोजगार अधिनियम, 1938
बागान श्रम अधिनियम, 1951

खादान अधिनियम, 1951
खदान अधिनियम, 1952
फैक्टरी संशोधित अधिनियम, 1954
व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958
मोटर ट्रांसपोर्ट मजदूर अधिनियम, 1961
बीड़ी एवं सिगार मजदूर (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966
बाल रोजगार संशोधित अधिनियम, 1978
बाल श्रम (उन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम, 1961

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बनाई गई जिसके अर्न्तगत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, और सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। बाल श्रम (अन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत कुछ विशेष व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाया गया। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां बाल श्रमिक प्रतिबंधित नहीं हैं, वहां काम की दशाओं तथा शर्तो के नियमन को भी सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम के अर्न्तगत जो क्षेत्र बाल श्रम के लिए प्रतिबंधित हैं, उनमें बीड़ी बनाना, कालीन बुनाई, सीमेन्ट निर्माण एवं भराई, वस्त्र छपाई, रंगाई व बुनाई, दिया सलाई, विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों का निर्माण, अभ्रक कटाई एवं विखण्डन, वार्निश युक्त चमड़ा निर्माण, साबुन निर्माण, चमड़ा रंगाई, ऊन बुनाई तथा भवन निर्माण आदि शामिल हैं।

बच्चों को रोजगार से दूर रखने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति के अर्न्तगत अन्य बातों के अलावा जिन क्षेत्रों में बाल मजदूरों की संख्या अधिक है, वहां उनके कल्याण के लिए आश्यकतानुसार परियोजनाएं प्रारम्भ करना जैसें—व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल आदि शामिल हैं। इस तरह की अब तक नौ परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है जिसके तहत स्कूल भी खोले गए हैं। शिवकाशी, मिर्जापुर-भदोही, जयपुर, मंदसौर, मरकापुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा जग्गय पेट स्थानों पर संचालित इन बालश्रम कल्याण योजनाओं के अर्न्तगत 102 विद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। इनमें 5,8. बालकों को प्रवेश दिया गया है।

मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की समस्या के मद्देनजर 1994-95 के शिक्षा-सत्र में 'शिक्षा के लिए अन्न' का मार्गदर्शी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम में जितने दिन कमाऊ बच्चा विद्यालय जाता है, उतने दिन की मजदूरी के बराबर अनाज सरकार उसके अभिभावकों को देती हैं। बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए बाल श्रमिक उन्मूलन परियोजना पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिए 600 विशेष विद्यालय खोले गए हैं।

10 दिसंबर 1996 को एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सभी खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम पर प्रतिबन्ध लगा दिया

2249 HA/2000—5A

गया तथा बाल श्रमिकों के पुर्नवास के लिए एक 'कल्याण कोष' बनाने का आदेश जारी हुआ। इससे पहले अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली में बच्चों से श्रम कराने वाली सात औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया दिया। अदालत ने ऐसे प्रत्येक नियोजनकर्ता को 20,000 रुपए मुआवज़ा के रूप में जमा करने के निर्देश जारी किए जो बाल बाल श्रमिकों को जोखिम भरे उद्योग में लगाए हुए हैं। इस तरह हटाए गए प्रत्येक बच्चे के परिवार के किसी सदस्य को उनके स्थान पर नौकरी पर रखने के लिए भी संबंधित सरकार को निर्देश दिया गया है अथवा इसके स्थान पर प्रत्येक ऐसे बच्चे के लिए **5,000 रुपए के हिसाब से सरकार द्वारा उक्त कल्याण कोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया** है। इसके अतिरिक्त सरकार को कार्यरत सभी बच्चों के लिए छह माह के अंदर सर्वेक्षण पूर्ण कर लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्रत्येक ऐसे बच्चे के परिवार को उक्त 25,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। जोखिम भरे कार्यों से हटाए गए प्रत्येक बच्चे को किसी उपयुक्त संस्थान में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार को निर्देशित किया गया तथा बाल श्रमिकों को प्रतिदिन काम के दौरान दो घण्टे का समय शिक्षा प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया जिसका खर्च **नियोजक** वहन करेगा। सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह यह देखे कि उद्योगों में कार्यरत बच्चों के काम के घण्टे 4 से 6 के बीच ही हों।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार बताया गया तथा सरकार को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था और प्रावधान तत्काल पूर्ण करने के लिए निर्देश किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस व्यवस्था के अर्न्तगत सभी ऐसे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम-से-कम दो शिक्षक, अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में कानून पास करने तथा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए न्यूनतम योग्यता के मानदण्डों को विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सितम्बर 1990 में 'राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान' में श्रम मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण, शोध परियोजनाएं आदि चलाने के लिए 'बाल श्रमिक सेल' की स्थापना की गई है जिसके उन्हे यथासमय मुक्त करा कर अधिकार प्रदत्त कराया जा सके।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1994 को स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण में जोखिम युक्त धन्धों से बाल श्रमिकों को हटाए जाने का आह्वान किया था। इसके लिए एक कार्यकारी योजना भी तैयार की गई है, जिसके तहत खतरनाक उद्योगों में लगे लगभग 20,00,000 बच्चों को उनके काम से हटाकर स्कूलों में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके माता-पिता को भी रोजगार परक योजनाओं, विकास योजनाओं और ट्राइसेम के तहत लाभान्वित किया जाएगा ताकि वे पर्याप्त आय अर्जित करके बच्चों को श्रम के लिए

2249 HA/2000—5B

बाध्य न करे। इन सब कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए आगामी छह वर्षों के लिए 2 अक्टूबर 1994 को केन्द्र सरकार द्वारा 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 13 सितम्बर 1995 को तत्कानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 100 जनपदों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया और बाल श्रम को मिटाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य-योजना तैयार करने पर क्विार किया गया। साथ ही, बाल श्रम को समाप्त करने हेतु 1995-96 में 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन ने बच्चों तथा कम आयु के व्यक्तियों को रोजगार देने, स्वास्थ्य जांच और रात्रि कार्य से सम्बन्धित 18 घोषणा पत्रों को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1959 में बच्चों के अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र तथा 20 नवम्बर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकार किए गए बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र इस दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं। भारत सरकार ने भी 2 दिसम्बर 1992 को इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर 1993 तक 159 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस मनाने का निर्णय 1952 में लिया गया था। इसे पहली बार 1953 में अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ ने मनाया था। 1954 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाल संघ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। भारत में बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन 14 नवम्बर को प्रति वर्ष मनाया जाता है।

20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकार बाल अधिकार संबंधी घोषणा पत्र के अनुच्छेद-6 में समझौते में शामिल सभी देशों के बच्चों को समुचित शिक्षा, समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, सांस्कृति गतिविधियों, स्वस्थ जीवन, समुचित पोषण, एक नाम और एक राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार हैं। समझौते के अनुच्छेद-12 के अनुसार "बच्चों का हर मुद्दे पर अपना स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने का अधिकार है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि बच्चों को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जाए। अकारण उत्पीड़न न किया जाए। मृत्युदण्ड, कारावास, आजीवन की सजा न दी जाए। बाल अपराधियों को वयस्क कैदियों से अलग रखा जाएं।" अनुच्छेद-27 के अनुसार समझौते में शामिल सभी सरकारे स्वीकार करते हैं कि "प्रत्येक बच्चे को ऐसा जीवन-स्तर बिताने का अधिकार है जो उसके शारीरिक, मानसिक, जीवन-स्तर बिताने का अधिकार है जो उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त हों।" अनुच्छेद-28 के अनुसार, "बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार दिया जाए और प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए।" अनुच्छेद-24 के अनुसार "सभी बच्चों को बीमारी के उपचार, उच्चतम स्वास्थ्य सुविधा समुचित भोजन एवं पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।" अनुच्छेद-19 के अनुसार, "समझौते में शामिल सभी देश ऐसे सभी विद्यार्थी, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता-पिता, कानूनी अभिभावक की देख-रेख में रह रहे सभी बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, अपमान, उपेक्षा, दुर्व्यवहार

और शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके।" अनुच्छेद-32 के अनुसार, "समझौते में शामिल सभी राज्य शोषण से बच्चों की रक्षा का उपाय करेंगे जो जोखिम भरा हो।" अनुच्छेद-15 में बच्चों को संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। समझौते में शामिल सभी देशों से कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध खड़ा करने के लिए बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में 'बाल श्रमिक यूनियन' का गठन होना चाहिए।

बाल मजदूरी किसी भी सभ्य समाज तथा लोक कल्याणकारी राज्य के लिए शर्म का विषय है। **अतः इस विकट समस्या से मुक्ति पाने के लिए समग्र तथा सुविचारित प्रयासों की आवश्यकता है।** चूंकि बाल मजदूरी का प्रमुख कारण गरीबी हैं; अतः गरीबी निवारण के सार्थक और प्रभावी प्रयासों की प्राथमिक आवश्यकता है। गरीबी के कारण ही अशिक्षा तथा रुढ़िवादिता का प्रसार होता है और अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता के कारण परिवार का आकार बढ़ता है और पुनः गरीबी, निम्न स्वास्थ्य, निरक्षरता तथा बाल श्रम का फैलाव होता है। इस प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहता है। यदि हम गरीबी पर नियंत्रण पा ले तो बाल श्रम की समस्या 21वीं सदी में स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। गरीबी के अलावा दूसरा प्रमुख कारण है अशिक्षा। यह अत्यंत चिन्ताजनक विषय है कि भारत में शिक्षा की उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर सरकार ने उतनी राशि खर्च नहीं की, जितनी अपेक्षित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना से नौवीं पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा के बजट में ही सबसे अधिक कटौती की गई हैं। कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का यह मत है कि यदि भारत उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती करे और वहीं राशि बुनियादी शिक्षा पर खर्च करे तो बाल श्रमिकों को श्रमों से हटाकर विशेष विद्यालयों अथवा निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा सकता है।

आजादी के 50 वर्षों के दौरान हुए शिक्षा के असंतुलित विकास के बाद यही रास्ता रह जाता है कि हम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिए जाने की मांग करें और जागृत तथा उपयोगी शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम चलाए। यही कदम उन वर्जनाओं, भ्रांतियों को दूर करेगा जो कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा उन्हें स्कूल में भेजने को लेकर व्याप्त हैं।

बाल श्रम की समस्या का हल समाज के सिर्फ एक तबके द्वारा नहीं खोजा जा सकता बल्कि जिस परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, वहां से लेकर उस देश की सरकार और सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह बाल श्रम को जारी रखना चाहता है अथवा उसका उन्मूलन करना चाहता है। बाल श्रम की प्रथा रोकने और खत्म करने के लिए एक सुलझी हुई और समग्र रणनीति अपनाने की जरूरत है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है।

— गहन सर्वेक्षण
— कठोर कानूनों का निर्माण
— जन जागरण अभियान,
— राजनीति दृढ़ इच्छा शक्ति,

- कुशल प्रशासनिक तंत्र
- गैर सरकारी तबकों का सहयोग
- प्राथमिक शिक्षा पर जोर
- बाल श्रम और न्यायिक सक्रियता
- बाल श्रम पुर्नवास तथा कल्याण कोष की स्थापना।
- शिक्षा राशि में बढ़ोत्तरी,
- विकास तथा कल्याणकारी कार्यक्रम
- श्रम कानूनों का सही तथा त्वरित कार्यान्वयन,
- कानून का उल्लंघन करने वाले सेवायोजक पर हर्जाना तथा कैद सजा का प्रावधान,

बाल मजदूरी एक जटिल तथा बहुआयामी समस्या होने के कारण इसका निदान भी बहुआयामी होगा। बाल श्रम को नेस्तानाबूत करने के लिए समाज के सभी तबकों जैसे—श्रमिक संघ, बुद्धजीवी वर्ग, शिक्षक, छात्र, पत्रकार, साहित्यकार, व्यापारी, सहित्यकर्मी आदि को इस कार्यक्रम के निर्धारण से लेकर कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन तक में सहभागिता होना आवश्यक हैं। समस्त मानवता प्रेमी लोगों को मिलकर इनके अरमानों-कल्पनाओं और सपनों को जीवंत बनाए रखना हैं, क्योंकि इन बच्चों के सपने मर गए तो मानवता भी दम तोड़ देगीं।

द्वारा चन्द्रा सदन, एन 8/200 बी-23ए नेवादा, सुंदरपुर (बीएचयू) वाराणसी-318346

"साहस का अवलंबन करो. गर्व से कहो कि मै भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है. भारतवासी मेरे प्राण हैं. भारत की देवदेवियां मेरे ईश्वर हैं. भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है." — ओमप्रकाश शर्मा : स्वामी विवेकानंद

जनगणना 2001 : प्रथम चरण : मकान सूचीकरण—'नई चुनौतियां'

—सुरेश रैना

देश का हो सके समुचित विकास
सही सटीक जनगणना का प्रयास

किसी भी देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी प्राकृतिक सम्पदा, मानव शक्ति और भौगोलिक स्थिति की सही-सही जानकारी हासिल की जाए ताकि उसी के अनुसार उनके पूर्ण उपयोग तथा विकास की योजनाएं बना कर उत्तरोत्तर विकास सुनिश्चित किया जा सके। देश में इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि प्रगति के मार्ग पर चलते हुए भारत देश किसी अन्य देश की तुलना में पीछे न रहे। योजना बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जान लें कि हमारे देश के कितने स्थान में कितने लोग बसते हैं और उनके पास क्या सुख-सुविधाएं उपलब्ध है और क्या नहीं है। जब तक हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं होगी, हम कैसे जान पाएंगे कि देश की जनता के लिए हम अब तक कितनी सुविधाएं जुटा पाए हैं और अभी कितना प्रयास करना बाकी है। जनगणना के माध्यम से यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना संगठन एकत्रित करने का प्रयास करता है।

भारत जैसे विशाल देश की पूरी भौगोलिक सीमाओं के साथ विभिन्न भाषा-भाषी जनमानस की गणना और इसके साथ ही उनकी शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है या यूं कहिए कि

घर-घर और बेघर परिवारों की गणना
रहते बसते जन-जन की गणना
काम कठिन है नहीं आसान
जनगणना संगठन महान

वस्तुतः यह काम जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। आम नागरिक को यह लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कुछ लोग आते हैं और घर परिवार के लोगों की गिनती कर लिख ले जाते हैं। परन्तु वास्तव में इन गिनती को पूरा करने और फिर उन आंकड़ों के अथाह सागर में से विभिन्न जानकारी रूपी मोती और सीपियों को अलग-अलग करना कितना कठिन है और कैसे किया जाता है इसकी एक झलक देने का प्रयास यहां

किया गया है।

भारत की जनगणना 2001 का गणना कार्य 2 चरणों में किया जाएगा (1) मकान सूचीकरण और (ख) जनसंख्या की गणना अर्थात् लोगों की गिनती। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पहले चरण का कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अप्रैल-जून 2000 के दौरान किया जाएगा और दूसरे चरण अर्थात् 'जनसंख्या की गणना' का कार्य फरवरी-मार्च 2001 के दौरान किया जाएगा। जनगणना के लिए मकान सूचीकरण अर्थात् मकानों की गिनती करके उन्हें नम्बर देने और सूची तैयार करने का कार्य पहले करना आवश्यक होता है। इससे लोगों की गिनती करने का आधार तेयार किया जाता है। मकान सूचीकरण कार्य में उन सभी मकानों का पता लगाना होता है जो रहने या किसी अन्य प्रयोजन के उपयोग में आते हैं। इसके साथ ही खाली मकानों जिनके आबाद होने की सम्भावना होती है उनका पता भी लगाया जाता है। इसलिए, मकान सूचीकरण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे बस्तियों की परिस्थितियों, मकानों की कमी और आवास सम्बन्धी नीतियां तैयार करने और मकानों की भावी जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक आंकड़ों का आधार भी उपलब्ध होगा। इससे परिवारों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं विषयक ठोस आंकड़े भी प्राप्त होंगे। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और योजना-निर्माण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और गैर-सरकारी संगठनों को इन आंकड़ों की काफी आवश्यकता रहती है।

जनगणना से पूर्व मकान सूचीकरण का कार्य किया जाता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि से परामर्श करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी एकत्र करने के लिए एक मकानसूची अनुसूची तैयार की जाती है। इस अनुसूची में प्रश्नों की भाषा इस प्रकार की रखी जाती है कि उसे प्रगणक और उत्तरदाता सभी आसानी से समझ सकें। भारत की जनगणना 2001 की मकानसूची अनुसूची में कुल 34 कालम शामिल किए गए हैं जबकि 1991 की जनगणना की मकानसूची अनुसूची में 24 कालम ही थे। इस प्रकार, इस बार मकानसूची अनुसूची का काफी विस्तार किया गया है ताकि नई सहस्त्राब्दि के प्रारम्भ में भारत के लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

भारत की जनगणना, 2001 की मकानसूची अनुसूची में कई नए प्रश्न शामिल किए गए हैं। जनगणना मकान की दीवार, छत और फर्श में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के बारे में पहले भी जानकारी प्राप्त की गई थी लेकिन इस बार मकान के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाएगी कि मकान की हालत कैसी है अर्थात् अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण-शीर्ण है।

परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों अर्थात् पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अभी

तक प्रत्येक जनगणना में पूछी जाती रही है लेकिन इस बार परिवार में सामान्यतः रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या और उनमें से ऐसे दम्पत्तियों की संख्या भी पूछी जाएगी जिनके पास सोने के लिए अलग शयनकक्ष हैं। इससे यह पता चल सकेगा कि अभी भी ऐसे कितने दम्पत्ति हैं जिनके पास अलग शयनकक्ष भी नहीं है।

परिवार को उपलब्ध पीने के पानी और बिजली की सुविधाओं सम्बन्धी प्रश्नों में भी संशोधन किए गए हैं। इस बार 'झरना' को भी पीने के पानी का स्रोत मानते हुए उसे अलग से कोड दिया गया है। पिछली जनगणना में यह तो पता लगाया गया था कि परिवार को बिजली की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इस बार इस प्रश्न को और बारीकी से पूछा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रकाश के लिए परिवार किस स्रोत का प्रयोग करता है जैसे बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा इत्यादि। शौचालय के सम्बन्ध में पिछली जनगणना की तुलना में इस बार यह भी पूछा जाएगा कि शौचालय किस प्रकार का है अर्थात् सर्विस शौचालय या गड्ढा (पिट) शौचालय या वाटर क्लोजेट शौचालय है।

अब हम भारत की जनगणना, 2001 की मकानसूची अनुसूची में जोड़े गए नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बहुत सोच-विचार कर महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए जोड़े गए हैं, जैसे कि मकान के गन्दे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है—ढ़की हुई नाली से, खुली नाली से अथवा किसी भी नाली से नहीं; मकान के अन्दर स्नानगृह है या नहीं; मकान के अन्दर रसोईघर है या नहीं; परिवार के पास ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, साइकिल, स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड तथा कार/जीप/वैन (अपने उपयोग के लिए) है या नहीं और बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं।

एक समय था जब टेलीविजन, टेलीफोन, स्कूटर, कार आदि विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थी लेकिन आज के बदलते युग में ये वस्तुएं जीवन का अनिवार्य अंग बन गई हैं। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने के साथ यह जानना भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश के कितने परिवारों को अभी तक वे सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। अतः इन प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से उन विशेष क्षेत्रों का पता चल सकेगा जहां ये सुविधाएं अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं। सरकार उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में समर्थ हो सकेगी।

प्रगणक का महत्व और जिम्मेदारी : अब प्रश्न यह उठता है कि यह सारी जानकारी इतने बड़े पैमाने पर हासिल कैसे की जाएगी। इसके लिए मूलतः सभी राज्यों में प्राइमरी और हाई स्कूल के अध्यापकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हें मकानसूची अनुसूची फार्म को भरने का भली-भांति प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रगणक द्वारा भरा गया यह फार्म ही जनगणना का महत्वपूर्ण दस्तावेज दिया जाता है। जनगणना की यह आधारशिला कही जा सकती है और प्रगणक उस नींव का रचयिता होता है जिस पर भवन तैयार होता है। प्रगणक का कार्य अत्यन्त कठिन कार्य है। सुबह से लेकर देर रात तक उसे

यह जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है क्योंकि शहरों में अधिकांश दम्पत्ति प्रायः दोनों ही कामकाजी होते हैं और दिन में घर पर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। अतैव उनको यह सूचना रात को भी जाकर एकत्रित करनी पड़ती है। यूं कहिए कि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूरा करने के लिए प्रगणक को रात-दिन इस कार्य में जुटना पड़ता है। इसीलिए, कह सकते हैं कि प्रगणक राष्ट्रीय महत्व के कार्य-जनगणना में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाता है। प्रगणक जिसकी नियुक्ति जनगणना अधिनियम के अधीन की जाती है, सर्वप्रथम अपने ब्लाक का नज़री नक्शा तैयार करता है, मकानसूची अनुसूची में प्रत्येक जनगणना मकान की स्थिति, घर कच्चा है कि पक्का, दीवारें किससे बनी हैं, छत किससे बनी है, रसोईघर, स्नानगृह और शौचालय उपलब्ध है अथवा नहीं, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है, घर में प्रयोग में लाया जाने वाला ईंधन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं, वाहन जैसे मोटर, स्कूटर, साइकिल तथा बैंकिग सुविधाओं सम्बन्धी समस्त जानकारी भरता है और अपने हस्ताक्षर करके पर्यवेक्षक को देता है। पर्यवेक्षक उन जानकारी को जांच कर अपने चार्ज अधिकारी को सौंपता है जिसे वह जनगणना अधिकारी को भेजता है। यह सारी जानकारी कोड संख्या में होती है जिसे बाद में सारणीबद्ध कर लिया जाता है और पुस्तक, फ्लापी डिस्क और सी.डी. के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है। यह समस्त जानकारी योजनाकारों, अनुसंधानकर्त्ताओं और आंकड़े प्रयोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार कराई जाती है।

जनगणना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जनगणना से सम्बन्धित पूरी जानकारी गोपनीय है तथा इसक उपयोग केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। इस जानकारी का किसी कानूनी सिविल कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जनगणना अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस जानकारी को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। प्रगणक को यह भी आदेश दिए गए हैं कि फार्म भरते समय वह किसी अनाधिकृत या असम्बद्ध व्यक्ति को अपने साथ न रखें। इसलिए, जनता की यह भ्रान्ति निर्मूल है कि इस जानकारी का उपयोग उनके विरुद्ध किया जा सकता है। जनगणना में प्रगणक को पूरा सहयोग देकर आप राष्ट्रीय महत्व का कार्य करते हैं जिसके लिए आप जनगणना अधिनियम के अन्तर्गत बाध्य भी हैं। जनगणना एक अच्छे राष्ट्र की पहचान है। आपके द्वारा दी गई सही जानकारी से देश की प्रगति और विकास की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार आप भी इस कार्य में सहर्ष सहयोग देकर देश की प्रगति और विकास में सहभागी होंगे। अतः जनगणना में शामिल होकर भविष्य की योजनाओं में शामिल होने का गौरव हासिल करें क्योंकि 'भारत के जन-जन की कहानी, जनगणना संगठन की जुबानी, हमको अब है सुनानी।'

उपनिदेशक (रा.भा.) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नॉर्थ विंग, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

पर्यावरण प्रदूषण एवं महिलाओं का स्वास्थ्य

—डा. एस. के. वर्मा एवं आर. के. वर्मा

भारत की जनसंख्या के साथ ही मानव के रहन-सहन के स्तर एवं भरण-पोषण की सामान्य समस्याओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु शहरों में औद्योगिक इकाइयों एवं कल कारखानों का विकास हुआ। खेती में नए-नए आयाम एवं उन्नतिशील बीज तथा प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं यातायात की सुविधाओं के लिए वृक्षों को काट कर सड़कों का निर्माण किया गया। मानव कल्याण की प्रगति के साथ-साथ उसके आस-पास स्वच्छ और सुन्दर पर्यावरण की भी आधार-भूत आवश्यकता है जहां एक ओर वैज्ञानिक उपलब्धियों में मानव जीवन में सुगमता अवश्य ही प्रदान की है वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2001 तक समस्त मानव जाति की बीमारियों का निराकरण कर स्वास्थ्य जीवन की कल्पना कर रहा है वहीं बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण प्राणी जगत की नवीन बीमारियों का जनक सिद्ध हो रहा है। महिलाएं प्रायः मुनष्यों की अपेक्षा दैहिक दृष्टिकोण से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अति सम्वेदनीय होती हैं। क्योंकि महिलाएं अशिक्षा, घर के कांम का बोझ, खाना बनाने के लिए धुएं भरी रसोइयों में काम, प्रजनन, कुपोषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अस्वास्थ्य-प्रद रहन-सहन, पशुओं के चारे की व्यवस्था एवं पारिवारिक समस्याओं से अधिकतर ग्रसित रहती हैं। महिलाओं का जीवन प्राकृतिक संसाधनों के विनाश से अधिक दूभर हो गया है जिससे भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कल्पना करना सूर्य को दीया दिखाना प्रतीत होती है। औद्योगिक इकाइयों, कल-कारखानों, ईंट-भट्टों एवं वाहनों में फ्यूल के जलने से निकलने वाले धुएं में कार्बन-मोनो-आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइह, बेन्जीन, फिनोल, क्रेस्टाल, टालुईन और पाली ऐरोमोटिक हाइड्रो कार्बन आदि। विभिन्न पदार्थ होते है जो महिलाओं में शरीर के तंतुओं तक आक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे स्नायु दुर्बलता, दृष्टि शक्ति में कमी, दर्द, खांसी, आंखों में जलन, अनेक उपादान विषाक्त, कैन्सर जनक और श्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के गिरने में निम्नलिखित कारक बुरा प्रभाव डालते हैं :—

1. पशुओं के-चारे की समस्या : उत्तर भारत में सामान्यतः पशुओं के चारे लाने एवं उसकी कुट्टी बनाने का कार्य महिलाएं ही करती हैं विशेषकर पर्वतीय अंचल एवं राजस्थान की महिलाएं पशुओं के लिए चारा एकत्र करने के लिए कुछ दूरी से लेकर 5-6 कि.मी. तक जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन दूरस्थ स्थान तक आना जाना एवं ऊपर से एकत्र किए चारे का भार-उनकी शारीरिक क्षमता को अधिक प्रभावित करता है। इतना ही नहीं पालतू पशुओं के चारे के लिए दूर-दूर ऊंचे-नीचे टीलों एवं पहाड़ियों तथा वृक्षों के पत्तों को चारे के लिए एकत्र करने के लिए वृक्षों पर चढ़कर काटना अति जोखिम भरा कार्य है। कभी-कभी

तो महिलाएं ऊंची पहाड़ियों की चोटियों एवं पशुओं के चारे के लिए वृक्षों से पत्ते काटते समय नीचे जमीन पर गिर जाती हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा वे अपंग हो जाती हैं। इस प्रकार कार्य की अधिकता से शरीर कमजोर एवं रूग्णावस्था में हो जाने की वजह से पर्यावरण के प्रति ज्यादातर सम्वेदनशील होती हैं।

2. ईंधन की समस्या : भारत वर्ष में ईंधन के रूप में लकड़ी, लकड़ी तथा पत्थर के कोयले एवं मवेशियों के गोबर के उपलों का उपयोग किया जाता है। टाडा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 20,000 लाख व्यक्ति लकड़ी और मवेशियों के गोबर को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं जिसे एकत्र करने के लिए लगभग 5000 लाख महिलाएं और बच्चे प्रतिदिन लगभग दो घण्टे का समय लगाते हैं। इस कार्य के लिए इन्हें काफी दूर एवं बड़ी एरिया में भटकना पड़ता है। पर्वतीय अंचल एवं राजस्थान के राजस्थान में ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लिए महिलाओं को दूरस्त ऊबड़-खाबड़ एवं ऊंची-नीची पहाड़ियों एवं टीलों पर भटकना पड़ता है जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे कमजोर रहती हैं।

3. पानी की समस्या : भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर वनों के कटान से जंगल नष्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन वर्षा की कमी होती जा रही है। जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है वह अनिश्चित होती है जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जलाशय एवं जल स्रोत सूख रहे हैं। पर्वतीय अंचल के हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर कम वर्षा पड़ती है जिसकी वजह से पहाड़ियों में बहने वाली नदियों के जल स्तर में दिन प्रति दिन गिरावट आती जा रही है। जो भी थोड़े-बहुत जलाशयों में जल व जल स्रोत हैं उनके जल के अव्यवहारिक उपयोग से जल प्रदूषित हो रहा है। नदियों में जल स्तर के गिरावट के कारण मैदानी क्षेत्रों व राजस्थान में जमीन में पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है जिससे कुओं से पानी ऊपर तक लाने तथा हस्त पाइप से पानी निकालकर जरूरत के अनुसार पानी पूरे दिन व रात की पूर्ति के लिए जमा करना दिन प्रति-दिन कठिन होता जा रहा है। पानी निकालकर जमा करने का काम केवल महिलाएं ही करती हैं। वे इस कार्य में 4 से 6 घण्टे तक का समय लगाती हैं।

4. अव्यवस्थित रसोईघर : भारतवर्ष में अधिकतर शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चूल्हे में लकड़ी, लकड़ी का बुरादा या गोबर से निर्मित उपले जलाए जाते हैं। जो महिलाएं अंगीठी का उपयोग करती हैं वे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी, लकड़ी एवं पत्थर के कोयले आदि ईंधन के रूप में जलाती हैं। चूल्हे की बनावट वैज्ञानिक न होने के कारण किसी भी प्रकार का ईंधन जलाने से रसोई में धुएं का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। पारम्परिक रसोइयों में धुआं निकलाने के लिए चिमनी एवं खिड़की तक नहीं होती है जिससे धुआं बाहर नहीं निकल पाता है। रसोइयों में गन्दा पानी निकलने के लिए भली प्रकार नालियां नहीं होती हैं जिससे रसोइयों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहीं-कहीं पर आवासीय भवनों में रसोई के अभाव में रहने के स्थान पर खाना चूल्हे में लकड़ी आदि को जलाकर

पकाया जाता है। पर्वतीय अंचल में सर्दियों की ठण्ड से बचने के लिए लकड़ी अथवा लकड़ी या पत्थर के कोयले अंगीठी में जलाए जाते हैं जिसके जलने से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस एवं विषाक्त विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर अत्यधिक बुरा प्रभाव डालते हैं और वे श्वास रोगों से भी ग्रसित हो जाती हैं। विश्व संगठन के अनुसार वातावरण में विषैले पदार्थों की 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर मात्रा होने पर और बेन्जो-ए-थाइरीन की जरा सी मात्रा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घातक पाई जाती है।

महिलाएं दिन में सामान्यतया 3-4 घण्टे रसोई में ही कार्य करती हैं। इस दौरान सांस के साथ विभिन्न विषैली गैस विशेषकर कठिन मोनोआक्साइड उनके शरीर में पहुंच जाती है जो रक्त में प्रोटोहोम नामक अवयव में उपस्थित लोह अणुओं के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पदार्थ बनाती है। सामान्य अवस्था में इसी स्थान पर आक्सीजन का समावेश होता है।

अतः कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में ही आक्सीजन की कमी हो जाने से शरीर में केन्द्रीय स्नायुतंत्र पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के शरीर में इस गैस की अधिक मात्रा में पहुंचने पर असमान्य प्रजनन होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार रक्त में आक्सीजन की कमी से 50 प्रतिशत लड़कियां 25-30 प्रतिशत वयस्क महिलाएं तथा 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं ग्रसित पाई गई हैं। मां के साथ नवजात शिशु भी रहते हैं जो प्रदूषण की चपेट में आने से वृद्धि-विकास में असमानता, संकुचित फेफड़े श्वास रोग एवं अन्धापन के शिकार भी हो सकते हैं।।

5. सामाजिक कुरीतियां : भारतीय समाज में बहुत बड़ी संख्या में कुरीतियां प्राप्त हैं जिनका भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय अंचल में खेत में हल लगाने के अलावा घर से लेकर खेती के कार्यों का दायित्व महिलाओं का ही होता है। पशुशाला से लेकर घर की साफ़-सफाई, पशुओं का गोबर बाहर फेंकना, पशुओं की देख-रेख व चारा आदि की व्यवस्था, खेत में बीज बोना, फसल की निराई–गुडाई, फसल पकने पर कटाई व अनाज की मड़ाई हुए अनाज को घर तक लाना व उसको कुठलों में भरना, धान से चावल निकालना आदि कार्य महिलाओं के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार महिलाएं सुबह 11. 00 बजे से शाम 10.00 बजे तक अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं धूम्रपान भी करती हैं जिससे वे तरह-तरह के रोगों से ग्रसित हो जाती हैं।

6. महानगरों में सघन रहन-सहन : महानगरों एवं शहरी क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के आवासीय एवं वाणिज्यक सघन हो गए हैं जिसके कारण घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में वायु के आवागम तथा सूर्य के प्रकाश पहुंचने की उचित व्यवस्था नहीं होती है। जिससे घरों के अन्दर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। चूंकि महिलाएं अधिक समय तक घर के अन्दर ही रहती हैं, इसलिए वे अक्सर सिर दर्द, आलस्य, दम घुटना, गला सूखना, दमा, आदि रोगों से ग्रसित हो जाती हैं।

7. **अज्ञानता और गरीबी :** भारतवर्ष में 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में जीवन-यापन करती है। जो महिलाएं ईंट-भट्टों में कार्य करती हैं एवं खेतीहर मजदूर एवं बोझा ढोने का कार्य करती हैं उनके भोजन में उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व का अभाव रहता है जिससे वे तरह-तरह की बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण का महिलाओं में निम्नलिखित प्रकार प्रभाव पड़ता है।

(अ) प्रजनन तथा गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव : आज विश्व में 50 हजार रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष लगभग एक हजार रसायन बाजार में आ जाते हैं। यह सभी रसायन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार (1) शीशा, मरकरी, कैडमियम, सेबेनियम गर्भवती महिलाओं में, गर्भपात, मनोविकल्प, मासिकधर्म में अनियमितता, बच्चों में जन्मगत विकृत्तियां एवं गर्भ का मन्द विकास, (2) कीटनाशक कार्बनिक घोल को मैं-डायोक्सेन्स पानी क्लौरीनेटेड वाई फिनाइल, कृत्रिनाशक कुछ खरपतवार नाशक (बेन्जीन/टालुईन) तथा सूत्रकृत्रिनाशी की मात्रा गर्भवती महिलाओं में पहुंच जाने से गर्भपात, जन्मगत विकार, भूत प्रसव, मन्द प्रसव, जन्मजात मनोवेकल्प, विकृत्तियां, उत्परिवर्तन, मासिक धर्म में अनियमितता, रक्त की कमी, (3) गैसों में कार्बन मोनो आक्साइड ओजोन, वे है सी वाले रसायनिकों से प्रायः भ्रूण मृत्यु, मस्तिष्क को क्षति, गर्भपात, जन्मजात विकृत्तियां, बालपनव, (4) एक्स-रे, गामा-रे, उत्परिवर्तन, मनोवेकल्प, मस्तिष्क शोध गर्भस्त शिशु को क्षति, (5) तथा अन्य पदार्थों में थलीडोमाइट, स्टिलवेस्ट्राक व एलकोहल, शिशुओं में जन्मजात विकार, यौनिक रोग, तंत्रिक अपूर्णता तथा वृद्धि रूक जाती है।

(ब) स्तन कैंसर :—ऐस्ट्रोजेन हार्मोन महिलाओं के परिपक्व अंडकोष से निस्रवित होता है जो महिलाओं में यौन सम्बन्धी विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। आरगैनोक्लोरीनेटड कीटनाशी महिलाओं के शरीर में पहुंच कर ऐस्ट्रोजेन हार्मोन जैसी क्रिया उत्पन्न करते हैं। डा. हेवर ली डेविस की खोज के अनुसार वातावरण में उपस्थित रसायन हारमोन्स जैसा व्यवहार करते हैं, वे स्तन कैंसर महिलाओं में उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जबकि डा. मैरी बुल्फ के अनुसार स्तन कैंसर वाली महिलाओं के रक्त में डी.डी.टी. के विखण्डन से उत्पन्न पदार्थ डी.डी.ई. की सादृता अधिक पाई गई है। आरगेनोक्लोरीन रसायन ऐस्ट्रोजेन वर्ग के प्रमुख हार्मोन ऐस्ट्रोडियोल से प्रतिक्रिया करता है। जिससें 16-ए्ल्फा-हाइड्रोआक्सी-रेस्ट्रोन बनता है जिसकी उपस्थिति में स्तन कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होने लगता है जिससे बाद में ट्यूमर और कैंसर हो जाता है।

(स) मां के दूध में विषाक्ता : क्षतिकारक कीटों की रोकथाम के लिए फसलों/फल पौधों पर कीटनाशियों का छिड़काव किया जाता है जिसकी मात्रा फसलों/फल पौधों द्वारा शोसित कर दोनों, फलों एंव तनों व पत्तियों में आ जाती है। ऐसे चारे को दूध देने वाले जानवरों के खाने से कीटनाशी की कुछ मात्रा दूध में आ जाती है। ऐसे दूध, अनाज व फलों का उपयोग नवजात शिशु की मां के करने से उनके शरीर में कीटनाशी संचित होते रहते हैं जो विभिन्न क्रियाओं के सम्पादन पर रक्त, ऊतकों तथा मां के दूध में आ जाते हैं जिसका

बच्चों के विकास, स्वास्थ्य एवं बुद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोयम्बटूर में एक सर्वे किया गया जिसमें 29 प्रतिशत महिलाओं के दूध कीटनाशी की मात्रा मानक सीमा (न क्षति पहुंचाने वाली मात्रा) से कई गुना अधिक पाई गई क्योंकि वहां पर किसानों द्वारा कीट नियन्त्रण के लिए वी.एच.सी. का छिड़काव व फसलों एवं फल पौधों पर अधिक लिया गया था। प्रयोग से सिद्ध किया जा चुका है कि डी.डी.टी. एवं वी.एच.सी. की 50 से 80 मि.ग्रा. मात्रा महिलाओं के शरीर में कई वर्षों तक संचय रहती हैं जो उनके स्वास्थ्य पर धीरे-धीरे बुरा प्रभाव डालती रहती हैं। इसी प्रकार हैदराबाद में मृत प्रसव करने वाली महिलाओं के रक्त में मानक सीमा से चार गुनी कीटनाशियों की मात्रा पाई गई। इस प्रकार महिलाएं एवं गर्भस्थ शिशु सर्वाधिक प्रदूषण से प्रभावित होते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय : महिलाओं में शिक्षा का प्रचार व प्रसार की त्वरित आवश्यकता है, समाज में उन्हें मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। पर्दा प्रथा समाप्त होना चाहिए। हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है जिससे गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य की जांच होती रहे, खाना पकाने की रसोइयों में वायु के आवागमन एवं धुएं के निकलने की भली प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। रसोइयों में पन्त नगर उन्नत चूल्हे ही लगाए जाएं। यदि सम्भव हो सके तो लकड़ी अथवा कोयले के स्थान पर रसोई गैस का प्रयोग किया जाए। घर खेती के आदि कार्यों में पुरुष को महिलाओं से मिलकर हाथ बांटना चाहिए। पुष्टाहार एवं भोजन में उनके साथ भेद-भाव न बर्ता जाए। गर्भवती महिलाओं को सन्तुलित पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन दिया जाए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था महिलाओं के स्वास्थ्य में चार चांद लगाती है। गरीबी के कारण अस्वास्थ्यप्रद रहन-सहन से छुटकारा दिलाने के लिए कार्य स्वच्छ आवासीय भवनों की व्यवस्था की जाए। सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाया जाए। फसलों/फल वृक्षों को क्षतिकारक कीटों की रोकथाम के लिए कम से कम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाए। बल्कि एकीकृत कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.) को अपनाया जाए। फसलों/फल वृक्षों में कम से कम रसायनों का उपयोग किया जाए। गन्दे पानी को शुद्ध रखने के लिए संयंत्र लगाए जाएं। महिलाओं की परिपक्व उम्र पर शादी की जाए। अपरपक्व उम्र पर शादी करने पर उनका रासायनिक विकास भली प्रकार नहीं हो पाता और इस उम्र पर मां बनना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। बच्चों के जन्म में कम से कम 5 साल का अन्तर रखा जाए और दो के बाद परिवार नियोजन के नियमों का पालन किया जाए जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। पानी को शुद्ध रखने के लिए गन्दे नाले के पानी को नदियों में प्रवाहित न किया जाए बल्कि इसे मोड़कर खेती के लिए उपयोग में लाया जाए।

राजकीय घाटी फल शोध केन्द्र, श्रीनगर-गढ़वाल-246174 (उत्तर प्रदेश)

मांगलिक प्रतीक—शंख

—योगेश चंद्र शर्मा

संपूर्ण चराचर जगत पर ध्वनि का निश्चित प्रभाव पड़ता है। मधुर ध्वनि हमें आह्लादित करती है और कर्णकटु ध्वनि हमें कष्ट पहुंचाती है। इसीलिए, मांगलिक अवसरों पर मधुर धुन और शोकपूर्ण अवसरों पर शोकधुन बजाई जाती है। युद्ध के समय, सैनिकों का उत्साह चढ़ाने के लिए रणवाद्य बजाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से ही शंख-ध्वनि का विशेष महत्व रहा है और इसे मांगलिक चिह्न के रूप में स्वीकारा गया है। देवपूजा में शंख का विशिष्ट स्थान रहता है और इसमें रखा जल देवताओं पर चढ़ाया जाता है। स्कन्द पुराण के अनुसार नदी, तालाब, बावड़ी और कुओं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है, वह सब गंगाजल के समान हो जाता है। 'शंख में जल, पुष्प और अक्षत रखकर देवताओं को अर्पित करना पुण्य की बात समझी जाती है। भक्तगण, शंख में रखे जल को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। इसीलिए, देव पूजा के उपरान्त तथा अन्य अवसरों पर भी मन्दिर में उपस्थिति भक्तों पर शंख-जल छिड़का जाता है। शुभ कार्यों को करने से पहले शंख वादन हमारे यहां आम परम्परा रही है। नए राजा के राज्यारोहण के अवसर पर जोर शोरों से शंखवादन किया जाता था। रणवाद्य के रूप में बजाया जाने वाला शंख वीरोचित उत्साह की सृष्टि करता था।

तकनीकी रूप से शंख, संमुद्री जीव घोंघे का आवास स्थान या उसका खोल मात्र है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए समुद्र में उपलब्ध चूने से स्वयं बनाता है। इस समुद्री जीव के रीढ़ की हड्डी नहीं होती और शारीरिक रूप से यह बहुत नाजुक होता है। इसलिए, उसे अपनी सुरक्षा हेतु इस प्रकार का मजबूत खोल आवश्यक है। उसकी कुछ ग्रन्थियां पानी से चूना लेने और उसे अपने शरीर के ऊपर आवश्यकता के अनुसार आकृति देने में सक्षम होती हैं। घोंघे की मृत्यु हो जाने के उपरान्त ये शंख तैरते हुए पानी से ऊपर आ किनारे पर आ जाते हैं। वहीं से इन्हें एकत्रित किया जाता है। शंख हमें कई रंगों में प्राप्त होते हैं। कुछ शंखों पर अन्य रंगों की धारियां भी होती हैं। शंख की आकृति भी अनेक प्रकार की होती है। अब तक इसकी हजारों प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जा चुका है। कौड़ियां आदि भी घोंघे की ही खोल हैं। जन्तु वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में शंख जाति के जीव ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है कि उसने एक साधारण समुद्री जीव के खोल को भी गहराई से अध्ययन किया, शोध किया और उसकी विशेषताओं को पहचान कर उसे इतना ऊंचा स्थान दिया।

शंख के कालात्मक सौंदर्य ने विश्व के अन्य देशों को भी मोहित किया है। फ्रांस की लगभग पच्चीस हजार वर्ष से भी अधिक पुरानी क्रो मेगनन गुफाओं में विभिन्न प्रकार के ऐसे शंख प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः हिन्द महासागर में ही उपलब्ध होते हैं। इससे अनुमान है कि ये शंख हिन्द महासागर से ही वहां ले जाए गए होंगे। ईसा से लगभग एक हजार

वर्ष पूर्व शंखों के व्यापार किये जाने के भी प्रमाण मिले हैं। प्राचीन रोमन जनरल स्किपियो आफिकैनस को शंखों के संग्रह का शौक था। उसका यह संग्रहालय, पौपेयी नामक स्थान की खुदाई के समय प्राप्त हुआ और तभी उसे इसं शौक की जानकारी मिली। पश्चिमी देशों में शंखों के बारे में जानकारी संभवतः उन यात्रियों के माध्यम से पहुंची, जो प्रायः भारत सहित विश्व भर में भ्रमण किया करते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोप में शंखों के बारे में कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जिससे शंखों के प्रति उन देशों की रुचि और अधिक बढ़ी। अनेक व्यक्तियों ने शंख-संग्रह को अपने शौक के रूप में अपनाया और अनेक प्रकार के शंख एकत्रित किए। ब्रिटिश संग्रहालय में भी अनेक बहुमूल्य शंख सहेज कर रखे हुए हैं।

शंख की मूल उत्पत्ति के संदर्भ में शिव पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा का उल्लेख है, जिसके अनुसार सुदामा नामक एक कृष्ण भक्त ने शापवश दानवराज शंख चूड़ के रूप में जन्म लिया और तब भगवान शिव से उसका भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान विष्णु की सहायता से उसका वध किया गया और उसके अस्थी पंजर को समुद्र में डाल दिया गया। कालांतर में यही अस्थी पंजर शंख के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसे सुदामा की भक्ति के कारण पवित्र माना गया। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में शंख भी एक था। इसलिए, इसे रत्नों की श्रेणी में रखा गया। नौ निधियों में शंख को भी एक निधि के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन साहित्य में शंख के अनेक नामों का उल्लेख है। यथा परिभर, कम्बु, महानाद, दीर्घनाद, हरिप्रिया, अरूणोभव और पवन ध्वनि आदि।

प्राचीन साहित्य में अनेक अवसरों पर शंख की चर्चा की गई है। वैदिक काल के प्रमुख देवता वरुण के पास शंख होने का उल्लेख है। यही शंख समुद्र द्वारा युधिष्ठिर को भेंट किया गया और इसी शंख में जल लेकर कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। महाभारत युद्ध के उपरान्त भी युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कृष्ण द्वारा शंख में भरे जल से किया गया था। राज्याभिषेक के समय अधीनस्थ तथा मित्र राजाओं के द्वारा युधिष्ठिर को जो वस्तुएं भेंट की गईं, उनमें बहुमूल्य शंख भी थे। इनमें एक शंख ऐसा भी था, जो अन्नदान करने पर स्वयं बज उठता था। कालिदास ने 'कुमार संभव' में स्वामी कार्तिकेय के जन्म पर शंख ध्वनि की चर्चा की है। पुत्र जन्मोत्सव के अन्य अनेक अवसरों पर भी शंख ध्वनि की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में है। जन मान्यता के अनुसार जन्म के तत्काल बाद शंख ध्वनि सुनने वाला बालक साहसी, योग्य, बुद्धिमान और दीर्घजीवी होता है। यत्र तत्र समय की सूचना देने के लिए भी शंख ध्वनि का उल्लेख है। स्वयंवरों में लड़की के आगमन पर शंख ध्वनि की जाती थी। सिन्धु घाटी सभ्यता के उत्खनन में शंख से निर्मित अनेक आभूषण तथा कलाकृतियां भी प्राप्त हुईं हैं। दिग्विजय के लिए निकले हर्ष को पच्चीकारी से सजे संवरे शंख के पानदान और चषक भेंट में देने का उल्लेख भी मिलता है। शंख से बनी चूड़ी, कंगन, अंगूठी तथा माणिबंध आदि की जानकारी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हर्ष चरित' से प्राप्त होती है। विवाह के समय वधू के हाथों में बंधे कंकण में आज भी छोटे शंख बांधने की प्रथा है। भगवान विष्णु के पांच जन्म शंख की चर्चा अनेक प्राचीन ग्रन्थों में है, जो उन्हें समुद्र से प्राप्त हुआ था। अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण इसी पाञ्चजन्य को बजाया करते थे, जिससे पांडव सेना में उत्साह

खादान अधिनियम, 1951
खदान अधिनियम, 1952
फैक्टरी संशोधित अधिनियम, 1954
व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958
मोटर ट्रांसपोर्ट मजदूर अधिनियम, 1961
बीड़ी एवं सिगार मजदूर (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966
बाल रोजगार संशोधित अधिनियम, 1978
बाल श्रम (उन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम, 1961

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बनाई गई जिसके अर्न्तगत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, और सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। बाल श्रम (अन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत कुछ विशेष व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाया गया। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां बाल श्रमिक प्रतिबंधित नहीं हैं, वहां काम की दशाओं तथा शर्तो के नियमन को भी सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम के अर्न्तगत जो क्षेत्र बाल श्रम के लिए प्रतिबंधित हैं, उनमें बीड़ी बनाना, कालीन बुनाई, सीमेन्ट निर्माण एवं भराई, वस्त्र छपाई, रंगाई व बुनाई, दिया सलाई, विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों का निर्माण, अभ्रक कटाई एवं विखण्डन, वार्निश युक्त चमड़ा निर्माण, साबुन निर्माण, चमड़ा रंगाई, ऊन बुनाई तथा भवन निर्माण आदि शामिल हैं।

बच्चों को रोजगार से दूर रखने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति के अर्न्तगत अन्य बातों के अलावा जिन क्षेत्रों में बाल मजदूरों की संख्या अधिक है, वहां उनके कल्याण के लिए आश्यकतानुसार परियोजनाएं प्रारम्भ करना जैसे--व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल आदि शामिल हैं। इस तरह की अब तक नौ परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है जिसके तहत स्कूल भी खोले गए हैं। शिवकाशी, मिर्जापुर-भदोही, जयपुर, मंदसौर, मरकापुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा जग्गय पेट स्थानों पर संचालित इन बालश्रम कल्याण योजनाओं के अर्न्तगत 102 विद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। इनमें 5,8. बालकों को प्रवेश दिया गया है।

मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की समस्या के मद्देनजर 1994-95 के शिक्षा-सत्र में 'शिक्षा के लिए अन्न' का मार्गदर्शी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम में जितने दिन कमाऊ बच्चा विद्यालय जाता है, उतने दिन की मंजदूरी के बराबर अनाज सरकार उसके अभिभावकों को देती हैं। बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए बाल श्रमिक उन्मूलन परियोजना पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिए 600 विशेष विद्यालय खोले गए हैं।

10 दिसंबर 1996 को एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सभी खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम पर प्रतिबन्ध लगा दिया

2249 HA/2000—5A

गया तथा बाल श्रमिकों के पुर्नवास के लिए एक 'कल्याण कोष' बनाने का आदेश जारी हुआ। इससे पहले अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली में बच्चों से श्रम कराने वाली सात औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया दिया। अदालत ने ऐसे प्रत्येक नियोजनकर्ता को 20,000 रुपए मुआवज़ा के रूप में जमा करने के निर्देश जारी किए जो बाल बाल श्रमिकों को जोखिम भरे उद्योग में लगाए हुए हैं। इस तरह हटाए गए प्रत्येक बच्चे के परिवार के किसी सदस्य को उनके स्थान पर नौकरी पर रखने के लिए भी संबंधित सरकार को निर्देश दिया गया है अथवा इसके स्थान पर प्रत्येक ऐसे बच्चे के लिए **5,000 रुपए के हिसाब से सरकार द्वारा उक्त कल्याण कोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया है।** इसके अतिरिक्त सरकार को कार्यरत सभी बच्चों के लिए छह माह के अंदर सर्वेक्षण पूर्ण कर लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्रत्येक ऐसे बच्चे के परिवार को उक्त 25,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। जोखिम भरे कार्यों से हटाए गए प्रत्येक बच्चे को किसी उपयुक्त संस्थान में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार को निर्देशित किया गया तथा बाल श्रमिकों को प्रतिदिन काम के दौरान दो घण्टे का समय शिक्षा प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया जिसका खर्च **नियोजक** वहन करेगा। सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह यह देखे कि उद्योगों में कार्यरत बच्चों के काम के घण्टे 4 से 6 के बीच ही हों।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार बताया गया तथा सरकार को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था और प्रावधान तत्काल पूर्ण करने के लिए निर्देश किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए **संविधान संशोधन भी किया जा रहा है।** इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस व्यवस्था के अर्न्तगत सभी ऐसे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम-से-कम दो शिक्षक, अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में कानून पास करने तथा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए न्यूनतम योग्यता के मानदण्डों को विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सितम्बर 1990 में 'राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान' में श्रम मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण, शोध परियोजनाएं आदि चलाने के लिए 'बाल श्रमिक सेल' की स्थापना की गई है जिसके उन्हे यथासमय मुक्त करा कर अधिकार प्रदत्त कराया जा सके।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1994 को स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण में जोखिम युक्त धन्धों से बाल श्रमिकों को हटाए जाने का आह्वान किया था। इसके लिए एक कार्यकारी योजना भी तैयार की गई है, जिसके तहत खतरनाक उद्योगों में लगे लगभग 20,00,000 बच्चों को उनके काम से हटाकर स्कूलों में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके माता-पिता को भी रोजगार परक योजनाओं, विकास योजनाओं और ट्राइसेम के तहत लाभान्वित किया जाएगा ताकि वे पर्याप्त आय अर्जित करके बच्चों को श्रम के लिए

2249 HA/2000—5B

बाध्य न करे। इन सब कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए आगामी छह वर्षों के लिए 2 अक्टूबर 1994 को केन्द्र सरकार द्वारा 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 13 सितम्बर 1995 को तत्कानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 100 जनपदों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया और बाल श्रम को मिटाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य-योजना तैयार करने पर क्विार किया गया। साथ ही, बाल श्रम को समाप्त करने हेतु 1995-96 में 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन ने बच्चों तथा कम आयु के व्यक्तियों को रोजगार देने, स्वास्थ्य जांच और रात्रि कार्य से सम्बन्धित 18 घोषणा पत्रों को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1959 में बच्चों के अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र तथा 20 नवम्बर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकार किए गए बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र इस दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं। भारत सरकार ने भी 2 दिसम्बर 1992 को इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर 1993 तक 159 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस मनाने का निर्णय 1952 में लिया गया था। इसे पहली बार 1953 में अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ ने मनाया था। 1954 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाल संघ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। भारत में बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन 14 नवम्बर को प्रति वर्ष मनाया जाता है।

20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकार बाल अधिकार संबंधी घोषणा पत्र के अनुच्छेद-6 में समझौते में शामिल सभी देशों के बच्चों को समुचित शिक्षा, समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, सांस्कृति गतिविधियों, स्वस्थ जीवन, समुचित पोषण, एक नाम और एक राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार हैं। समझौते के अनुच्छेद-12 के अनुसार "बच्चों का हर मुद्दे पर अपना स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने का अधिकार है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि बच्चों को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जाए। अकारण उत्पीड़न न किया जाए। मृत्युदण्ड, कारावास, आजीवन की सजा न दी जाए। बाल अपराधियों को वयस्क कैदियों से अलग रखा जाए।" अनुच्छेद-27 के अनुसार समझौते में शामिल सभी सरकारे स्वीकार करते हैं कि "प्रत्येक बच्चे को ऐसा जीवन-स्तर बिताने का अधिकार है जो उसके शारीरिक, मानसिक, जीवन-स्तर बिताने का अधिकार है जो उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त हों।" अनुच्छेद-28 के अनुसार, "बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार दिया जाए और प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए।" अनुच्छेद-24 के अनुसार "सभी बच्चों को बीमारी के उपचार, उच्चतम स्वास्थ्य सुविधा समुचित भोज़न एवं पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।" अनुच्छेद-19 के अनुसार, "समझौते में शामिल सभी देश ऐसे सभी विद्यार्थी, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता-पिता, कानूनी अभिभावक की देख-रेख में रह रहे सभी बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, अपमान, उपेक्षा; दुर्व्यवहार

और शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके।" अनुच्छेद-32 के अनुसार, "समझौते में शामिल सभी राज्य शोषण से बच्चों की रक्षा का उपाय करेंगे जो जोखिम भरा हो।" अनुच्छेद-15 में बच्चों को संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। समझौते में शामिल सभी देशों से कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध खड़ा करने के लिए बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में 'बाल श्रमिक यूनियन' का गठन होना चाहिए।

बाल मजदूरी किसी भी सभ्य समाज तथा लोक कल्याणकारी राज्य के लिए शर्म का विषय है। **अतः इस विकट समस्या से मुक्ति पाने के लिए समग्र तथा सुविचारित प्रयासों की आवश्यकता है।** चूंकि बाल मजदूरी का प्रमुख कारण गरीबी हैं; अतः गरीबी निवारण के सार्थक और प्रभावी प्रयासों की प्राथमिक आवश्यकता है। गरीबी के कारण ही अशिक्षा तथा रुढ़िवादिता का प्रसार होता है और अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता के कारण परिवार का आकार बढ़ता है और पुनः गरीबी, निम्न स्वास्थ्य, निरक्षरता तथा बाल श्रम का फैलाव होता है। इस प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहता है। यदि हम गरीबी पर नियंत्रण पा ले तो बाल श्रम की समस्या 21वीं सदी में स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। गरीबी के अलावा दूसरा प्रमुख कारण है अशिक्षा। यह अत्यंत चिन्ताजनक विषय है कि भारत में शिक्षा की उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर सरकार ने उतनी राशि खर्च नहीं की, जितनी अपेक्षित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना से नौवीं पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा के बजट में ही सबसे अधिक कटौती की गई हैं। कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का यह मत है कि यदि भारत उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती करे और वहीं राशि बुनियादी शिक्षा पर खर्च करे तो बाल श्रमिकों को श्रमों से हटाकर विशेष विद्यालयों अथवा निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा सकता है।

आजादी के 50 वर्षों के दौरान हुए शिक्षा के असंतुलित विकास के बाद यही रास्ता रह जाता है कि हम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिए जाने की मांग करें और जागृत तथा उपयोगी शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम चलाए। यही कदम उन वर्जनाओं, भ्रांतियों को दूर करेगा जो कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा उन्हें स्कूल में भेजने को लेकर व्याप्त हैं।

बाल श्रम की समस्या का हल समाज के सिर्फ एक तबके द्वारा नहीं खोजा जा सकता बल्कि जिस परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, वहां से लेकर उस देश की सरकार और सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह बाल श्रम को जारी रखना चाहता है अथवा उसका उन्मूलन करना चाहता है। बाल श्रम की प्रथा रोकने और खत्म करने के लिए एक सुलझी हुई और समग्र रणनीति अपनाने की जरूरत है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है।

- गहन सर्वेक्षण
- कठोर कानूनों का निर्माण
- जन जागरण अभियान,
- राजनीति दृढ़ इच्छा शक्ति,

— कुशल प्रशासनिक तंत्र
— गैर सरकारी तबकों का सहयोग
— प्राथमिक शिक्षा पर जोर
— बाल श्रम और न्यायिक सक्रियता
— बाल श्रम पुर्नवास तथा कल्याण कोष की स्थापना।
— शिक्षा राशि में बढ़ोत्तरी,
— विकास तथा कल्याणकारी कार्यक्रम
— श्रम कानूनों का सही तथा त्वरित कार्यान्वयन,
— कानून का उल्लंघन करने वाले सेवायोजक पर हर्जाना तथा कैद सजा का प्रावधान,

बाल मजदूरी एक जटिल तथा बहुआयामी समस्या होने के कारण इसका निदान भी बहुआयामी होगा। बाल श्रम को नेस्तानाबूत करने के लिए समाज के सभी तबकों जैसे—श्रमिक संघ, बुद्धजीवी वर्ग, शिक्षक, छात्र, पत्रकार, साहित्यकार, व्यापारी, सहित्यकर्मी आदि को इस कार्यक्रम के निर्धारण से लेकर कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन तक में सहभागिता होना आवश्यक हैं। समस्त मानवता प्रेमी लोगों को मिलकर इनके अरमानों-कल्पनाओं और सपनों को जीवंत बनाए रखना है, क्योंकि इन बच्चों के सपने मर गए तो मानवता भी दम तोड़ देगीं।

द्वारा चन्द्रा सदन, एन 8/200 बी-23ए नेवादा, सुंदरपुर (बीएचयू) वाराणसी-318346

"साहस का अवलंबन करो. गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है. भारतवासी मेरे प्राण हैं. भारत की देवदेवियां मेरे ईश्वर हैं. भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है." — ओमप्रकाश शर्मा : स्वामी विवेकानंद

जनगणना 2001 : प्रथम चरण : मकान सूचीकरण—'नई चुनौतियां'

—सुरेश रैना

देश का हो सके समुचित विकास
सही सटीक जनगणना का प्रयास

किसी भी देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी प्राकृतिक सम्पदा, मानव शक्ति और भौगोलिक स्थिति की सही-सही जानकारी हासिल की जाए ताकि उसी के अनुसार उनके पूर्ण उपयोग तथा विकास की योजनाएं बना कर उत्तरोत्तर विकास सुनिश्चित किया जा सके। देश में इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि प्रगति के मार्ग पर चलते हुए भारत देश किसी अन्य देश की तुलना में पीछे न रहे। योजना बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जान लें कि हमारे देश के कितने स्थान में कितने लोग बसते हैं और उनके पास क्या सुख-सुविधाएं उपलब्ध है और क्या नहीं है। जब तक हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं होगी, हम कैसे जान पाएंगे कि देश की जनता के लिए हम अब तक कितनी सुविधाएं जुटा पाए हैं और अभी कितना प्रयास करना बाकी है। जनगणना के माध्यम से यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना संगठन एकत्रित करने का प्रयास करता है।

भारत जैसे विशाल देश की पूरी भौगोलिक सीमाओं के साथ विभिन्न भाषा-भाषी जनमानस की गणना और इसके साथ ही उनकी शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है या यूं कहिए कि

घर-घर और बेघर परिवारों की गणना
रहते बसते जन-जन की गणना
काम कठिन है नहीं आसान
जनगणना संगठन महान

वस्तुतः यह काम जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। आम नागरिक को यह लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कुछ लोग आते हैं और घर परिवार के लोगों की गिनती कर लिख ले जाते हैं। परन्तु वास्तव में इन गिनती को पूरा करने और फिर उन आंकड़ों के अथाह सागर में से विभिन्न जानकारी रूपी मोती और सीपियों को अलग-अलग करना कितना कठिन है और कैसे किया जाता है इसकी एक झलक देने का प्रयास यहां

किया गया है।

भारत की जनगणना 2001 का गणना कार्य 2 चरणों में किया जाएगा (1) मकान सूचीकरण और (ख) जनसंख्या की गणना अर्थात् लोगों की गिनती। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पहले चरण का कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अप्रैल-जून 2000 के दौरान किया जाएगा और दूसरे चरण अर्थात् 'जनसंख्या की गणना' का कार्य फरवरी-मार्च 2001 के दौरान किया जाएगा। जनगणना के लिए मकान सूचीकरण अर्थात् मकानों की गिनती करके उन्हें नम्बर देने और सूची तैयार करने का कार्य पहले करना आवश्यक होता है। इससे लोगों की गिनती करने का आधार तेयार किया जाता है। मकान सूचीकरण कार्य में उन सभी मकानों का पता लगाना होता है जो रहने या किसी अन्य प्रयोजन के उपयोग में आते हैं। इसके साथ ही खाली मकानों जिनके आबाद होने की सम्भावना होती है उनका पता भी लगाया जाता है। इसलिए, मकान सूचीकरण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे बस्तियों की परिस्थितियों, मकानों की कमी और आवास सम्बन्धी नीतियां तैयार करने और मकानों की भावी जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक आंकड़ों का आधार भी उपलब्ध होगा। इससे परिवारों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं विषयक ठोस आंकड़े भी प्राप्त होंगे। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और योजना-निर्माण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न् विभागों और गैर-सरकारी संगठनों को इन आंकड़ों की काफी आवश्यकता रहती है।

जनगणना से पूर्व मकान सूचीकरण का कार्य किया जाता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि से परामर्श करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी एकत्र करने के लिए एक मकानसूची अनुसूची तैयार की जाती है। इस अनुसूची में प्रश्नों की भाषा इस प्रकार की रखी जाती है कि उसे प्रगणक और उत्तरदाता सभी आसानी से समझ सकें। भारत की जनगणना 2001 की मकानसूची अनुसूची में कुल 34 कालम शामिल किए गए हैं जबकि 1991 की जनगणना की मकानसूची अनुसूची में 24 कालम ही थे। इस प्रकार, इस बार मकानसूची अनुसूची का काफी विस्तार किया गया है ताकि नई सहस्त्राब्दि के प्रारम्भ में भारत के लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

भारत की जनगणना, 2001 की मकानसूची अनुसूची में कई नए प्रश्न शामिल किए गए हैं। जनगणना मकान की दीवार, छत और फर्श में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के बारे में पहले भी जानकारी प्राप्त की गई थी लेकिन इस बार मकान के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाएगी कि मकान की हालत कैसी है अर्थात् अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण-शीर्ण है।

परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों अर्थात् पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अभी

तक प्रत्येक जनगणना में पूछी जाती रही है लेकिन इस बार परिवार में सामान्यतः रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या और उनमें से ऐसे दम्पत्तियों की संख्या भी पूछी जाएगी जिनके पास सोने के लिए अलग शयनकक्ष हैं। इससे यह पता चल सकेगा कि अभी भी ऐसे कितने दम्पत्ति हैं जिनके पास अलग शयनकक्ष भी नहीं है।

परिवार को उपलब्ध पीने के पानी और बिजली की सुविधाओं सम्बन्धी प्रश्नों में भी संशोधन किए गए हैं। इस बार 'झरना' को भी पीने के पानी का स्रोत मानते हुए उसे अलग से कोड दिया गया है। पिछली जनगणना में यह तो पता लगाया गया था कि परिवार को बिजली की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इस बार इस प्रश्न को और बारीकी से पूछा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रकाश के लिए परिवार किस स्रोत का प्रयोग करता है जैसे बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा इत्यादि। शौचालय के सम्बन्ध में पिछली जनगणना की तुलना में इस बार यह भी पूछा जाएगा कि शौचालय किस प्रकार का है अर्थात् सर्विस शौचालय या गड्ढा (पिट) शौचालय या वाटर क्लोजेट शौचालय है।

अब हम भारत की जनगणना, 2001 की मकानसूची अनुसूची में जोड़े गए नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बहुत सोच-विचार कर महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए जोड़े गए हैं, जैसे कि मकान के गन्दे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है—ढ़की हुई नाली से, खुली नाली से अथवा किसी भी नाली से नहीं; मकान के अन्दर स्नानगृह है या नहीं; मकान के अन्दर रसोईघर है या नहीं; परिवार के पास ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, साइकिल, स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड तथा कार/जीप/वैन (अपने उपयोग के लिए) है या नहीं और बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं।

एक समय था जब टेलीविजन, टेलीफोन, स्कूटर, कार आदि विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थी लेकिन आज के बदलते युग में ये वस्तुएं जीवन का अनिवार्य अंग बन गई हैं। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने के साथ यह जानना भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश के कितने परिवारों को अभी तक वे सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। अतः इन प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से उन विशेष क्षेत्रों का पता चल सकेगा जहां ये सुविधाएं अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं। सरकार उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में समर्थ हो सकेगी।

प्रगणक का महत्व और जिम्मेदारी : अब प्रश्न यह उठता है कि यह सारी जानकारी इतने बड़े पैमाने पर हासिल कैसे की जाएगी। इसके लिए मूलतः सभी राज्यों में प्राइमरी और हाई स्कूल के अध्यापकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हें मकानसूची अनुसूची फार्म को भरने का भली-भांति प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रगणक द्वारा भरा गया यह फार्म ही जनगणना का महत्वपूर्ण दस्तावेज दिया जाता है। जनगणना की यह आधारशिला कही जा सकती है और प्रगणक उस नींव का रचयिता होता है जिस पर भवन तैयार होता है। प्रगणक का कार्य अत्यन्त कठिन कार्य है। सुबह से लेकर देर रात तक उसे

यह जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है क्योंकि शहरों में अधिकांश दम्पत्ति प्रायः दोनों ही कामकाजी होते हैं और दिन में घर पर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। अतैव उनको यह सूचना रात को भी जाकर एकत्रित करनी पड़ती है। यूं कहिए कि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूरा करने के लिए प्रगणक को रात-दिन इस कार्य में जुटना पड़ता है। इसीलिए, कह सकते हैं कि प्रगणक राष्ट्रीय महत्व के कार्य-जनगणना में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाता है। प्रगणक जिसकी नियुक्ति जनगणना अधिनियम के अधीन की जाती है, सर्वप्रथम अपने ब्लाक का नज़री नक्शा तैयार करता है, मकानसूची अनुसूची में प्रत्येक जनगणना मकान की स्थिति, घर कच्चा है कि पक्का, दीवारें किससे बनी हैं, छत किससे बनी है, रसोईघर, स्नानगृह और शौचालय उपलब्ध है अथवा नहीं, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है, घर में प्रयोग में लाया जाने वाला ईंधन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं, वाहन जैसे मोटर, स्कूटर, साइकिल तथा बैंकिंग सुविधाओं सम्बन्धी समस्त जानकारी भरता है और अपने हस्ताक्षर करके पर्यवेक्षक को देता है। पर्यवेक्षक उन जानकारी को जांच कर अपने चार्ज अधिकारी को सौंपता है जिसे वह जनगणना अधिकारी को भेजता है। यह सारी जानकारी कोड संख्या में होती है जिसे बाद में सारणीबद्ध कर लिया जाता है और पुस्तक, फ्लापी डिस्क और सी.डी. के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है। यह समस्त जानकारी योजनाकारों, अनुसंधानकर्त्ताओं और आंकड़े प्रयोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार कराई जाती है।

जनगणना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जनगणना से सम्बन्धित पूरी जानकारी गोपनीय है तथा इसक उपयोग केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। इस जानकारी का किसी कानूनी सिविल कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जनगणना अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस जानकारी को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। प्रगणक को यह भी आदेश दिए गए हैं कि फार्म भरते समय वह किसी अनाधिकृत या असम्बद्ध व्यक्ति को अपने साथ न रखें। इसलिए, जनता की यह भ्रान्ति निर्मूल है कि इस जानकारी का उपयोग उनके विरुद्ध किया जा सकता है। जनगणना में प्रगणक को पूरा सहयोग देकर आप राष्ट्रीय महत्व का कार्य करते हैं जिसके लिए आप जनगणना अधिनियम के अन्तर्गत बाध्य भी हैं। जनगणना एक अच्छे राष्ट्र की पहचान है। आपके द्वारा दी गई सही जानकारी से देश की प्रगति और विकास की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार आप भी इस कार्य में सहर्ष सहयोग देकर देश की प्रगति और विकास में सहभागी होंगे। अतः जनगणना में शामिल होकर भविष्य की योजनाओं में शामिल होने का गौरव हासिल करें क्योंकि 'भारत के जन-जन की कहानी, जनगणना संगठन की जुबानी, हमको अब है सुनानी।'

उपनिदेशक (रा.भा.) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नॉर्थ विंग, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

पर्यावरण प्रदूषण एवं महिलाओं का स्वास्थ्य

—डा. एस. के. वर्मा एवं आर. के. वर्मा

भारत की जनसंख्या के साथ ही मानव के रहन-सहन के स्तर एवं भरण-पोषण की सामान्य समस्याओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु शहरों में औद्योगिक इकाइयों एवं कल कारखानों का विकास हुआ। खेती में नए-नए आयाम एवं उन्नतिशील बीज तथा प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं यातायात की सुविधाओं के लिए वृक्षों को काट कर सड़कों का निर्माण किया गया। मानव कल्याण की प्रगति के साथ-साथ उसके आस-पास स्वच्छ और सुन्दर पर्यावरण की भी आधार-भूत आवश्यकता है जहां एक ओर वैज्ञानिक उपलब्धियों में मानव जीवन में सुगमता अवश्य ही प्रदान की है वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2001 तक समस्त मानव जाति की बीमारियों का निराकरण कर स्वास्थ्य जीवन की कल्पना कर रहा है वहीं बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण प्राणी जगत की नवीन बीमारियों का जनक सिद्ध हो रहा है। महिलाएं प्रायः मुनष्यों की अपेक्षा दैहिक दृष्टिकोण से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अति सम्वेदनीय होती हैं। क्योंकि महिलाएं अशिक्षा, घर के काम का बोझ, खाना बनाने के लिए धुएं भरी रसोइयों में काम, प्रजनन, कुपोषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अस्वास्थ्य-प्रद रहन-सहन, पशुओं के चारे की व्यवस्था एवं पारिवारिक समस्याओं से अधिकतर ग्रसित रहती हैं। महिलाओं का जीवन प्राकृतिक संसाधनों के विनाश से अधिक दूभर हो गया है जिससे भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कल्पना करना सूर्य को दीया दिखाना प्रतीत होती है। औद्योगिक इकाइयों, कल-कारखानों, ईंट-भट्टों एवं वाहनों में फ्यूल के जलने से निकलने वाले धुएं में कार्बन-मोनो-आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइह, बेन्जीन, फिनोल, क्रेस्टाल, टालुईन और पाली ऐरोमोटिक हाइड्रो कार्बन आदि। विभिन्न पदार्थ होते है जो महिलाओं में शरीर के तंतुओं तक आक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे स्नायु दुर्बलता, दृष्टि शक्ति में कमी, दर्द, खांसी, आंखों में जलन, अनेक उपादान विषाक्त, कैन्सर जनक और श्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के गिरने में निम्नलिखित कारक बुरा प्रभाव डालते हैं :—

1. पशुओं के-चारे की समस्या : उत्तर भारत में सामान्यतः पशुओं के चारे लाने एवं उसकी कुट्टी बनाने का कार्य महिलाएं ही करती हैं विशेषकर पर्वतीय अंचल एवं राजस्थान की महिलाएं पशुओं के लिए चारा एकत्र करने के लिए कुछ दूरी से लेकर 5-6 कि.मी. तक जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन दूरस्थ स्थान तक आना जाना एवं ऊपर से एकत्र किए चारे का भार-उनकी शारीरिक क्षमता को अधिक प्रभावित करता है। इतना ही नहीं पालतू पशुओं के चारे के लिए दूर-दूर ऊंचे-नीचे टीलों एवं पहाड़ियों तथा वृक्षों के पत्तों को चारे के लिए एकत्र करने के लिए वृक्षों पर चढ़कर काटना अति जोखिम भरा कार्य है। कभी-कभी

तो महिलाएं ऊंची पहाड़ियों की चोटियों एवं पशुओं के चारे के लिए वृक्षों से पत्ते काटते समय नीचे जमीन पर गिर जाती हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा वे अपंग हो जाती हैं। इस प्रकार कार्य की अधिकता से शरीर कमजोर एवं रूग्णावस्था में हो जाने की वजह से पर्यावरण के प्रति ज्यादातर सम्वेदनशील होती हैं।

2. ईंधन की समस्या : भारत वर्ष में ईंधन के रूप में लकड़ी, लकड़ी तथा पत्थर के कोयले एवं मवेशियों के गोबर के उपलों का उपयोग किया जाता है। टाडा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 20,000 लाख व्यक्ति लकड़ी और मवेशियों के गोबर को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं जिसे एकत्र करने के लिए लगभग 5000 लाख महिलाएं और बच्चे प्रतिदिन लगभग दो घण्टे का समय लगाते हैं। इस कार्य के लिए इन्हें काफी दूर एवं बड़ी एरिया में भटकना पड़ता है। पर्वतीय अंचल एवं राजस्थान के राजस्थान में ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लिए महिलाओं को दूरस्त ऊबड़-खाबड़ एवं ऊंची-नीची पहाड़ियों एवं टीलों पर भटकना पड़ता है जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे कमजोर रहती हैं।

3. पानी की समस्या : भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर वनों के कटान से जंगल नष्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन वर्षा की कमी होती जा रही है। जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है वह अनिश्चित होती है जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जलाशय एवं जल स्रोत सूख रहे हैं। पर्वतीय अंचल के हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर कम वर्षा पड़ती है जिसकी वजह से पहाड़ियों में बहने वाली नदियों के जल स्तर में दिन प्रति दिन गिरावट आती जा रही है। जो भी थोड़े-बहुत जलाशयों में जल व जल स्रोत हैं उनके जल के अव्यवहारिक उपयोग से जल प्रदूषित हो रहा है। नदियों में जल स्तर के गिरावट के कारण मैदानी क्षेत्रों व राजस्थान में जमीन में पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है जिससे कुओं से पानी ऊपर तक लाने तथा हस्त पाइप से पानी निकालकर जरूरत के अनुसार पानी पूरे दिन व रात की पूर्ति के लिए जमा करना दिन प्रति-दिन कठिन होता जा रहा है। पानी निकालकर जमा करने का-काम केवल महिलाएं ही करती हैं। वे इस कार्य में 4 से 6 घण्टे तक का समय लगाती हैं।

4. अव्यवस्थित रसोईघर : भारतवर्ष में अधिकतर शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चूल्हे में लकड़ी, लकड़ी का बुरादा या गोबर से निर्मित उपले जलाए जाते हैं। जो महिलाएं अंगीठी का उपयोग करती हैं वे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी, लकड़ी एवं पत्थर के कोयले आदि ईंधन के रूप में जलाती हैं। चूल्हे की बनावट वैज्ञानिक न होने के कारण किसी भी प्रकार का ईंधन जलाने से रसोई में धुएं का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। पारम्परिक रसोइयों में धुआं निकलाने के लिए चिमनी एवं खिड़की तक नहीं होती है जिससे धुआं बाहर नहीं निकल पाता है। रसोइयों में गन्दा पानी निकलने के लिए भली प्रकार नालियां नहीं होती हैं जिससे रसोइयों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहीं-कहीं पर आवासीय भवनों में रसोई के अभाव में रहने के स्थान पर खाना चूल्हे में लकड़ी आदि को जलाकर

पकाया जाता है। पर्वतीय अंचल में सर्दियों की ठण्ड से बचने के लिए लकड़ी अथवा लकड़ी या पत्थर के कोयले अंगीठी में जलाए जाते हैं जिसके जलने से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस एवं विषाक्त विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर अत्यधिक बुरा प्रभाव डालते हैं और वे श्वास रोगों से भी ग्रसित हो जाती हैं। विश्व संगठन के अनुसार वातावरण में विषैले पदार्थों की 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर मात्रा होने पर और बेन्जो-ए-थाइरीन की जरा सी मात्रा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घातक पाई जाती है।

महिलाएं दिन में सामान्यतया 3-4 घण्टे रसोई में ही कार्य करती हैं। इस दौरान सांस के साथ विभिन्न विषैली गैस विशेषकर कठिन मोनोआक्साइड उनके शरीर में पहुंच जाती है जो रक्त में प्रोटोहोम नामक अवयव में उपस्थित लोह अणुओं के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पदार्थ बनाती है। सामान्य अवस्था में इसी स्थान पर आक्सीजन का समावेश होता है।

अतः कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में ही आक्सीजन की कमी हो जाने से शरीर में केन्द्रीय स्नायुतंत्र पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के शरीर में इस गैस की अधिक मात्रा में पहुंचने पर असमान्य प्रजनन होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार रक्त में आक्सीजन की कमी से 50 प्रतिशत लड़कियां 25-30 प्रतिशत वयस्क महिलाएं तथा 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं ग्रसित पाई गई हैं। मां के साथ नवजात शिशु भी रहते हैं जो प्रदूषण की चपेट में आने से वृद्धि-विकास में असमानता, संकुचित फेफड़े श्वास रोग एवं अन्धापन के शिकार भी हो सकते हैं।।

5. सामाजिक कुरीतियां : भारतीय समाज में बहुत बड़ी संख्या में कुरीतियां प्राप्त हैं जिनका भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय अंचल में खेत में हल लगाने के अलावा घर से लेकर खेती के कार्यों का दायित्व महिलाओं का ही होता है। पशुशाला से लेकर घर की साफ़-सफाई, पशुओं का गोबर बाहर फेंकना, पशुओं की देख-रेख व चारा आदि की व्यवस्था, खेत में बीज बोना, फसल की निराई–गुडाई, फसल पकने पर कटाई व अनाज की मड़ाई हुए अनाज को घर तक लाना व उसको कुठलों में भरना, धान से चावल निकालना आदि कार्य महिलाओं के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार महिलाएं सुबह 11. 00 बजे से शाम 10:00 बजे तक अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं धूम्रपान भी करती हैं जिससे वे तरह-तरह के रोगों से ग्रसित हो जाती हैं।

6. महानगरों में सघन रहन-सहन : महानगरों एवं शहरी क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के आवासीय एवं वाणिज्यक सघन हो गए हैं जिसके कारण घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में वायु के आवागम तथा सूर्य के प्रकाश पहुंचने की उचित व्यवस्था नहीं होती है। जिससे घरों के अन्दर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। चूंकि महिलाएं अधिक समय तक घर के अन्दर ही रहती हैं, इसलिए वे अक्सर सिर दर्द, आलस्य, दम घुटना, गला सूखना, दमा, आदि रोगों से ग्रसित हो जाती हैं।

7. **अज्ञानता और गरीबी :** भारतवर्ष में 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में जीवन-यापन करती है। जो महिलाएं ईंट-भट्टों में कार्य करती हैं एवं खेतीहर मजदूर एवं बोझा ढोने का कार्य करती हैं उनके भोजन में उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व का अभाव रहता है जिससे वे तरह-तरह की बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण का महिलाओं में निम्नलिखित प्रकार प्रभाव पड़ता है।

(अ) प्रजनन तथा गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव : आज विश्व में 50 हजार रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष लगभग एक हजार रसायन बाजार में आ जाते हैं। यह सभी रसायन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार (1) शीशा, मरकरी, कैडमियम, सेबेनियम गर्भवती महिलाओं में, गर्भपात, मनोविकल्प, मासिकधर्म में अनियमितता, बच्चों में जन्मगत विकृत्तियां एवं गर्भ का मन्द विकास, (2) कीटनाशक कार्बनिक घोल को मैं-डायोक्सेन्स पानी क्लौरीनेटेड वाई फिनाइल, कृत्रिनाशक कुछ खरपतवार नाशक (बेन्जीन/टालुईन) तथा सूत्रकृत्रिनाशी की मात्रा गर्भवती महिलाओं में पहुंच जाने से गर्भपात, जन्मगत विकार, भूत प्रसव, मन्द प्रसव, जन्मजात मनोवेकल्प, विकृत्तियां, उत्परिवर्तन, मासिक धर्म में अनियमितता, रक्त की कमी, (3) गैसों में कार्बन मोनो आक्साइड ओजोन, वे है सी वाले रसायनिकों से प्रायः भ्रूण मृत्यु, मस्तिष्क को क्षति, गर्भपात, जन्मजात विकृत्तियां, बालपनव, (4) एक्स-रे, गामा-रे, उत्परिवर्तन, मनोवेकल्प, मस्तिष्क शोध गर्भस्त शिशु को क्षति, (5) तथा अन्य पदार्थों में थलीडोमाइट, स्टिलवेस्ट्राक व एलकोहल, शिशुओं में जन्मजात विकार, यौनिक रोग, तंत्रिक अपूर्णता तथा वृद्धि रूक जाती है।

(ब) स्तन कैंसर :—ऐस्ट्रोजेन हार्मोन महिलाओं के परिपक्व अंडकोष से निस्रवित होता है जो महिलाओं में यौन सम्बन्धी विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। आरगैनोक्लोरीनेटड कीटनाशी महिलाओं के शरीर में पहुंच कर ऐस्ट्रोजेन हार्मोन जैसी क्रिया उत्पन्न करते हैं। डा. हेवर ली डेविस की खोज के अनुसार वातावरण में उपस्थित रसायन हारमोन्स जैसा व्यवहार करते हैं, वे स्तन कैंसर महिलाओं में उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जबकि डा. मैरी बुल्फ के अनुसार स्तन कैंसर वाली महिलाओं के रक्त में डी.डी.टी. के विखण्डन से उत्पन्न पदार्थ डी.डी.ई. की साद्रता अधिक पाई गई है। आरगेनोक्लोरीन रसायन ऐस्ट्रोजेन वर्ग के प्रमुख हार्मोन ऐस्ट्रोडियोल से प्रतिक्रिया करता है। जिससे 16-एल्फा-हाइड्रोआक्सी-रेस्ट्रोन बनता है जिसकी उपस्थिति में स्तन कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होने लगता है जिससे बाद में ट्यूमर और कैंसर हो जाता है।

(स) मां के दूध में विषाक्ता : क्षतिकारक कीटों की रोकथाम के लिए फसलों/फल पौधों पर कीटनाशियों का छिड़काव किया जाता है जिसकी मात्रा फसलों/फल पौधों द्वारा शोसित कर दोनों, फलों एंव तनों व पत्तियों में आ जाती है। ऐसे चारे को दूध देने वाले जानवरों के खाने से कीटनाशी की कुछ मात्रा दूध में आ जाती है। ऐसे दूध, अनाज व फलों का उपयोग नवजात शिशु की मां के करने से उनके शरीर में कीटनाशी संचित होते रहते हैं जो विभिन्न क्रियाओं के सम्पादन पर रक्त, ऊतकों तथा मां के दूध में आ जाते हैं जिसका

बच्चों के विकास, स्वास्थ्य एवं बुद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोयम्बटूर में एक सर्वे किया गया जिसमें 29 प्रतिशत महिलाओं के दूध कीटनाशी की मात्रा मानक सीमा (न क्षति पहुंचाने वाली मात्रा) से कई गुना अधिक पाई गई क्योंकि वहां पर किसानों द्वारा कीट नियन्त्रण के लिए वी.एच.सी. का छिड़काव व फसलों एवं फल पौधों पर अधिक लिया गया था। प्रयोग से सिद्ध किया जा चुका है कि डी.डी.टी. एवं वी.एच.सी. की 50 से 80 मि.ग्रा. मात्रा महिलाओं के शरीर में कई वर्षों तक संचय रहती हैं जो उनके स्वास्थ्य पर धीरे-धीरे बुरा प्रभाव डालती रहती हैं। इसी प्रकार हैदराबाद में मृत प्रसव करने वाली महिलाओं के रक्त में मानक सीमा से चार गुनी कीटनाशियों की मात्रा पाई गई। इस प्रकार महिलाएं एवं गर्भस्थ शिशु सर्वाधिक प्रदूषण से प्रभावित होते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय : महिलाओं में शिक्षा का प्रचार व प्रसार की त्वरित आवश्यकता है, समाज में उन्हें मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। पर्दा प्रथा समाप्त होना चाहिए। हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है जिससे गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य की जांच होती रहे, खाना पकाने की रसोइयों में वायु के आवागमन एवं धुएं के निकलने की भली प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। रसोइयों में पन्त नगर उन्नत चूल्हे ही लगाए जाएं। यदि सम्भव हो सके तो लकड़ी अथवा कोयले के स्थान पर रसोई गैस का प्रयोग किया जाए। घर खेती के आदि कार्यों में पुरुष को महिलाओं से मिलकर हाथ बांटना चाहिए। पुष्टाहार एवं भोजन में उनके साथ भेद-भाव न बर्ता जाए। गर्भवती महिलाओं को सन्तुलित पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन दिया जाए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था महिलाओं के स्वास्थ्य में चार चांद लगाती है। गरीबी के कारण अस्वास्थ्यप्रद रहन-सहन से छुटकारा दिलाने के लिए कार्य स्वच्छ आवासीय भवनों की व्यवस्था की जाए। सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाया जाए। फसलों/फल वृक्षों को क्षतिकारक कीटों की रोकथाम के लिए कम से कम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाए। बल्कि एकीकृत कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.) को अपनाया जाए। फसलों/फल वृक्षों में कम से कम रसायनों का उपयोग किया जाए। गन्दे पानी को शुद्ध रखने के लिए संयंत्र लगाए जाएं। महिलाओं की परिपक्व उम्र पर शादी की जाए। अपरपक्व उम्र पर शादी करने पर उनका रासायनिक विकास भली प्रकार नहीं हो पाता और इस उम्र पर मां बनना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। बच्चों के जन्म में कम से कम 5 साल का अन्तर रखा जाए और दो के बाद परिवार नियोजन के नियमों का पालन किया जाए जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। पानी को शुद्ध रखने के लिए गन्दे नाले के पानी को नदियों में प्रवाहित न किया जाए बल्कि इसे मोड़कर खेती के लिए उपयोग में लाया जाए।

राजकीय घाटी फल शोध केन्द्र, श्रीनगर-गढ़वाल-246174 (उत्तर प्रदेश)

मांगलिक प्रतीक—शंख

—योगेश चंद्र शर्मा

संपूर्ण चराचर जगत पर ध्वनि का निश्चित प्रभाव पड़ता है। मधुर ध्वनि हमें आह्लादित करती है और कर्णकटु ध्वनि हमें कष्ट पहुंचाती है। इसीलिए, मांगलिक अवसरों पर मधुर धुन और शोकपूर्ण अवसरों पर शोकधुन बजाई जाती है। युद्ध के समय, सैनिकों का उत्साह चढ़ाने के लिए रणवाद्य बजाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से ही शंख-ध्वनि का विशेष महत्व रहा है और इसे मांगलिक चिह्न के रूप में स्वीकारा गया है। देवपूजा में शंख का विशिष्ट स्थान रहता है और इसमें रखा जल देवताओं पर चढ़ाया जाता है। स्कन्द पुराण के अनुसार नदी, तालाब, बावड़ी और कुओं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है, वह सब गंगाजल के समान हो जाता है। 'शंख में जल, पुष्प और अक्षत रखकर देवताओं को अर्पित करना पुण्य की बात समझी जाती है। भक्तगण, शंख में रखे जल को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। इसीलिए, देव पूजा के उपरान्त तथा अन्य अवसरों पर भी मन्दिर में उपस्थिति भक्तों पर शंख-जल छिड़का जाता है। शुभ कार्यों को करने से पहले शंख वादन हमारे यहां आम परम्परा रही है। नए राजा के राज्यारोहण के अवसर पर जोर शोरों से शंखवादन किया जाता था। 'रणवाद्य' के रूप में बजाया जाने वाला शंख वीरोचित उत्साह की सृष्टि करता था।

तकनीकी रूप से शंख, समुद्री जीव घोंघे का आवास स्थान या उसका खोल मात्र है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए समुद्र में उपलब्ध चूने से स्वयं बनाता है। इस समुद्री जीव के रीढ़ की हड्डी नहीं होती और शारीरिक रूप से यह बहुत नाजुक होता है। इसलिए, उसे अपनी सुरक्षा हेतु इस प्रकार का मजबूत खोल आवश्यक है। उसकी कुछ ग्रन्थियां पानी से चूना लेने और उसे अपने शरीर के ऊपर आवश्यकता के अनुसार आकृति देने में सक्षम होती हैं। घोंघे की मृत्यु हो जाने के उपरान्त ये शंख तैरते हुए पानी से ऊपर आ किनारे पर आ जाते हैं। वहीं से इन्हें एकत्रित किया जाता है। शंख हमें कई रंगों में प्राप्त होते हैं। कुछ शंखों पर अन्य रंगों की धारियां भी होती हैं। शंख की आकृति भी अनेक प्रकार की होती है। अब तक इसकी हजारों प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जा चुका है। कौड़ियां आदि भी घोंघे की ही खोल हैं। जन्तु वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में शंख जाति के जीव ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है कि उसने एक साधारण समुद्री जीव के खोल को भी गहराई से अध्ययन किया, शोध किया और उसकी विशेषताओं को पहचान कर उसे इतना ऊंचा स्थान दिया।

शंख के कालात्मक सौंदर्य ने विश्व के अन्य देशों को भी मोहित किया है। फ्रांस की लगभग पच्चीस हजार वर्ष से भी अधिक पुरानी क्रो मेगनन गुफाओं में विभिन्न प्रकार के ऐसे शंख प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः हिन्द महासागर में ही उपलब्ध होते हैं। इससे अनुमान है कि ये शंख हिन्द महासागर से ही वहां ले जाए गए होंगे। ईसा से लगभग एक हजार

वर्ष पूर्व शंखों के व्यापार किये जाने के भी प्रमाण मिले हैं। प्राचीन रोमन जनरल स्किपियो आफिकैनस को शंखों के संग्रह का शौक था। उसका यह संग्रहालय, पौपेयी नामक स्थान की खुदाई के समय प्राप्त हुआ और तभी उसे इस शौक की जानकारी मिली। पश्चिमी देशों में शंखों के बारे में जानकारी संभवतः उन यात्रियों के माध्यम से पहुंची, जो प्रायः भारत सहित विश्व भर में भ्रमण किया करते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोप में शंखों के बारे में कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जिससे शंखों के प्रति उन देशों की रुचि और अधिक बढ़ी। अनेक व्यक्तियों ने शंख-संग्रह को अपने शौक के रूप में अपनाया और अनेक प्रकार के शंख एकत्रित किए। ब्रिटिश संग्रहालय में भी अनेक बहुमूल्य शंख सहेज कर रखे हुए हैं।

शंख की मूल उत्पत्ति के संदर्भ में शिव पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा का उल्लेख है, जिसके अनुसार सुदामा नामक एक कृष्ण भक्त ने शापवश दानवराज शंख चूड़ के रूप में जन्म लिया और तब भगवान शिव से उसका भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान विष्णु की सहायता से उसका वध किया गया और उसके अस्थी पंजर को समुद्र में डाल दिया गया। कालांतर में यही अस्थी पंजर शंख के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसे सुदामा की भक्ति के कारण पवित्र माना गया। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में शंख भी एक था। इसलिए, इसे रत्नों की श्रेणी में रखा गया। नौ निधियों में शंख को भी एक निधि के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन साहित्य में शंख के अनेक नामों का उल्लेख है। यथा परिभर, कम्बु, महानाद, दीर्घनाद, हरिप्रिया, अरूणोभव और पवन ध्वनि आदि।

प्राचीन साहित्य में अनेक अवसरों पर शंख की चर्चा की गई है। वैदिक काल के प्रमुख देवता वरुण के पास शंख होने का उल्लेख है। यही शंख समुद्र द्वारा युधिष्ठिर को भेंट किया गया और इसी शंख में जल लेकर कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। महाभारत युद्ध के उपरान्त भी युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कृष्ण द्वारा शंख में भरे जल से किया गया था। राज्याभिषेक के समय अधीनस्थ तथा मित्र राजाओं के द्वारा युधिष्ठिर को जो वस्तुएं भेंट की गईं, उनमें बहुमूल्य शंख भी थे। इनमें एक शंख ऐसा भी था, जो अन्नदान करने पर स्वयं बज उठता था। कालिदास ने 'कुमार संभव' में स्वामी कार्तिकेय के जन्म पर शंख ध्वनि की चर्चा की है। पुत्र जन्मोत्सव के अन्य अनेक अवसरों पर भी शंख ध्वनि की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में है। जन मान्यता के अनुसार जन्म के तत्काल बाद शंख ध्वनि सुनने वाला बालक साहसी, योग्य, बुद्धिमान और दीर्घजीवी होता है। यत्र तत्र समय की सूचना देने के लिए भी शंख ध्वनि का उल्लेख है। स्वयंवरों में लड़की के आगमन पर शंख ध्वनि की जाती थी। सिन्धु घाटी सभ्यता के उत्खनन में शंख से निर्मित अनेक आभूषण तथा कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। दिग्विजय के लिए निकले हर्ष को पच्चीकारी से सजे संवरे शंख के पानदान और चषक भेंट में देने का उल्लेख भी मिलता है। शंख से बनी चूड़ी, कंगन, अंगूठी तथा माणिबंध आदि की जानकारी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हर्ष चरित' से प्राप्त होती है। विवाह के समय वधू के हाथों में बंधे कंकण में आज भी छोटे शंख बांधने की प्रथा है। भगवान विष्णु के पांच जन्म शंख की चर्चा अनेक प्राचीन ग्रन्थों में है, जो उन्हें समुद्र से प्राप्त हुआ था। अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण इसी पाञ्चजन्य को बजाया करते थे, जिससे पांडव सेना में उत्साह

और कौरवों में हताशा के भाव उत्पन्न होते थे। महाभारत युद्ध में भीष्म का पौंड्र, अर्जुन का देवदत्त, युधिष्ठिर का अनन्त विजय, नकुल का सुघोष, और सहदेव का मणिपुष्पक नाम के शंख विशेष रूप से चर्चित थे। युद्ध संबंधी समाचारों को लाने या ले जाने वाले दूत भी शंखनाद करते हुए जाते थे। इससे वे किसी भी प्रहार की आशंका से मुक्त रहते थे। युद्ध में शामिल होने के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से आने वाले व्यक्ति की सूचना भी प्रायः शंख ध्वनि से दी जाती थी। प्राचीन भारत में अन्य मूल्यवान रतनों के समान, बहुमूल्य शंख भी जौहरियों के द्वारा बेचे जाते थे। हमारे यहां नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में भी शंख-मुद्रा को विशेष स्थान दिया गया है।

शंख के इस अत्यधिक महत्व के कारण ही यह हमारे सभी प्रमुख देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के चार आयुधों में शंख भी एक है। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और सूर्य के हाथों में शंख विद्यमान है। जैन तीर्थंकरों के शरीर पर पाए जाने वाले शुभ लक्षणों में एक शंख का चिह्न भी होता है। बाइसवें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ का तो परिचय चिह्न ही शंख है। लक्ष्मी के साथ शंख का विशेष संबंध है। दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। इसलिए कृष्णोपनिषद् में शंख को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। गरुड़ पुराण में शंख के दर्शन को सौभाग्य का प्रतीक बतलाया गया है। यह भी मान्यता है कि शंख की माला से जाप करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अथर्व-वेद के अनुसार शंख ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली, राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाली, रोग, अज्ञान, अलक्ष्मी को दूर भगाने वाली तथा आयु को बढ़ाने वाली है। हमारे यहां प्रायः प्रत्येक मन्दिर में शंख की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। पूजा अर्चना में तो यह अपरिहार्य है ही। दक्षिण भारत के तंजावुर क्षेत्र के तिरुचदधुर उपनगर में कार्तिक में प्रत्येक सोमवार को एक हजार आठ शंखों की शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसे शंखाभिषेक कहा जाता है। जगन्नाथ पुरी की प्रसिद्ध रथयात्रा के समय जिस स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उसे शंखों से सजाए जाने के कारण 'शंखन विमण्डल' कहा जाता है। स्वयं जगन्नाथ पुरी को इस आधार पर शंख क्षेत्र कहा जाता है कि उसका आकार शंख के समान है।

शख के मुख्यतः दो भेद हैं—दक्षिणावृत्त तथा वामवृत्त। दक्षिणावृत्त शंख का मुख दाहिनी ओर तथा वामवृत्त शंख का मुख बांयी ओर खुलता है। वामवृत्त शंख सहज सुलभ है, मगर दक्षिणावृत्त शंख दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान है। वामवृत्त शंख, सागर तटों पर सहजता से उपलब्ध हो सकता है, मगर दक्षिणावृत्त शंख तो समुद्र की गहराइयों में ही उपलब्ध हो पाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणावृत्त शंख बड़े पुण्य योग से ही प्राप्त होता है। जिस घर में यह शंख होता है, वहां लक्ष्मी और शांति का स्थाई निवास होता है। बृहदसराजसुन्दर नामक ग्रन्थ में लिखा है—'दक्षिणावृत्तशंखस्तु त्रिदोषघ्नः शुचिर्निधिः' अर्थात् दक्षिणावृत्त शंख त्रिदोष नाशक, पवित्र तथा नौनिधि में एक है। दक्षिणावृत्त शंख के लिए कहा गया है कि इस शंख की नित्य पूजा करने वाले की कभी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, अग्नि तथा चोर के भय से वह पीड़ित नहीं होता और दुर्जन व्यक्ति उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तांत्रिक

लोग शंख यंत्र को सिद्ध करके इस शंख से अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। तांत्रिक साहित्य में लक्ष्मी तथा 'ओम्' से संबंधित नाद स्वर का साकार प्रतीक शंख-ध्वनि में माना गया है। मोटी परत वाला दक्षिणावृत्त शंख 'नरशंख' तथा पतली परत वाला शंख मादा शंख कहलाता है। प्राचीन काल में मादा शंख को शंखिनी के नाम से भी संबोधित किया जाता था।

प्राचीन ग्रन्थों में शंख को देवी देवताओं के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम, गणेश शंख, जिसका रंग हल्का सिन्दूरी, आकार गोल और पूंछ छोटी होती है। दूसरी देवी शंख, जिसका रंग हल्का पीला या ताम्र वर्ण और पूंछ लंबी नुकीली होती है। तीसरा विष्णु शंख, उज्जवल और श्वेत वर्ण का होता है तथा उसकी आकृति पुष्प के समान होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां सामाजिक वर्ण भेद के आधार पर भी शंखों का वर्गीकरण किया गया है। उसके अनुसार दूध के समान धवल और आकर्षक शंख, ब्राह्मण शंख, कत्थई या लाल रंग का शंख क्षत्रीय शंख, पीला, भारी और अत्यधिक चिकना शंख वैश्य शंख और भूरा या काले रंग का आभाहीन शंख शूद्र शंख होता है।

हमारे यहां शंख को इतना अधिक महत्व देने के पीछे, हमारे ऋषि महर्षियों की वैज्ञानिक सोच भी रही है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी स्वीकार की जा चुकी है। ध्वनि पर आधुनिक विज्ञान में अनेक खोजें की गई हैं और उनमें ध्वनि के वैज्ञानिक चमत्कार प्रमाणित किए गए हैं। यह स्वीकार किया गया है कि ईथर में रेडियों तरंगें, विचार तरंगें और शब्द तरंगें एक ही गति से भ्रमण करती हैं। इससे हमारे प्राचीन ग्रन्थों की यह उक्ति सही सिद्ध होती है कि 'शब्द ही ब्रह्म है'। इस दृष्टि से शंख से निकलने वाली विशेष प्रकार की ध्वनि, हमारे लिए विशेष उपयोगी हो जाती है। बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हम्बोल्ट के अनुसार शंख ध्वनि से 1400 फीट के छोटे जीवाणु और हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस ध्वनि से हैजा और प्लेग जैसे भयानक रोगों के कीटाणुओं को भी नष्ट या कमजोर किया जा सकता है। हम्बोल्ट के अनुसार यह सम्भव हो पाता है शंख ध्वनि से वातावरण में उत्पन्न होने वाले कम्पन से। इसलिए, शंख हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में भी काफी सहायक हो सकता है।

आयुर्वेद में शंख को उपचार की दृष्टि से भी विशेष महत्व दिया गया है। इसे रसेन्द्र यानी पारे के पश्चात् लौह, ताम्र और स्वर्ण के समान ही उपधातुओं में रखा गया है। यह माना गया है कि शंख ध्वनि करने से शरीर पुष्ट होता है, बलवीर्य बढ़ता है और शूल, कफ, खांस एवं विष आदि के दोष नष्ट होते हैं। शंख से शंख भस्म, शंख चूर्ण तथा लोकेश्वर रस जैसी औषधियां तैयार की जाती हैं जो उदर रोग सहित अनेक बीमारियों में लाभदायक हैं। नित्य प्रति शंख बजाने से अस्थमा में लाभ होता है और अभ्यास करने पर गूंगे व्यक्ति भी बोलने में सफल हो सकते हैं। जन मान्यता के अनुसार यदि बच्चों के गले में छोटे-छोटे शंखों की माला डाल दी जाए तो वे जल्दी बोलना सीखते हैं और उनका उच्चारण शुद्ध होता है। शंख में रात्रि पर्यन्त रखे हुए जल को प्रातः पीने से शरीर में उपस्थिति रोगाणु नष्ट होते हैं और शरीर में स्फूर्ति आती है। शंख को नित्य प्रति घिसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे

2249 HA/2000—6B

ठीक होते हैं और चेहरे की कांति बढ़ती है। इससे सिर दर्द, गंड माला और दंत रोगों से भी लाभ मिलता है। शंख का मनोविज्ञान से भी गहरा संबंध माना गया है। 1981 में इटली के लेखक फ्लीयो कीयोनानी ने शंख-संग्रह पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन से निराश, थके और परेशान लोगों को मानसिक शक्ति के लिए शंख संग्रह का शौक अपना लेना चाहिए। एक अन्य विचारक डा. नेरिल पूर ने भी मानसिक परेशानियों और तनावों को दूर करने के लिए इसी शौक को अपनाने की सलाह दी है।

10/611. मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान)

"जिसे हम सुख कहते हैं, अगर वह भी तीव्रता से पूरी तरह हम पर लद जाए तो हम टूट जाएंगे. दुख इस बुरी तरह नहीं तोड़ता है. इसलिए नहीं तोड़ता है बुरी तरह, कि एक तो हम बचपन से दुख के आदी हो जाते हैं, और इसलिए भी नहीं तोड़ता है कि दुख से बचने के लिए हम हमेशा सुख की आशा बनाए रहते हैं और दुख किसी तरह झेल लेते हैं."

— रजनीश : सुख और आनंद

"दुनिया की इस सराय में हम ने कुछ क्षणों के लिए आश्रय लिया है. हम लोगों में से कुछ लोग ब्रेकफास्ट खा कर ही चले जाएंगे. कुछ लोग लंच खत्म करते ही चले जाएंगे. शाम का अंधेरा पार कर के जब हम रात में डिनर टेबल पर इकट्ठे होंगे, तो कितने ही परिचित लोगों को गायब पाएंगे. इतने लोगों में से दोचार व्यक्ति ही वहां मिल सकेंगे. मगर, परवा मत करो, दुख मत करो. जो जितना पहले चला जाएगा, उसे उतना ही कम बिल चुकाना पड़ेगा."

— शंकर : चौरंगी

परखनली शिशु : नए आयाम

—डॉ. वासुदेव प्रसाद यादव

संसार का पहला टेस्ट-ट्यूब बेबी है लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन और भारत के प्रथम टेस्ट-ट्यूब बेबी में काफी समानता है। इन दोनों के भ्रूणों का जन्म इंग्लैण्ड के कैम्ब्रिज के बोर्न हॉल क्लिनिक में हुआ जिसे डॉ. पेट्रिक स्ट्रेप्टो चला रहे थे। सन् 1978 में डॉ. स्ट्रेप्टो ने विश्व के विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय रचा, जब वे लुइस ब्राउन को इस संसार में लाए। यह कार्य **इन-विटरो फर्टिलाइजेशन एंब्रायो ट्रांसफर** विधि द्वारा सम्भव हो सका।

ऐसे जन्म होता है टेस्ट-ट्यूब बेबी का

सामान्यतः यह धारणा है कि टेस्ट-ट्यूब बेबी का जन्म परखनली में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रूण का निर्माण कांच की कल्चर डिश में होता है। 'इन-विटरो' का अर्थ है 'ग्लास में'। 'इन-विटरो' फर्टिलाइजेशन एंब्रायो ट्रांसफर का अर्थ है मां का डिम्ब पिता के शुक्राणु से मां के पेट में नहीं मिलता है,बल्कि बाहर प्रयोगशाला में मिलन होता है। मिलन के बाद जन्मे भ्रूण को एक विशिष्ट प्रकार के सीरिंज के द्वारा पुनः मां के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यह सम्पूर्ण क्रिया बड़ी सावधानी के साथ सम्पन्न की जाती है। अंडाणु को सही समय पर ही बाहर निकालना पड़ता है। जन्मे भ्रूण को वापस गर्भाशय में डालना और गर्भाशय द्वारा उसे स्वीकार करना—एक जटिल क्रिया है।

सबसे पहले यह काम इंग्लैण्ड में शुरू हुआ था। पूरी दुनिया में इस समय इस तरह के 2 से अधिक केन्द्र हैं आर इनमें से अधिकांश अमेरिका, रूस और आस्ट्रेलिया में हैं। भारत में बेंगलूर में, गुना इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्शन में इन-विटरो फर्टिलाइजेशन एंब्रायो ट्रांसफर पर किए गए अन्वेषणों में उल्लेखनीय सफलताएं मिल चुकी हैं।

इन-विटरो फर्टिलाइजेशन एंब्रायो ट्रांसफर विधि से उन दंपतियों को लाभ हुआ है जिनके लिए माता-पिता बनना असंभव हो गया था। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुरुष में कुछ कमी के कारण, बच्चा न होना, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होना, पत्नी की डिम्बवाहिनी नलिका बन्द होना या कोई अन्य कारण।

बेंगलूर में टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, जमे हुए भ्रूण से हुआ था। इन-विटरो फर्टिलाइजेशन एंब्रायो ट्रांसफर में यदि 10 भ्रूणों को मां के अंडे और पिता के शुक्राणुओं कोबाहर निकालकर तथा मिलाकर तैयार करते हैं और इन सबको मां के गर्भाशय में डाल देते हैं, तो इनसे तीन या चार या अधिक बच्चों का जन्म हो जाता है।

फ्रोजन एंब्रायो क्रायो प्रीजर्वेशन तकनीक, जिसे आस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर ने तैयार किया है, से एक साथ कई बच्चे होने की संभावना कम हो गई है। केवल एक या दो भ्रूणों को ही मां के गर्भाशय में डालते हैं और बचे हुए भ्रूणों को तरल नाइट्रोजन में, भविष्य में उपयोग में लाने के लिए रख लेते हैं। ये भ्रूण तरल नाइट्रोजन में, भविष्य में उपयोग में लान के लिए रख लेते हैं। ये भ्रूण तरल नाइट्रोजन में दो वर्ष तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जब कभी तरल नाइट्रोजन से भ्रूण को निकालना होता है, तो धीरे-धीरे उसके ताप को तब तक बढ़ाते जाते हैं, जब तक कि उसका ताप बाहरी वायुमण्डलीय ताप के बराबर न हो जाए। इसके बाद तरल नाइट्रोजन से भ्रूण को बाहर निकालकर तथा धोकर महिला के गर्भाशय ने भ्रूण को स्वीकार नहीं किया, तो शेष फ्रोजेन भ्रूणों को गर्भाशय में डाल देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। हर बार गर्भाशय से अंडे निकाले जाते थे। उन्हें शुक्राणुओं से मिलाकर वापस गर्भाशय में डाला जाता था। नई खोज से बार-बार की प्रक्रिया से बचत हो गई। फ्रोजेन भ्रूण भी संबंधित दंपती का ही होता है और साल-दो साल बाद भी उक्त दंपती द्वारा उस भ्रूण का उपयोग किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म को एक साधारण रासायनिक क्रिया में बदलकर रख दिया है। विश्वभर में होने वाले आनुवंशिक प्रयोगों ने लगभग सभी जटिलताएं समाप्त कर दी हैं।

डिम्ब-ग्रन्थि से डिम्ब निकालने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन तरंगों के प्रयोग से ऑपरेशन द्वारा डिम्ब निकालने की क्रिया से राहत मिली है। अल्ट्रासाउंड तरंगें जब महिला के गर्भ में छोड़ी जाती है, तो डिम्ब-ग्रन्थि के डिम्ब यंत्र के पर्दे पर उभरने लगते हैं। इन डिंबों को एसपिरेटर द्वारा निकाल लिया जाता है। इस क्रिया में बहुत कम समय लगता है आर महिला को बेहोश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस पूरी क्रिया में मरीज को केवल एक सुई चुभाई जाती है।

इन डिंबों को सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण के बाद कांच की 'पेट्री डिश' में रखा जाता है। इस डिश में जीवाणुरहित पोषक तरल द्रव्य होता है।

इसके बाद आवश्यकता होती है 'इंक्यूबेटर' की। यह फ्रिज की शक्ल का ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग इस पूरी क्रिया में आवश्यकतानुसार ताप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उक्त विधि से प्राप्त डिंबों को छः घंटे तक 37° सेन्टीग्रेड ताप पर तथा पति के शुक्राणुओं को भी 30 मिनट तक इसी ताप पर इंक्यूबेटर में रखकर गतिशील किया जाता है।

अब इस 'पेट्री डिश' में डिंबों और शुक्राणुओं को मिलाकर इसी इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है जिससे दो दिन बाद ये भ्रूण में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। इन भ्रूणों को एक नली के द्वारा महिला के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है। इसके बाद ही वह प्राकृतिक रूप से गर्भवती नारी की तरह हो जाती है। इसके बाद भ्रूण से शिशु बनने तक की शेष

क्रिया नारी के गर्भाशय में होती है। यह शिशु, मां के गर्भ में नौ माह तक रहने के बाद अथवा इससे कुछ पहले आम शिशुओं की तरह जन्म लेता है। गर्भावस्था की अवधि में गर्भ में शिशु के विकसित होने की जानकारी लगातार ली जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे का जन्म सीजेरियन तकनीक से किया जाता है।

इस तकनीक से उन महिलाओं को संतान-सुख उपलब्ध कराया जाता है, जिनकी दोनों फैलोपियन ट्यूबें बन्द होती हैं या जन्मजात होती ही नहीं। इन फैलोपियन ट्यूबों के बन्द होने से महिलाओं की डिंब-ग्रन्थि से डिंब के क्षरण होने के बाद, शुक्राणुओं द्वारा डिंबों के निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। निषेचन की यह क्रिया 'पेट्री डिश' (परखनली) में की जाती है। इसलिए, इसे फैलोपियन बाइपास का नाम भी दिया जाता है।

इस क्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व, पुरुष के शुक्राणुओं की जांच की जाती है। महिलाओं की एंडीमेटिरियल बायोप्सी, डायग्नोस्टिक लेपरोस्कोपी तथा हिस्ट्रोसालपेंजियोग्राम कराई जाती है। इन जांचों के बाद महिला का पंजीकरण, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कर लिया जाता है।

इसके बाद रजस्वला होने से दो दिन पहले से महिला की चिकित्सा प्रारंभ कर दी जाती है। पहले उसके जननांगों की जांच की जाती है और उसी दिन से उस महिला को सुपर ओव्यूलेटर हार्मोन (एक से अधिक डिंब विकसित करने की औषधि) देना शुरू कर देते हैं—इंजेक्शन द्वारा तथा नाक के द्वारा। लगभग 20 से 40 तक प्रगोनल एंप्यूल दिए जाते हैं। इन औषधियों का परिणाम यह होता है कि डिंब-ग्रन्थि में एक बार में एक से अधिक अर्थात् 4 से 12 तक या इससे भी अधिक डिंब बनने लगते हैं। ऐसी महिलाओं की प्रतिदिन जांच की जाती है। यह डिंब परिपक्व होने लगते हैं, तो उस महिला को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। इस दौरान उसे दूसरी तरह के हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और अगले ही दिन उस महिला की डिंब-ग्रन्थि पर उभरे हुए डिंबों को लेपरोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड यंत्र की मदद से एसपिरेटर द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है।

इसके तत्काल बाद उस महिला के पति के शुक्राणुओं को लेकर एक निश्चित तापमान वाले इंक्यूबेटर में उसके डिंबों के निषेचन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया में 24 से 48 घंटे तक का समय लगता है।

निषेचित हुए डिंबों की जांच एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी से की जाती है। अच्छे निषेचित डिंबों को, जब वे दो से आठ कोशिकाओं वाले भ्रूणों की अवस्था में होते हैं, उस महिला के गर्भाशय में एक पिचकारी और केथेटर की सहायता से स्थानान्तरित कर दिया जाता है। सामान्यतः, एक बार में 4 से 6 भ्रूणों को गर्भाशय में स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी के कम भ्रूण बने हों, तो कम ही गर्भाशय में स्थानान्तरित किए जाते हैं। पुनः उस महिला को हार्मोनयुक्त औषधि दी जाती है। इसके चार घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी दे

दी जाती है।

भारत में परखनली शिशु

भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कलकत्ता के सिटी नर्सिंग होम में 3 अक्टूबर, 1978 को हुआ था। इसका नाम दुर्गा अग्रवाल है। इस कन्या के जन्म की पूरी प्रक्रिया की देखभाल डॉ. सुभाष मुखर्जी ने की थी।

14 जून, 1986 को सेन्ट फिलोमिना अस्पताल, बेंगलूर में निरूपमा प्रकाश ने भारत के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। इस शिशु के गर्भ-धारण की प्रक्रिया बोर्न हॉल अस्पताल, इंग्लैण्ड में सम्पन्न हुई थी।

अगस्त, 1986 के दूसरे सप्ताह में के.ई.एम. अस्पताल, मुम्बई में तृतीय टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्महुआ, जो शत-प्रतिशत भारतीय है। इसके जन्म की पूरी प्रक्रिया भारत में ही पूरी हुई। यह काम भारत की विख्यात जेनेटिसिस, डॉ. इन्दिरा हिन्दुजा, की देखरेख में सम्पन्न हुआ।

इससे पूर्व, सन् 1983 में के.ई.एम. अस्पताल और प्रजनन अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निर्देशन में प्रारंभ की गई कृत्रिम गर्भाधान परियोजना के अन्तर्गत सभी शोधों और परीक्षणों के बाद यह तय किया गया कि भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म की सम्पूर्ण प्रक्रिया, बिना किसी बाहरी निर्भरता के प्रारंभ की जाये। के. इ.एम. अस्पताल की वरिष्ठ प्रसूति विशेषज्ञा डॉ. इन्दिरा हिन्दुजा के अतिरिक्त प्रजनन अनुसंधान के निदेशक डॉ. टी. सी. आनंद कुमार और वैज्ञानिक शोधकर्त्ता डॉ. जे. वी. अय्यर इस परियोजना से जुड़ गये।

23 वर्षीया निःसंतान महिला मणि श्यामजी चावड़ा की डिंबवाहिनी नलिकाएं संक्रमण (infection) के कारण खराब हो गई थीं। डॉ. हिन्दुजा के निर्देशन में इन-विटरो फर्टिलाइजेशन एंब्रायो ट्रांसफर विधि के उपयोग से श्रीमती मणि श्यामजी चावड़ा ने एक स्वस्थ टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। मां बनने पर मणि की खुशी और उसके अंदर के झंझावात की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

अन्वेषणों का विलक्षण परिणाम

अमेरिका के आयोवा राज्य में कार्लिस्ली नामक गांव में कैनी मैक्काई अपनी पत्नी, बॉबी तथा पुत्री मिकायला के साथ रहते हैं। तब मिकायला उनकी इकलौती संतान थी। मिकायला का जन्म डॉक्टरी-चिकित्सा के फलस्वरूप ही हुआ था। जब मिकायला 16 माह की हो गई, तो मैक्काई दंपती के मन में एक अन्य संतान पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे पुनः अपने चिकित्सक, डॉ. कैथरीन, के पास पहुंचे। पिछली बार बॉबी ने कई बंधत्व-निवारक

औषधियों का सेवन किया था, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में, डॉ. कैथरीन ने मेट्रोडिन दी। इस औषधि से बॉबी गर्भवती हो गई और उचित समय पर उनकी पुत्री मिकायला का जन्म हुआ।

इस बार डॉ. कैथरीन ने बॉबी को मेट्रोडिन की एक छोटी सी खुराक दी। इसका जबर्दस्त प्रभाव हुआ और बॉबी के गर्भ में एक साथ सात बच्चे विकसित होने लगे। गर्भपात एवं अन्य कारणों से कम-से-कम 28 सप्ताह तक इन शिशुओं को बचाए रखने की कठिन समस्या डॉक्टरों के सामने थी। इस अवधि में बहुभ्रूणीय गर्भ को सबसे अधिक खतरा रहता है। इसी दौरान भ्रूणों के अंग-प्रत्यंग एवं स्नायुमंडल का निर्माण होता है। दूसरा खतरा यह रहता है कि बच्चों की संख्या जितनी अधिक होती है, गर्भाशय से बाहर आने के लिए वे उतनी ही जल्दी जोर लगाने लगते हैं।

बॉबी को आयोबा के मेथडिस्ट मेडिकल सेन्टर में गर्भाधान के तीन सप्ताह के भीतर ही भर्ती कर दिया है और उसकी देखभाल के लिए अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई। नौ माह से पूर्व, 30वां सप्ताह में ही, उसने पूर्ण विकसित एवं स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया—जिनमें से चार पुत्र तथा तीन पुत्रियां थीं। उन शिशुओं को एक अन्य कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें नियन्त्रित ताप वाले विशेष बिस्तर पर लिटाया गया। सांस में मदद के लिए ऑक्सीजन ट्यूबें लगाई गईं और नसों के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के पोषण पहुंचाने की व्यवस्था की गई। समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तीन दिनों के भीतर ही वे स्वयं ही सांस लेने लगे थे और ऑक्सीजन-ट्यूबें हटा दी गईं। जन्म के समय उन बच्चों का वजन 1.05 किलोग्राम से 1.47 किलोग्राम तक था। गर्भ के स्थान की कमी के कारण इन बच्चों को विकसित होने का कम अवसर मिला, लेकिन तब भी वे पूर्ण विकसित एवं स्वस्थ थे।

एक साथ एक से अधिक जन्म लेने वाले बच्चों के शैशवकाल में मर जाने की संभावना, सामान्य बच्चों से 12 गुनी अधिक होती है। जीवित बच जाने पर भी आजीवन उन्हें आंतों, गुर्दों, आंखों, नेत्रों एवं अन्य संवेदनशील अंगों से संबंधित तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित रहने की संभावना रहती है। बॉबी के इन सात बच्चों में ये खतरे नहीं थे। गर्भकाल में बॉबी देश के कुछ श्रेष्ठ विशेषज्ञों की देखभाल में रही। अतः, इनके बच्चों के लिए ये खतरे नहीं रहे। मैक्काई दंपती को चारों ओर से तरह-तरह के सहयोग एवं सहायता मिल रही है। अतः उन्हें आर्थिक कठिनाइयां तो नहीं रहेंगी, परन्तु अन्य समस्याएं तो रहेंगी ही, जैसे उन्हें एक साथ एक जैसा स्नेह, देखभाल और संरक्षण देने की समस्या आदि।

बंध्यत्व से टेस्ट ट्यूब बेबी तक

एक अनुमान के अनुसार देश में आज ढाई करोड़ से अधिक दंपती संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी निःसन्तान हैं। विशेषज्ञों की नजर में गर्भाधान के लिए एक वर्ष तक

प्रयास करने के बाद भी यदि गर्भ नहीं ठहरे, तो उसे बंध्यत्व का मामला मानकर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सभी परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी स्त्री में हर माह गर्भाधान की संभावना केवल 15 प्रतिशत ही रहती है। नारी की गर्भ-धारण की क्षमता 24-25 वर्ष की आयु में चरम सीमा पर होती है। इसके बाद यह क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। अतः देर से होने वाले विवाह इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं।

बंध्यत्व पर किए अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि 40 प्रतिशत मामलों में स्त्री और इतने ही मामलों में पुरुष उत्तरदायी होते हैं। दस प्रतिशत मामलों में समस्या दोनों में होती है। बाकी मामलों में पूरी खोजबीन के बाद भी यह तय नहीं हो पाता है कि समस्या कहां है।

प्रजनन क्रिया में कौन-सा कारक बाधक है, इसकी छानबीन करने में प्रायः बहुत-से तथ्यों की तह में जाना पड़ता है। इसमें समय लगना स्वाभाविक है। कुछ दंपती धैर्य खोकर चिकित्सा को बीच में छोड़ देते हैं, जो उचित नहीं है। यह जरूरी है कि पति-पत्नी दोनों ही विशेषज्ञ से मिलें।

महिलाओं में ग्रीवा-ग्रन्थि (थाइराइड), वक्ष और वेजाइनल (भीतरी) जांच के साथ सरविक्स (गर्भाशय के मुंह) से द्रव लेकर जांच के लिए रख लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी देख लिया जाता है कि उसमें हर्मोनल उतार-चढ़ाव के कोई लक्षण तो विद्यमान नहीं हैं।

पुरुष में जनन-अंगों की जां जरूरी होती है। अंड-कोश और शुक्राणुवाहक नली में कहीं कोई कमी तो नहीं, अंड-कोष की शिराएं बढ़ी हुई तो नहीं और उसे हार्निया तो नहीं है। जांच दौरान काफी कुछ साफ हो जाता है। इस जांच से ही ऐसे संकेत मिल जाते हैं, जिनसे कारण पकड़ में आ जाता है।

इसके बाद पुरुष में प्रजनन-सामर्थ्य परखने के लिए सिमन एनालिसिस (वीर्य-जांच) की सलाह दी जाती है। प्रायः देखने में आता है कि कई पुरुश अपनी जांच और परीक्षण करवाने का विरोध करते हैं। शायद इसका मूल कारण यह है कि अधिकांश पुरुष मन-ही-मन जनन-क्षमता को यौन सामर्थ्य से जोड़ लेते हैं। यदि पुरुष अंड-ग्रन्थि में एक भी शुक्राणु न रहे, तब भी वह सहज रूप से सहवास कर सकता है। यौन सामर्थ्य, शुक्राणु-संख्या और उनकी सामान्य अवस्था से कतई जुड़ा हुआ नहीं है।

शुक्राणु विश्लेषण

वीर्य की सूक्ष्म जांच से प्रायः यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुश संतानोत्पत्ति में सक्षम है या नहीं। यदि उसमें कोई कमी है, तो किस किस्म की है। वीर्य-परीक्षण में शुक्राणुओं के

तीन गुण विशेष महत्व के हैं–

शुक्राणु संख्या–सामान्य स्खलन में 6-12 करोड़ शुक्राणु होते हैं। सामान्यतः एक ही शुक्राणु डिंब को बेधकर जीवन की उत्पत्ति करता है। तब गर्भाधान के लिए इतने सारे शुक्राणुओं की आवश्यकता क्यों ? वस्तुतः, हर शुक्राणु के शीर्ष पर एक एन्जाइम पाया जाता है। यह एन्जाइम डिंब-बेधन की क्रिया में शुक्राणु की सहायता करता है। यद्यपि केवल एक शुक्राणु के एन्जाइम इस कार्य में सहायक होते हैं। यही कारण है कि स्खलन में शुक्राणुओं की कमी संतानोत्पत्ति में बाधक बन जाती है।

शुक्राणु गतिशीलता (मोटिलिटी)–यदि 60 प्रतिशत या उससे अधिक शुक्राणु गतिशील हैं, तो इससे पता चलता है कि वे सामान्य हैं। गतिशीलता के अभाव में शुक्राणु निषेचन के योग्य नहीं होते हैं।

आकार–यदि 40 प्रतिशत से अधिक शुक्राणु आकार में असामान्य हों, तो वे असामान्य माने जाते हैं।

तीन बार वीर्य की जांच हो जाने के बाद भी यदि उसमें कमी दिखाई पड़ती है, तो आगे जांच जरूरी होती है। यदि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या दो करोड़ से कम और 50 लाख से अधिक हो, तो उसे **ओलिगास्पर्मिया** कहा जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे–मानसिक तनाव, अतिरिक्त धूम्रपान, मदिरापान या दूसरा कोई नशा, शारीरिक थकान आदि। शुक्राणु-उत्पत्ति में अंडकोश (टेस्टीज) का तापमान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कसी हुई जांघिया पहनने से अंडकोश का ताप बढ़ जाता है, जिससे शुक्राणु सामान्य रूप से नहीं बन पाते हैं।

15 से 20 प्रतिशत बंध्य पुरुषों में बंध्यत्व का कारण अंडकोश की शिराओं में असामान्य फैलाव होता है। इस विकार को **वेरिकोसील** कहते हैं। इसमें अंडकोश का तापमान बढ़ने में गिरावट आ जाती है। एक मामूली ऑपरेशन द्वारा फूली हुई शिराओं को बांधकर यह समस्या दूर की जाती है।

पुरुष-बंध्यत्व का इंफेक्शन से भी सीधा संबंध है। रोगाणुओं के संक्रमण से शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलाता पर गम्भीर असर पड़ता है। क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा आदि रोगाणु इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसी स्थिति में एंटिबायोटिक औषधियां सफल होती हैं। जिस पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बिलकुल नहीं पाए जाते हैं, उन्हें **एजोस्पर्मिया** की श्रेणी में रखा जाता है। इसके मूलतः दो कारण होते हैं–(1) अंडकोश में शुक्राणुओं की उत्पत्ति न होना (2) अंडवाहक नली में किसी तरह की रुकावट होना। ऐसी दशा में, यदि अंडकोश आकार में सामान्य मिलता है, तो पुरुष के हार्मोनल स्तर की जांच की जाती है। यदि वह भी सामान्य हो, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या अंडवाहक नली में रुकावट की है। तब माइक्रोसर्जरी

द्वारा इस नली को सामान्य बनाया जा सकता है। फिर भी 30 से 40 प्रतिशत मामलों में ही जनन-क्षमता सामान्य हो पाती है। दूसरे बंध्य पुरुषों में अंडकोश के बायोप्सी की जांच भी समस्या के निदान के लिए जरुरी हो जाती है। कुछ मामले में समस्या इम्यून-प्रणाली से भी जुड़ी रहती है। उसमें एंटीस्पर्म-एंटीबॉडी होने के कारण शुक्राणु अपना अपेक्षित काम करने में असमर्थ हो जाते हैं।

महिलाओं में किए जाने वाले परीक्षण

महिलाओं में डिंब के सामान्य निर्माण और उत्सर्ग से संबन्धित जांच की जाती है। इसके लिए प्रातः बिस्तर छोड़ने से पहले शरीर का तापमान रिकॉर्ड करना, हार्मोन-स्तर की परख, भीतर से गर्भाशय की सफाई करके ऊतक की जांच (डी एण्ड सी) और अल्ट्रासाउंड द्वारा डिंब-ग्रन्थि (ओवरी) की जांच शामिल हैं। इससे जब यह स्पष्ट हो जाता है कि डिंब-उत्सर्ग सामान्य रूप से हो रहा है, तो गर्भाशय के मुंह वाले द्रव की जांच की जाती है। शुक्राणुओं को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग से जाना पड़ता है। अतः, यह जानना जरूरी होता है कि इस भाग में पाया जानेवाला म्यूकस उन्हें रास्ते में बाधक तो नहीं है।

इसके तीसरे महीने में गर्भाशय और डिंबवाही नलियों की परख के लिए रंगीन एक्स-रे, एच.एस.जी. (हिस्ट्रो-सेलपिंगोग्राफी), और भीतरी ट्यूबनुमा यंत्र (लेपरोस्कोप) डालकर डिंब-ग्रंथियों, डिंब-नलियों और गर्भाशय को साक्षात् देखा जाता है। इन सभी जांचों के पूरे होने पर बांझपन का कारण सामान्यतः स्पष्ट हो जाता है।

डिंबवाही नली के विकार

आमतौर पर डिंबवाही नली के बाहरी भाग में ही डिंब और शुक्राणु का मिलन होता है। अतः, यदि दोनों तरफ की नली बन्द हो, तो गर्भाधान संभव नहीं हो पाता है। टी.बी. और अन्य संक्रामक रोगों में यौन रोग भी शामिल हैं, जो सहवास के दौरान एक साथी से दूसरे साथी में पहुंच जाते हैं। प्रसव या गर्भपात के बाद भी इंफेक्शन होने से रोग हो सकता है। अतः, विशेषज्ञों की राय है कि पहली बार गर्भाधान होने पर गर्भपात कराना उचित नहीं है। यदि कोई इंफेक्शन हो, तो उसका इलाज कराना अनिवार्य है।

जिन मामलों में डिंबवाली नलियां अवरुद्ध होती हैं, उनमें माइक्रोसर्जरी द्वारा नलियों में काट-छांट कर उन्हें सुचारु रखने की कोशिश की जाती है। इसके बाद, गर्भाधान में लगभग 40 प्रतिशत मामलों में ही सफलता मिलती है। शेष मामलों में एक महत्वपूर्ण उपाय है—**टेस्ट ट्यूब बेबी।**

ऐसा देखा गया है कि बंध्यता के कुछ मामलों में बिना किसी रोग के ही डिंबवाही

नलियों का रास्ता, ऐंठन के कारण, सिकुड़ा हुआ होता है। इनमें एच.एस.जी. जांच कई बार सिकुड़न को दूर कर देती है और कुछ ही माह में गर्भ ठहर जाता है।

गर्भाशय के दोष

गर्भाशय की भीतरी सतह जहां निषेचित डिंब पहुंचकर अपना घरौंदा बनाता है के रोगग्रस्त होने के कारण भी बांझपन हो सकता है। टी.बी., रसौली और कुछ अन्य रोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एंडोमिट्रियोसिस नामक रोग के कारण भी गर्भाधान में बाधा आ सकती है। औषधियों और शल्य-चिकित्सा की सहायता से इन दोषों को अब दूर किया जा सकता है।

कुछ स्त्रियों में गर्भाशय की बनावट में भी जन्मजात कमियां होती हैं। इनमें इलाज की संभावनाएं कम होती हैं।

सर्वाइकल हॉस्टिलिटी

शुक्राणु को डिंब तक पहुंचने के लिए **सरविक्स** (गर्भाशय के मुख) से गुजरकर जाना होता है। इस भाग की श्लेष्मा कुछ महिलाओं में ऐसी होती है कि शुक्राणु भीतर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं। अब दवाओं और **गिफ्ट तकनीक** से इसका इलाज संभव हो गया है।

कुल मिलाकर अब बंध्यता के 90 प्रतिशत मामलों में दवाओं और शल्य-चिकित्सा से गर्भाधान में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि दंपती अपना धैर्य न खोएं, निदान के लिये आवश्यक जांच करवाएं और चिकित्सा पूर्ण रूप से करवाएं। घर के आंगन को शिशु की किलकारियों से चहका लेने के लिए इतना मूल्य अदा करना कोई अधिक नहीं है।

शेष 20 प्रतिशत मामलों में भी दूसरे उपाय संभव हैं अर्थात् पररखनली शिशु। जिन महिलाओं में डिंबवाही नलियां (फैलोपियन ट्यूब्स) ऑपरेशन के बाद भी यदि ठीक न हो पाएं या जिन पुरुषों के वीर्य के शुक्राणुओं की संख्या कम हो और उन मामलों में, जिनमें सभी जांच-परीक्षण के बाद भी बंध्यता का कारण स्पष्ट न हो, उनमें परखनली शिशु विधि से समस्या का सफल समाधान संभव है।

डॉनर इनसेमिनेशन

बंध्यत्व के ऐसे मामले, जिनमें स्त्री की प्रजनन क्षमता पूरी तरह सामान्य होती है, परन्तु चिकित्सा के हर प्रयास के बावजूद जब पुरुष को सामान्य नहीं बनाया जा सका हो

और दोनों की तीव्र इच्छा हो कि घर में नन्हा-मुन्ना आए, तब इस विधि द्वारा महिला का गर्भ-धारण करवाया जा सकता है। इस दिशा में कदम उठाने से पहले यह आवश्यक होता है कि पति-पत्नी इसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर लें, जिससे कि बाद में किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो। उनकी पूर्ण सहमति होने पर ही चिकित्सक डॉनर इनसेमिनेशन का प्रयास करता है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार डॉनर इनसेमिनेशन के अधिकांश मामलों में पुरुष ही पहल करता है। संभवतः, उसके मन में कहीं यह इच्छा होती है कि चाहे जैसे भी हो उसकी पत्नी की मातृत्व का सुख मिले और उसे परिवार का नाम चलाने लवाला उत्तराधिकारी मिल जाए। शायद एक कारण यह भी रहता हो कि समाज से वह अपनी कमजोरी छिपा सके।

इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले यह निर्धारित करना पड़ता है कि स्त्री में किस दिन डिंबोत्सर्ग होगा। यह निर्धारित करने की कई विधियां हैं। उस दिन के आसपास तीन बार, एक दिन के अंतर पर, गर्भधान का प्रयास किया जाता है।

वीर्यदाता से वीर्य प्राप्त करके उसे ग्रहण करने वाली महिला के गर्भाशय के बाहरी भाग (सरविक्स) में रोपित कर दिया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार की सिरिंज या केन्यूला का उपयोग किया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है—न तो वीर्यदाता को पता चल पाता है कि वीर्य ग्रहरण करने वाली स्त्री कौन है और न स्त्री को पता चल पाता है कि वीर्यदाता कौन है। इस गोपनीयता से आगे चलकर कोई नैतिक और कानूनी समस्याएं पैदा नहीं होती हैं। डॉनर का चयन करते समय इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है कि वह किसी रति रोग या जेनेटिक रोग से पीड़ित न हो।

डॉनर इनसेमिनेशन की समस्या का सबसे प्रभावी समाधान तो स्पर्म बैंक ही है जिसमें हर तरह के गुण वाले दाताओं से वीर्य प्राप्त करके रखा जाए। इससे लगभग वैसा ही डॉनर चुना जा सकता है जो स्त्री के पति के डील-डौल, रंग-रूप और भौतिक गुणों से मिलता-जुलता हो। विकसित देशों में इस तरह के स्पर्म-बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, परन्तु भारत में इस तरह की कोई स्पर्म बैंक अब तक नहीं बन पाया है।

किराए पर गर्भ-धारण

कुछ देशों में अब किराए की मां (सरोगेट मदर) भी मिलने लगी हैं। यह विधि उन दंपतियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है जिनमें पुरुष में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, परन्तु स्त्री पूरे इलाज के बावजूद प्रजनन-क्षमता प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे मामले में आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन द्वारा किराए की मां का गर्भ ठहरा दिया जाता है।

यह विधि आज तरह-तरह की नैतिक और कानूनी जटिलताओं से घिर गई हैं। पहले

तो कुछ महिलाएं किराए की मां बनने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर शिशु के जन्म के बाद मातृत्व का मोह उन्हें नवजात शिशु से बिछुड़ने नहीं देता। वैसे वे इनकी मोटी फीस वसूल करती हैं।

98, अशोक नगर, आगरा-282002

अच्छा स्वभाव सदा सौंदर्य के अभाव को पूरा कर देगा, किंतु सौंदर्य अच्छे स्वभाव के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता।

—एडीसन

योग्य मनुष्यों के आचरण का सौंदर्य ही उनका वास्तविक सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य उनकी सुंदरता में किसी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं करता।

—तिरुवल्लुवर

यदि सुंदरता के साथ सद्गुण हैं तो वह हृदय का स्वर्ग है, यदि उसके साथ दुर्गुण हों तो वह आत्मा का नरक है—वह ज्ञानी की होली और मूर्ख की भट्टी है।

—क्वार्ल्स

सुख भाग्यशाली को परखता है और संकट महान व्यक्ति को।

—एलनीद यंगर

वही सबसे सुखी है, चाहे वह राजा हो या किसान, जो अपने घर में शांति पाता है।

—गेटे

प्रकृति के साथ फिर से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने होंगे

—गिरधारी लाल विजयवर्गीय

आदि काल से ही मनुष्य और प्रकृति के मध्य मधुर, सौहार्दपूर्ण एवं भावनात्मक संबंध रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो ज्ञात होगा कि केवल प्रकृति ने ही मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक गति प्रदान की है। एक क्षण के लिए भी मनुष्य अपने आप को प्रगति से जुदा नहीं समझ सकता। मगर बड़े दुख का विषय है कि अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत वही मनुष्य गत वर्षों से प्रकृति के साथ निरंतर छेड़छाड़ कर रहा है। भौतिकवादी संस्कृति ने पर्यावरण के प्रति मनुष्य के लगाव को पूरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया है। धन लोलुपता और विलासिता की चाह ने हमें इतना अंधा बना दिया है कि हम पर्यावरण सुरक्षा को लेकर लेश मात्र भी चिंतित नजर नहीं आते, अपितु दिन प्रतिदिन गैर जिम्मेदार होते जा रहे है। इसी का परिणाम है कि हमारे समक्ष आज पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फैलाये खड़ी है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से परिपूर्ण सुन्दर एवं विशाल भू-भाग जो हमें सौंपा था, उसका स्वरूप ही हमने बिगाड़ कर रख दिया है। आशा तो यह की गई थी कि 21वीं सदी का पर्यावरण अभूतपूर्व और अद्वितीय होगा मगर हमारी अपनी ही कारगुजारियों की वजह से वह प्रतिदिन और अधिक आहत होता चला गया।

पारिस्थितिकी तंत्र में अचानक आई असंतुलन की स्थिति ने आज पर्यावरण के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी है। पर्यावरण के सौन्दर्य में चार चांद लगाने वाले हरे-भरे वनों की अन्धाधुन्ध कटाई आज बदस्तूर जारी है। वही बढ़ते प्रदूषण ने पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप को उल्ट कर रख दिया है। सूर्य की घातक परा बैंगनी किरणों को रोकने में समर्थ व पर्यावरण की रक्षक समझे जानी वाली ओजोन परत अनवरत घट रही है। धरती का तापमान भी निरंतर बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण एवं धरती के लगातार गर्माने से अनेक ग्लेशियरों को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते उत्तर भारत की अनेक नदियों में बाढ़ के हालात पैदा हो गये हैं। यदि यही हाल रहा तो उड़ीसा जैसी भयंकर त्रासदी हमें एक बार फिर झेलनी पड़ेगी। वहीं जल एवं वायु प्रदूषण ने तो पर्यावरण की बची खुची सांसें ही समाप्त कर डाली है। यहां हम पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करेंगे :—

हरे-भरे वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई चिन्ताजनक :

एक ओर जहां पर्यावरणीय सुन्दरता को बनाये रखने के साथ-साथ हरे-भरे वृक्ष हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है, वहीं दूसरी ओर मौसमी तंत्र में असंतुलन की स्थिति को भी काफी हद तक नियंत्रित करने में इनकी अहम भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। किन्तु

यह दुःख एवं चिन्ता का विषय है कि आज बड़ी बेरहमी से इन हरे-भरे वृक्षों को अन्धाधुन्ध काटा जा रहा हैं। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में इन पेड़ों पर गाज गिर रही हैं। आज भी भारत के कई ऐसे भू-भाग है, जो पूर्णरूपेण हरियाली से आच्छादित है, उनका हम सफाया करने पर तुले हुए हैं। औद्योगिकीकरण के नाम पर ऐसे स्थानो पर नित नई औद्योगिक इंकाईयां स्थापित की जा रही हैं। बड़े-बड़े बांधों का निर्माण बेरोक-टोक जारी है। कल तक जिस भूमि पर सघन और हरे वृक्ष वायु से हंस-हंस के बात किया करते थे, वहां आज बड़ी-बड़ी आवासीय कॉलोनियां, होटल और कॉम्पलेक्स दृष्टिगोचर होते है।

आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री जम्भेश्वर (जो सम्भवतः विश्व के प्रथम पर्यावरण विशेषज्ञ थे) ने खेजड़ी वृक्ष की वंश वृद्धि पर जोर दिया था। इनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने इर्द-गिर्द एक पौधा लगाने का अवश्य प्रण करना चाहिए। श्री जम्बेश्वर का पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम व स्नेह रहा था कि उन्होंने किसी भी हरे वृक्ष को काटने से मना कर दिया था। निशिचित रूप से पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से उनका यह प्रयास आज भी सराहनीय व प्रेरणादायी है। अब यहां यह प्रश्न उठना लाजमी है कि हरे पेड़ों को आज क्यों काटा जा रहा है ? क्या हम हरे-भरे वनों को उजाड़ कर ही उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते है ? आज भी भारतवर्ष की अधिकांश आबादी ऐसी है जो इन पेड़ों पर पूर्णतया निर्भर है। विशेषकर गांवों में बसने वाले लोग इन वृक्षों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। चन्दन, शीशम, सागवान जैसी कीमत लकड़ियों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं।

लोकप्रिय वाद्य यंत्रों को बनाने की वजह से भी अनेक वृक्षों की प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यवाही से लगभग 70 प्रजातियों के वृक्षों के लुप्त होने का अनुमान हैं इनमें मुख्य रोजवुड, देवदार, एबोनी और महोगनी मुख्य हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कारक हैं जिनके कारण इन वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं लगाया जाना चाहिए कि अपने निजी लाभ के लिए वृक्षों को काटना आज की महत्ती आवश्यकता बन गई है। हां, इस मामले में इतनी छूट अवश्य दी जा सकती है जो वन क्षेत्र जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं अथवा किसी भूमि में पेड़-पौधों की अधिक दिनों तक वृद्धि बनी नहीं रह सकती या फिर जो बेकार हो गए हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। मगर किसी हरियाली से ढ़के वन क्षेत्र को काटना कहां तक न्यायोचित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही ऋतु चक्र भी असंतुलित होता है।

कितने आश्चर्य कि बात है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर प्रतिवर्ष बड़े-बड़े सम्मेलन आयोजित करते हैं। इन सम्मेलनों में पर्यावरण समस्या पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ही हमारा असली रूप उभर कर सामने आता है यह बात हिमाचल प्रदेश द्वारा लिए गए हरे पेड़ों की कटाई के निर्णय के सन्दर्भ में और भी स्पष्ट हो जाती है। राज्य के मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया है कि आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक परियोजना

के तहत बांध निर्माण का कार्य करवाया जाना है। नर्मदा नदी से सिंचाई योग्य जल प्राप्त करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार यदि यह परियोजना पूर्ण हो जाती है तो अनेक बहुमूल्य व कीमती सागवान और बांस के उन्नत प्रजाति के वृक्ष पानी में डूब आएंगे। कई गांव में लोगों के विस्थापितों की समस्या खड़ी हो जाएगी।

यह परियोजना मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में शीघ्र शुरू करवाए जाने की उम्मीद है। हिमाचल मंत्रिमण्डल द्वारा वृक्षों को काटने संबंधी निर्णय तथा मध्य प्रदेश की परियोजना के विरोध में कई एवं सेवी संस्थाओं और पर्यावरणविदों का चिंतित होना स्वाभाविक हैं।

पर्यावरण के लिए नासूर बना जल-प्रदूषण

जल वह प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, जिसका कोई विकल्प नहीं जीवधारियों व वनस्पतियों को जीवित रखने एवम् उनका विकास करने की दृष्टि से जल महत्वपूर्ण माना गया है। जल के अभाव में पर्यावरण सुरक्षा की चर्चा करना बेमानी है। प्रदूषित जल से आज मानव जीवन के साथ-साथ पर्यावरण को भी संकट पैदा हो गया है। यदि गम्भीरता से चिन्तन किया जाए तो ज्ञात होगा कि गत वर्षों से जितना नुकसान पर्यावरण को जल प्रदूषण से हुआ है, शायद उतना अन्य कारकों से नहीं।

जल का स्तर लगातार घटने से कई कुएं सूखते जा रहे हैं और हैण्ड पम्प बेकार हो गए हैं। लोगों को पेयजल आपूर्ति के आधार समझे जाने वाले प्रमुख जल स्रोत भी अपना अस्तित्व खोकर गन्दगी का पर्याय बन गये हैं। अनेक झीलें नदियों में परिवर्तित हो गई हैं। परिणामस्वरूप भारत के अनेक गांवों में स्वच्छ पेयजल की विकराल समस्या उग्र रूप धारण कर चुकी है। अनेक लोग दूषित जल पीकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को मजबूर है। एक सीमा से अधिक जल में बहुत से रासायनिक पदार्थों जैसे—फ्लोराइड, क्लोराइड, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, आर्सेनिक आदि पाया जाना अब आम हो चला है। यह तत्व अत्यधिक मात्रा में घुलकर जल को दूषित बना डालते हैं।

भारत के अधिकांश लोग आज भी फ्लोराइडयुक्त जल का सेवन करते है, जिसके चलते 'फ्लोरोसिस' नामक रोग अपनी जड़ें मजबूती से जमाता जा रहा है। फ्लोराइडयुक्त जल मानव जीवन के साथ-साथ पर्यावरण के लिए घातक है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सोलह राजयों में 150 जनपदों में यह रोग व्याप्त है। इस रोग से दांतों व हड्डियों की बीमारी बढ़ने की सम्भावना अधिक बनी रहती है। दूषित जल को पीने व सिंचाई योग्य बनाने के लिए उनमें रासायनिक तत्वों का मिश्रण पर्यावरण व स्वास्थ्य दोनों के उपयुक्त नहीं माना जाता।

संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों

2249 HA/2000—7.

में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के अनेक प्रावधान किए गए हैं। वही दूषित जल की रोकथाम के लिए 1986 में केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य भी गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रमुख है। परन्तु इन सब कार्यक्रमों की विकास रिपोर्ट को सदैव कागजों में दिखाया जाता रहा है, व्यवहारिक दृष्टि से यह कार्यक्रम उतने सफल तब तक नहीं कहे जा सकते जब तक कि हमारे आस-पास के वातावरण को स्वच्छ ना बना दिया जाए। किसी भी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी प्रयासो के साथ-साथ जन सहभागिता को भी महत्व दिया जाए।

वायु और ध्वनि प्रदूषण : जल प्रदूषण के अलावा पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ने में वायु और ध्वनि प्रदूषण भी मुख्य कारक माने गए हैं। उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने के लिए औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज नगरों, महानगरों एवं कस्बों में कृषि भूमि पर औद्योगिक ईकाइयां धड़ल्ले से स्थापित हो रही हैं। नए-नए नगरों का निर्माण भी कृषि भूमि पर गैर कानूनी एवं से हो रहा है। भारी शोर-शराबे के साथ वाहनों एवं कल-कारखानों से निकलने वाला काला धुआं वायुमण्डल में मिलकर पर्यावरण को असामान्य तरीके से प्रभावित और प्रदूषित करने के साथ-साथ मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर छोड़ रहा है। एक जानकारी के अनुसार हमारे वायुमण्डल में ऐसी जहरीली गैसे विद्यमान है, जो मनुष्य में कैन्सर रोग को बढ़ावा देने में सहायक मानी गई हैं। यह गैसे कई बार तो सर्दियों के मौसम में धुन्ध के दौरान इतनी अधिक हो जाती हैं कि हम श्वास लेने के दौरान उन गैसों को अपने में सम्माहित कर लेते है।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण सर्वाधिक प्रभाव दिखा रहा है। स्वयं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है जिसकी वजह से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न सामने आया है। इसी प्रकार भारी ध्वनि प्रदूषण से भी हमारा वातावरण अछूता नहीं रह गया है। अनुसंधानों से पता चला है कि पर्यावरण में शोर की तीव्रता हर दस साल में दोगुनी होती जा रही है। शोर बढ़ाने वाले साधनों में जो इजाफा हुआ है, वह पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 1986 के पर्यावरण सुरक्षा कानून में भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को वायु व जल प्रदूषण के समान ही महत्व दिया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय क्षेत्रों व अस्पतालों को शांत क्षेत्र घोषित कर शोर के मानदण्ड तय किए हैं। मगर इन सब नियमों के बावजूद ध्वनि प्रदूषण पर किसी प्रकार का नियंत्रण कम नहीं हो पा रहा है बल्कि इसमें वृद्धि ही हुई है।

आज भी सड़कों पर भारी शोर-शराबें के साथ धुआं उगलते वाहन सरपट दौड़ते नजर आते है। बड़े वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर छोड़ रहा है। सरकार द्वारा अनेक सड़क मार्गों व क्षेत्रों को प्रतिबंधित एवं अवैध

घोषित किए जाने के बाद भी इन मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश आज भी अनवरत जारी हैं। अच्छा तो यही होगा कि इस दिशा में शीघ्र ही कठोर और कारगर कदम उठाए जाएं। तभी बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है।

वन्य जीवों के अस्तित्व का प्रश्न :

पर्यावरणीय सुन्दरता को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जाना चाहिए। पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायक इन पशु-पक्षियों की उपस्थिति आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य भी है। किन्तु वन्य जीवों की निरंतर लुप्तता ने पर्यावरण सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। अनेक सुन्दर और दुर्लभ वन्य जीवों के लुप्त हो जाने से उनके अस्तित्व का सवाल पर्यावरण विदों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए ही नहीं अपितु आम आदमी के समक्ष भी चुनौती का मुद्दा बन गया है।

केवल अपने भोजन के लिए मांस खाने हेतु शिकार करके या फिर इनके जिस्म के विभिनन अंगों से बेशकीमती वस्तुएं बनाने के लालच में मनुष्य द्वारा प्रतिवर्ष इन निरीह प्राणियों को मौत के घाट उतारा जा रहा हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि बन्दर ओर खरगोश केवल इसलिए मार दिया जाता है ताकि बाद में उनकी खाल और खून से सौन्दर्य प्रसाधन की सामग्रियों का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा काले-भूरे हिरण, मोर, तीतर, बाघ व अनेक पशु-पक्षियों का शिकार चोरी-छिपे करना अब आम बात हो गई है। बड़े दुःख का विषय है कि मनुष्य अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु अब हरे-भरे पेड़ों के साथ-साथ वन्य जीवों का भी धीरे-धीरे सफाया करता जा रहा है। निश्चित रूप से वन्य जीवों की लुप्त होती संख्या गम्भीर चिंता का विषय होना चाहिए।

गत वर्षों के दौरान बाघों की संख्या में भारी कमी आई है। इसी प्रकार पैनी दृष्टि रखने वाले मरे जीवों का भक्षण कर प्रकृति को संतुलित रखने वाले गिद्धों की संख्या में भी गिरावट आई है। एक अनुमान के अनुसार भारत में पाए जाने वाले आठ प्रकार की प्रजातियों के गिद्धों में से दो प्रजातियां-सफेद पीठ वाले व लम्बी चोंच वाले गिद्ध आने वाले समय में समाप्त ही हो जाएंगे क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान इनकी संख्या में 96 प्रतिशत तक कमी आई है।

अब हिरणों और मोरों का जीवन भी संभवतः खतरे में पड़ गया है। **गत वर्ष राजस्थान के जोधपुर जिले में कुछ फिल्मी सितारों द्वारा काले हिरणों का शिकार किया जाना, हमारी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति बरती जा रही ढिलाई का ही परिणाम है।** वहीं राजस्थान के चूरू जिले में एक दर्जन से भी अधिक मोरों की गोली मारकर हत्या किया जाना चिन्ता की बात है। दूसरी ओर विदेशों से प्रतिवर्ष भारत-भूमि में आने वाले कई पक्षियों की आवक भी शनैः-शनैः

कम होती जा रही है। साईबेरिया, चीन, श्रीलंका, तिब्बत, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार एवं सुदूर यूरोपीय महाद्वीप से आने वाले साईबेरियन सारस, हंस, चचरी, कोमान्टिल, गैलियायी, कांट मुख्य है। यह सही है कि हमारे पर्यावरण के लगातार दूषित होने की वजह से अब विदेशी पक्षी भी यहां आने से चिढ़ने लगे हैं।

मोटे तौर पर पशु-पक्षियों की लुप्तता का एक कारण यह भी माना जाता है कि भारत के कई पशु-पक्षी अभ्यारण्य ऐसे है, जो आज भी उपेक्षा के शिकार हैं। समुचित वातावरण और पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की वजह से भी ये दम तोड़ रहे हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कस्तूरी-मृग कारोबार आज भी अनेक देशों में व्यापाक पैमाने पर चल रहा है। उल्लेखनीय है कि कस्तूरी-मृग का सुगंधित इत्र एवं प्राच्य औषधियों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। हालांकि भारत व अमेरिका कस्तूरी-मृग के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने को राजी हो गए है लेकिन इस तरह की पहल दुनिया के सभी देशों को करनी होगी तभी पर्यावरण को संतुलित बनाने वाले वन्य प्राणियों की रक्षा की जा सकेगी अन्यथा यदि इसी प्रकार इनकी संख्या में भारी कमी आती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे कान इनके कलरव को सुनने के लिए तरस जाएंगे।

पर्यावरण और पर्यटन का महत्व समझें :

किसी भी देश की पर्यटन नीति उसके पर्यावरणीय माहौल पर निर्भर करती है। यदि पर्यावरण सुन्दर और स्वच्छ होगा तो पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। फलस्वरूप देश की आय बढ़ना भी स्वाभाविक है। इस सन्दर्भ में अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलन के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि, "हमें देश में परम्परागत तीर्थाटन की लाईन पर ही पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी सामाजिक मर्यादाएं और मजबूत हों तथा यह सब उस क्षेत्र विशेष की क्षमता और पर्यावरण संतुलन को ध्यान रखते हुए ही किया जाना चाहिए।

यहां हमें यह बात सहर्ष स्वीकार करनी पड़ेगी कि पर्यावरण में बढ़ते भारी प्रदूषण के परिणामस्वरूप ही पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष बेतहाशा कमी आई है। इसका मुख्य कारण ऐतिहांसिक और रमणीय महत्व के स्थलों पर बढ़ना गन्दगी का दबाव है। कई ऐतिहासिक महत्व के समझे जाने वाले किले, दुर्ग, पहाड़, महल हवेलियां आदि धीरे-धीरे प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। कई प्राकृतिक सौन्दर्य से सरोबार किले व दुर्ग उचित सार-सम्भाल न होने तथा **सरकार के उपेक्षात्मक रवैये** के फलस्वरूप अपना आकर्षण खो चुके हैं। इसी प्रकार कई आकर्षक और सुन्दर झीलें भी गन्दगी का पर्याय बन गई हैं, जिससे उनके अस्तित्व को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। विशेषकर बस्तियों के निकट स्थित झीलों का हाल तो बद से बदतर होता जा रहा है, जिसके कारण पर्यटक उन्हें देखकर दोबारा आने का दुस्साहस नहीं कर सकते।

उदाहरण के तौर पर अकेले हिमाचल प्रदेश की आधा दर्जन से अधिक झीलें अपना अस्तित्व और आकर्षण खोती जा रही हैं। इनमें नाको, खजियार, रेणुका, डल, करैली आदि मुख्य झीलें है। इन झीलों के आस-पास रहने वाले लोगों को प्रायः इनमें मल-मूत्र, कूड़ा-करकट पोलिथीन व अन्य कई प्रकार की वस्तुएं डालते हुए देखा जा सकता है। यही हाल उत्तर भारत की अनेक नदियों का है। धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अपना महत्व रखने वाली अधिकांश नदियां भी प्रदूषण की मार से बुरी हालत में हैं। बिहार, उत्तर, प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पशु-पक्षी अभ्यारण्यों में प्रदूषण की वजह से इनकी प्राकृतिक सौन्दर्यता खत्म होती जा रही है। यदि समय रहते पर्यटन महत्व के सैंकड़ों रमणीय स्थलों से प्रदूषण को नहीं हटाया गया तो पर्यटकों की एक बहुत बड़ी संख्या हमारे हाथ से निकल जाएगी।

बचाया जाए पर्यावरण को परमाणु से :

6 अगस्त 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी तथा हिरोशिमा नगरों पर की गई अणु बमों की वर्षा आज भी लोगों के मानस पटल पर अंकित है। क्षण भर में सब कुछ तहस-नहस हो गया। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाने एवं एक-दूसरे से आगे निकलने को होड़ ने विनाशलीला का ऐसा ताण्डव रचा की एकबारगी तो मौत भी सहम गई। इस घटना के कई वर्षों बाद भी उठते काले धुएं ने नागासाकी और हिरोशिमा के प्राकृतिक सौन्दर्य का जो नामो-निशान मिटाया, तो शायद ही प्रकृति मनुष्य एवं उसे विज्ञान को कभी माफ कर पाएंगे ? इस घटना के 50 साल बाद भी यहां की प्रकृति नैतिकता की दुहाई देती हुई आज भी बार-बार मनुष्य से एक ही प्रश्न कर रही है कि क्या विज्ञान और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि विज्ञान और नैतिकता का परस्पर सम्बंध अब धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

माना कि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सैन्य शक्ति का विकास किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी है किन्तु किसी राष्ट्र को यह अधिकार तो नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने हथियारों का उपयोग मानव एवं प्रकृति को नष्ट करने में करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जिन घातक हथियारों से हम अपनी वन-सम्पदा को क्षति पहुंचा रहे है, एक दिन वही प्रकृति भयंकर प्राकृतिक आपदा के रूप में कहर बनकर टूटेगी ! तब यह हथियार भी क्षण भर में नष्ट होते नजर आएंगे और हम भी। प्रकृति और मानव हित में यही श्रेयस्कर होगा कि हथियारों का निर्माण बंद कर दुनिया के सभी देश निशस्त्रीकरण पर जोर दें।

इस सन्दर्भ में भारत की रक्षा नीति, पर्यावरण के प्रति उसकी सकारात्मक सोच एवं परमाणु अप्रसार मुद्दे पर अमरीकी उप विदेश मंत्री थॉमस पिकरिंग ने गत दिनों कहा था कि "अमरीका के साथ लगातार बढ़ती वार्ताओं में भारत सकारात्मक रवैया अपना रहा है। हमें सिर्फ परम्परागत सुरक्षा और आर्थिक हितों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों एवं पर्यावरणीय चिंताओं के लिहाज से भी परमाणु अप्रसार पर जोर देना चाहिए।"

2249 HA/2000—8

वास्तव में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी को हथियारों की होड़ कम करनी होगी। विज्ञान को नैतिकता से मुक्त बताना बड़ी भूल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान और नैतिकता की कड़ी को फिर से स्थापित किया जाए, तभी पर्यावरण की सुरक्षा सम्भव है अन्यथा फिर किसी नगर या शहर को नागासाकी व हिरोशिमा बनने के लिए तैयार रहना होगा।

पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस उपाय :

1. आज प्रकृति के प्रत्येक घटक के साथ पुनः भावनात्मक सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य को बचाया जा सकता है।
2. परम्परागत विधि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की हमारी आदत ने पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप को बदलकर रख दिया है। अतः ज्यादा अच्छ तो यह होगा कि सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषण रहित प्रणालियों में परिवर्तन किया जाए।
3. कृषि भूमि पर धड़ल्ले से स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया जाए। ये संयंत्र भारी शोरगुल तो करते है ही साथ वायु प्रदूषण फैलाने में भी पीछे नहीं है।
4. औद्योगिक संयंत्रों का आयात करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे प्रदूषण रहित हो। सरकार को भी चाहिए कि प्रदूषण रहित टेक्नोलोजी का प्रयोग करें ताकि पर्यावरण को बचाने में काफी हद तक मदद मिल सके।
5. हरे-भरे वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई पर रोक केवल जन सहभागिता से ही लगाई जा सकती है। इसके लिए वामन प्रयासों की अपेक्षा भागीरथी प्रयासों की सख्त आवश्यकता है।
6. पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए सामाजिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा।
7. पर्यावरण में बढ़ती शोर की तीव्रता को कम करने के लिए अधिकाधिक संख्या में हरे पेड़ पौधों को लगाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को शोषित करने में इनकी भूमिका अद्वितीय है। अतः भारी शोर करने वाले कारखानों, व्यस्त सड़कों, रेल पटरियों आदि के आस-पास ताड़, इमली, नारियल और आम के वृक्ष लगाए जाए।
8. हरे वृक्षों की कटाई एवं वन्य जीवों का शिकार करने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करके उन्हें दण्डित किया जाए।
9. अनेक जल परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व यह तय किया जाना चाहिए कि ऐसा करने से नजदीक के वातावरण को किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पहुंच रही है।

10. पर्यावरण को जल प्रदूषण की मार से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वाले कार्यक्रमों को व्यवहारिक स्वरूप दे ताकि उसे औपचारिकता का अमली जामा पहनाए।
11. पोलिथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। प्रदूषण फैलाने में यह पूरीतरह से जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रतिदिन सात गायें केवल इसलिए दम तोड़ रही है कि वे सड़क पर पड़ी हुई गन्दगी के ढेर से अन्य खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाती हैं।
12. धुआं उगलने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाई जाए।
13. यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को आस-पास एक पौध लगाने का प्रण अवश्य करना चाहिए। प्रकृति के साथ मनुष्य का भावनात्मक सम्बंधों का यह प्रयास देखने में भले ही छोटा हो मगर इसका प्रभाव विस्तृत एवं व्यापक अवश्य होगा, यह निश्चित है।

जयलाल मुंशी का रास्ता, नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर, पुरानी बस्ती, जयपुर-302001

सुखों के चले जाने पर ही हम उनका महत्त्व समझ पाते हैं, जब हम सुखी होते हैं, तब नहीं।

—अरस्तू

सुखी है वह, जो इस संसार को एक स्वर्गीय उपवन में परिणत कर देता है।

—स्वामी रामतीर्थ

ज्वारभाटा

—अभिमन्यु अनत

रविवार का सूरज सोमवार की तलाश में पश्चिमी क्षितिज में डुबकी ले चुका था। वहां के जोरदार झोंकों के सामने अड़कर भी नाव को पानी के भीतर ले जाने में हरनाम सफल हो गया. जबकि कोई दस घण्टों पहले से समुद्र से सभी छोटी नावों को पानी से हटाकर बालू पर लाया जा चुका था। रईसों की बड़ी नावों को चूर-चूर होने से बचाने के लिए, कुछ और भीतर तथा सुरक्षित ठौरों पर बांध दिया गया था, जहां बवंडर का भय कम था। अंधेरे के साथ हवा की रफ्तार भी बढ़ती गई। उस अंधेरे और भयावह मौसम में किसी ने हरनाम को अपनी नाव कें साथ समुद्र में जाते नहीं देखा।

उसे तो अखबार पढ़ना आता ही नहीं था। अगर वे हिंदी में होते तो वह भली-भांति पढ़ लेता। खबर उसे पढ़कर सुनाई थी चंदू ने। सुबह के कोई आठ बजे हरनाम घर के भीतर आ गया था। बिना कुछ कहे उसने अखबार के उस पन्ने को हरनाम के सामने कर दिया जिसमें चार अन्य लड़कियों के चित्रों की बगल में सोनिया की भी तस्वीर थी। हरनाम को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ था कि वह उसकी बेटी की तस्वीर थी। इसलिए, नहीं कि चेहरा वही नहीं था बल्कि इसलिए कि सोनिया की तस्वीर का इस तरह अखबार में आ जाने की बात का तो उसे कभी सपने में भी ख्याल नहीं था। वह चन्दू के हाथ से 'वीक-एण्ड' की वह प्रति लेकर अपनी बेटी की उस तस्वीर को एकटक देखता रह गया था। बिना सिर उठाए चन्दू से कहा था।

—यह तो सोनिया की फोटो है।

दो कमरों के घर में वैसे तो चार कुरसियां थीं। उनमें बैठने लायक एक ही थी। उसी पर बैठकर चन्दू ने पूरे पन्ने भर के उस लेख को पढ़कर हरनाम को समझाया था। फ्रेंच के कुछ शब्द उसकी अपनी समझ में भी नहीं आए थे। लेकिन उसके बावजूद पूरा लेख हरनाम की समझ में आ ही गया था और फिर तो चूल्हे से उतर देगची की चाय को न तो उसने अपनी कटोरी में उड़ेला और न ही उसमें चीनी मिलाने की जरूरत हुई। चन्दू तो अपने अखबार के साथ लौट गया था, पर हरनाम अपने कमरे के भीतर खामोशी में भी छटपटाता रहा। मौसम गरमी की थी पर सुबह-सुबह उतनी अधिक गरमी उसने कभी नहीं जानी थी। बाहर जारों की हवा थी पर उस हवा में जरा सी ठंडक नहीं थी।

पिछले दो दिनों से रेडियों से यह ऐलान आ रहा था कि मॉरिशस के उत्तरी इलाके में एक भारी तूफान जोर पकड़ता जा रहा था। कल रात हरनाम शम्भू के घर हो रहे रामायण के सत्संग में उपस्थित था। वहीं उसे रेडियो का वह ऐलान भी सुना था जो हर घण्टे अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी और क्रियोली में प्रसारित किया जा रहा था। तब की वह ताजा सूचना यह थी कि द्वीप से कोई दो सौ मील की दूरी पर 'साविना' नामक तूफान कोई पांच मील प्रति घण्टे की रफतार के साथ टापू की ओर बढ़ा आ रहा था। तूफान का पता मीट्रियोलोजिकल विभाग को चार दिन पहले साटेलाईट द्वारा भेजी गई। तस्वीरों से चल गया था। तब वह एक मामूली तुफान था पर इन पिछले चौबीस घण्टों में उसने असाधारण शक्ति हासिल कर ली थी। यह अनुमान किया जाने लगा था कि अगर हवा की रूख वही रही और उसकी टापू की ओर बढ़ने की गति भी बनी रही तो चौबीस घण्टों के भीतर वह प्रचण्ड रूप धारण कर सकता है और वैसी स्थिति में हवा की रफ्तार एक सौ से डेढ़ सौ मील प्रति घण्टे तक पहुंच सकती है।

मछुआ तथा पिकनिक पर निकलने वाले लोगों को खास कर यह हिदायत दी गई थी कि वे किसी भी हालत में अपनी नावों को समुद्र में ने ले जाए। रविवार की सुबह की ताज़ा खबर सुनने के बाद ग्रां-बे के मछुए और वे धनपति जिनके अपने समुद्री सैर-सपाटे के लिए भव्य नावें हुआ करती थीं व सभी अपनी-अपनी नावों को सुरक्षित ठौर पर पहुंचाने में जुट गए थे। हरनाम तब भी अपने कमरे में बन्द बाहर के विद्रोही मौसम के ख्याल से मुक्त उससे भी भारी भरकम ख्याल के बोझ के नीचे दबा हुआ था। गाबी अगर उस तक नहीं पहुंचता तो वह उसी तरह अपने को औरों की नज़रों से बचाए रखता। उसे अपने पास-पड़ोस के लोगों की निगाहों से इतना डर कभी नहीं लगा था। गाबी जब उसे लेने आया था तो हरनाम ने उसकी आंखों में झांक कर पहले उसी चीज़ को देखना चाहा जिससे वह डर रहा था पर गाबी की आंखों में वैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। उसकी उन आंखों में तो शराब की खुमारी के सिवा कुछ थी ही नहीं। वही खुमारी उसकी आवाज़ में भी थी।

—'कि आरीवे तो पा चीर तो बातो आं देओर ? एना ग्रां सीकलोन दे ओर !

हरनाम को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि बाहर तूफान जोर पकड़ता जा रहा था और उसे भी अपनी नाव को समन्दर के प्रलयंकर ज्वारभाटों से बचाकर बालू पर ले आना था। गाबी उसका सहयोगी था कोई दस वर्षों से। उसके बिना हरनाम कभी भी मछली फंसाने निकला ही नहीं। जब वह उसके साथ समन्दर किनारे पहुंचा तो खतरों के साथ अठखेलियां खेलती उसकी नाव समन्दर में अकेली थी। इस विस्तृत समन्दर में अपनी नाव को अकेला देखकर उसे खुशी हुई थी। चार अन्य मित्रों के सहयोग से मस्तूल को बालू पर रखकर और उस पर नाव को सरका कर उसे ऊपर तक ले गया था जहां तूफानी ज्वारभाटों के पहुंचने का भय कम था। जिस नाव को कोई दो घण्टे पहले छह व्यक्तियों ने समन्दर से बाहर किया था उसे उस एकान्त और धुंधलके में हरनाम लम्बे और भारी प्रयत्न के बाद अकेले ही फिर से समन्दर तक ले जाने में कामयाब लम्बे और भारी प्रयत्न के बाद अकेले ही फिर से समन्दर

तक ले जाने में कामयाब हो गया था। जब वह घर से निकला था तब भी उसे इस बात का डर था कि लोग उसे उस नज़र से न देखने लगा जाएं जिसके खयाल मात्र से उसकी पलकें नीची थीं लेकिन लोग तो तुफान का भय अपने भीतर लिए आवश्यक सामान जुटाने में लगे हुए थे। नाव को सुरक्षित ठौर पर पहुंचा चुकने के बाद गाबी ने भी हरनाम को वही परामर्श देते हुए कहा था।

—देखना रात में तूफान के जोरदार हो जाने पर बिजली कट जाएगी। तुम दुकान से मोमबत्तियां ले आना और अपने खाने-पीने की कुछ चीजें भी लेना मत भूलना।

गाबी ने उसे यह भी बताया था कि वह रेडियो से ताज़ा खबर सुनकर आया था। हवा की गति द्वीप के कुछ इलाकों में इस समय चालीस मील प्रति घण्टे की रफ़्तार थी। रात में उसके अस्सी मील प्रति घण्टे और शायद कल दिन तक उसके सौ मील घण्टे तक पहुंच जाने का अंदेशा था। पर हरनाम तो उससे भी खूंख्वार तूफान को झेल रहा था।

समन्दर के भीतर पहुंच जाने पर ही उसे उस बाहरी तूफान का एहसास हुआ। उसने उस धुंधलके में समुद्र किनारे के उन झावे और नारियल के पेड़ों को पौधों की तरह हवा के थपेड़ों के साथ अठखेलियां खाते देखा। हवा के दहाड़ने की उस आवाज़ को उसने समन्दर के भीतर ही से सुना। उसने अब तक अपनी नाव की इंजन को चलाया नहीं था। उसने जिस दिशा को नाव बढ़ाना चाहा था। नाव हवा के उन झोकों के कारण विपरीत दिशा को ही बढ़ रही थी। उसे पतवार खेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। तट से कोई मील भर के फ़ासले को पहुंच आने पर उसने सामने के घरों और झुरमुटों के बीच अपने उस छोटे से घर को देखना चाहा। वह जानता था कि वह उसकी असम्भव चेष्टा थी। अंधेरा जितना गहन होता गया हवा का दहाड़ना भी उतना ही तेज़। समन्दर के भीतर उसकी अपनी नाव से कोई आधे ही मील की दूरी पर प्रवाल रेखाओं पर उठ रहे ज्वारभाटों को भी अब वह देख नहीं पा रहा था पर जानता था कि वहां ज्वारभाटे अपने फेनिल झागों के साथ कोई बारह-पन्द्रह फुट ऊंचे उठने लगे होंगे।

उसने अपने आप से पूछा कि वह इस भयंकर तूफान में कहां जा रहा था। उसे अपने आप से कोई भी उत्तर नहीं मिला। वह जानता था कि तूफ़ान की गति बढ़ती गई थी तो घण्टे-दो-घण्टे में उसे अपनी नाव को उफ़न रही उन लहरों के ऊपर टिकाए रखना नितान्त असम्भव होगा। लेकिन उसके अपने जेहन में सम्भव और असम्भव की कोई भी ऐसी कशमकश नहीं थी। वह तो जायज़ और नाजायज़ जैसे दो खयालों से जूझ रहा था—एकदम उसी वक्त से जब से उसने अखबार में अपनी बेटी की तस्वीर देखी थी और चन्दू ने उस तस्वीर के ईर्द-गिर्द की पूरी कहानी उसे बताई थी। पर उस से यह भी सही और निश्चित झंग से तय नहीं हो पा रहा था कि वह जायज़ और नाजायज़ से जूझना था या मान-अपमान से ! अखबार में यह भी सूचना थी कि उसकी बेटी अपनी चार सहेलियों के साथ चन्द ही दिनों में देश को लौट रही थी। वह उसके लिए खुश-खबरी थी या शर्म में पड़कर सिर झुका

लेने की ?

इधर साल भर से हरनाम अपने इलाके में बने नए मन्दिर का प्रधान था जब उसके प्रधान बनाने की बात चली थी तो कुछ लोगों ने यह आपत्ति की थी कि मछली फंसाने वाले को मंदिर का प्रधान नहीं बनाया जा सकता। इस पर खुद पुजारी जी ने कहा था कि उसे पुजारी बनाने की बात नहीं की जा रही थी। उसके यह कह जाने पर कि प्रधान बनने का अधिकार तो उन सभी को होता है जो सभा के सदस्य हैं और मंदिर में पूजा-पाठ करने के अधिकारी हैं, उस प्रस्ताव को तत्काल मान लिया गया था। उसकी नियुक्ति हो जाने पर मंदिर के पुजारी ने कहा था।

—हरनाम महतो का इस गांव में छोटे-बड़े सभी इसलिए इतना सम्मान करते हैं क्योंकि इस गांव के हित जितने काम इन्होंने किए हैं उसे यहां के छोटे-बड़े सभी भली-भांति जानते हैं। इन जैसा ईमानदार और रहमदिल अब इस गांव में बहुत कम ही लोग रह गए हैं। आदमी की जीविका के साधन कुछ भी हो सकते हैं उससे उसके व्यक्तित्व में कोई असर नहीं होता। अभी पिछले दिनों इन्होंने जिस निर्भीकता के साथ इस इलाके में ज़ोर पकड़ रहे नशीली पदार्थों के धंधे रुकवाए उसे हम कभी नहीं भूल सकते। सैलानियों की बाढ़ में हमारे बहू-बेटियां जिस गलत रास्ते पर चल पड़ी थीं उसे भी बन्द करने में हरनाम महतों का ही सब से बड़ा हाथ है।

हरनाम को सभी कुछ एक दुखदाई परिहास सा प्रतीत हुआ। उसे लक्ष्मी के जीवित न होने का पहली बार एक संतोष सा हुआ, एक राहत सी हुई। अगर आज वह होती तो इस कदर कराह उठती कि तूफान भी तिलमिला उठता। उसने अपने जीवन में अपनी बेटी को कभी भी सोनिया नाम से नहीं पुकारा था। वैसे भी सोनिया का नाम सोनिया नहीं था। बचपन से ही पड़ोस के मिस्ये गास्तों ने उसे उस नाम से पुकारना शुरू किया था और सुनते ही सुनते पूरे गांव में वही उसका नाम बनकर रह गया था। सोनिया का नाम तो उसकी मां ने सुनन्दा रखा था पर उसे पुकारती थी दकतू बिटिया कह कर। हमेशा यही चाहती रह गई थी कि सोनिया बड़ी होकर डाक्टर बने। अपनी उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह मां स्वाजी कोटी में काम करके सोनिया की पढ़ाई के लिया पैसा जमा करती थी और हरनाम से कह बैठी थी कि दकतू बेटिया के उस खाते से एक भी पैसा लेने का अधिकार मां-बाप में से किसी को नहीं था।

लक्ष्मी की मृत्यु, का कठिनाई से साल भर हुआ होगा कि एक शाम सोनिया ने अपने बाप से कहा था कि वह कालेज जाना बन्द कर देगी। हरनाम ने अपनी बेटी की उस बात पर ध्यान नहीं दिया था लेकिन जब सचमुच ही उसने दूसरे ही सप्ताह बाद से पढ़ाई बन्द कर दी और कालेज जाने को तैयार नहीं हुई थी तो हरनाम के सारे सपने बिखर से गए। उनका अपना बचपन समुद्र किनारों ओर चट्टानों पर बिता था। उस चांदी जैसे चमचमाते सफ़ेद बालू पर घरौंदे बनाने से बड़ा आनन्द आता था। वह उन्हें घण्टों तक मस्ती के साथ

बनाते रहती और जब बढ़ते आते समन्दर के ज्वारभाटे उन्हें चकनाचूर कर जाते तो उन्हें बहुत दुख होता था। वह तो एक बार में एक ही और कठिनाई से दो-तीन घण्टों के बनाए घरौंदे की बात थी। तो भी हर बार उसे उसका दुख होता था। सोनिया ने तो एक ही बार में उसके बेशुमार घरौंदों को तोड़ दिया था—वे घरौंदे जिन्हें वह वर्षों से बनाते आ रहा था। हरनाम ने अपनी बेटी के दोनों कन्धों को अपने कठोर हाथों में लेते हुए कहा था।

—पढ़ना बन्द कर दोगी तो डाक्टर कैसे बनोगी ?

—मैं डाक्टर नहीं बनना चाहती।

—क्या बनना चाहती हो फिर ?

—मुझे नौकरी मिल रही है। मैं नौकरी करूंगी।

—इस उमर में ?

—मैं अठारह पार कर चुकी हूं।

—तुम पागल तो नहीं हो गई ?

—मुझे नए बने होटल में बहुत अच्छी तनख्वाह पर अच्छी नौकरी मिली है।

—अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह ! तुम क्या जानो अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह के बारे में।

—जो आप कमा पाते हैं उससे पांच गुना अधिक पैसे मिल रहे हैं मुझे होटल में रीशेपसनिष्ट का काम है। लड़कियां वर्षों कतार में खड़ी रहकर भी नहीं पाती।

—तो फिर तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मिल गई ?

—सुरेश उस होटल का सहायक मनैजर नियुक्त हुआ है। वही दे रहा है मुझे यह सुनहला अवसर।

हरनाम अपनी बेटी को एकटक देखता रहा गया था। यह सुरेश का झमेला फिर शुरू हो गया था। उसकी पत्नी जीवित थी तभी इस सुरेश ने अपनी हरकतें शुरू की थीं लक्ष्मी ने उसे घर आने से रोक लिया था और सोनिया को उसने न मिलने की कसम दे रखी थी।

सुरेश के साथ उसके सम्बन्ध फिर से शुरू हो जाने का हरनाम को बहुत दुख हुआ था और उससे भी अधिक दुख उसके पढ़ाई दौड़कर होटल में काम शुरू कर जाने का। उसने अपनी बेटी को बहुत मनाया पर वह मानी नहीं। अन्त में हरनाम ने अपनी बेटी से केवल इतना कहा था।

—तुमने बेटी, सिर्फ मेरे ही सपनों को नहीं तोड़ा बल्कि अपनी मां के भी। यह सुरेश जिसके बहकावे में तुम आ गई हो वह इस गांव के सब से धनी बाप का लड़का है पर वह जितना धनी है उससे दो गुना ज़लील है।

और पूरा एक वर्ष लगा था सोनिया को यह जानने-समझने में। उसका बाप समन्दर से लौटा था। अभी उसके कपड़े से बिसायंध गंध गई भी नहीं थी कि सोनिया उससे लिपट कर रोने लगी थी। अपने बाप के एक वर्ष पुराने वाक्य को सिसकियों के साथ दोहराया था।

—वह जितना धनी है उतना ज़लील भी।

यह बात तो हरनाम को तीन-चार दिन पहले ही मालूम हो गया था कि सुरेश की शादी इलाके की मंत्री की बेटी से होने जा रही थी। पूरे गांव भर की वही तो चर्चा थी इन तीन चार दिनों से। इसलिए हरनाम को आश्चर्य नहीं हुआ सोनिया से उस ब्याह की बात सुनकर। दुख भी नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह की बात के लिए बहुत पहले से तैयार था। दुख उसे इस बात का हुआ था कि सोनिया पेट से थी। उसे इस बात का भी दुख हुआ था कि उसी शाम मादाम जोसलीन उसके घर आई थी और हरनाम से बोली थी कि उसकी इज्ज़त इसी में है कि वह सोनिया की बात मान कर उसे उस बच्चे से रिहाई पा लेने दे। हरनाम को वह बात मान लेने में और भी अधिक दुख हुआ था। मादाम जोसलीन गाबी की मां थी। उसे हरनामे घर से भारी लगाव था। बोली थी। अभी यह बात केवल तीन व्यक्तियों तक ही सीमित है। अधिक देर का मतलब था ढिंढोरा पीट कर पूरे गांव को उसकी जानकारी दे बैठने का। हरनाम के लिए एक ओर अपनी बेटी के भविष्य तथा अपनी इज्ज़त का ख्याल था और दूसरी ओर एक निर्दोष नन्हीं सी जान की। पर उसे अपनी बेटी का भविष्य और अपनी इज्ज़त के सामने उस गुनाह को भूल जाना पड़ा था।

उसने जो कुछ किया था उसमें अपनी इज्ज़त से अधिक ख्याल उसे अपनी बेटी का था। साल भर पहले जब सोनिया यह ख्याल रखे बिना कि उसका बाप खाने पर बैठा था—उसके सामने यह बात कह डाली थी जिससे हरनाम को लगा था कि उसकी अपनी नाव समन्दर के बीच की किसी बहुत बड़ी चट्टान से टकरा कर चूर-चूर हो गई थी। तब भी उसे उस बात के लिए इज्ज़त को कम महत्व देते हुए हरनाम के अपने भीतर बेटी की खुशी का खयाल ही अधिक था। पर उसने उससे यह पूछा ज़रूर था कि क्या उससे उतनी दूर जाकर वह उसके बिना हर सकती थी। उसकी उस खामोशी में हां की गूंज थी। उसने उससे यह नहीं पूछा था कि उस अजनबी पर उसे इतना अधिक विश्वास कैसे हो चला था।

2249 HA/2000—9A

वह व्यक्ति स्विटजरलैण्ड का था। सारा कुछ पत्र व्यवहार के द्वार शुरू हुआ था। इस बात का पता तो हरनाम को बाद में चला था कि सारी बातों के पीछे कुछ दलाल लोग थे। साल भर में देश की कोई चालीस-पचास लड़कियों को उस चंगुल में फंसा लिया गया था। पहले पत्र व्यवहार फिर तस्वीरों के आदान-प्रदान और महीने भर से कम समय में उधर से बहुत सारे प्रलोभनों के साथ शादी के प्रस्ताव होते थे। गाबी ने समन्दर के बीच नाव को रोक अंकुश से अक्टोपस फंसाने के दौरान हरनाम से कहा था।

—मॉरिशस में लड़कों की कमी है क्या ? तुम उसे उन प्रलोभनों में आने से रोकते क्यों नहीं ?

—कैसे रोकूं ? जब छोटी थी तो माटी खाने या चूल्हे की ओर बढ़ने से रोक सकता था अब कैसे रोकूं ?

तीन महीने बाद फ्रेदेरीक ब्याह के लिए सर से पांव तक तैयार मॉरिशस पहुंच आया था। हरनाम के साथ वह दामाद की तर नहीं किसी दोस्त क तरह हाथ मिला कर यह ज़ाहिर किया था कि उससे मिलकर उसे बेहद खुशी हुई थी। उसकी फ्रेंच समझने में हरनाम को थोड़ी दिक्कत होती थी। जो वह नहीं समझ पाता था सोनिया उसे समझा देती थी। जो पन्द्रह दिन उसे मॉरिशस में रहने पड़े उनमें तीन दिन उसने हरनाम के घर में बिताए थे। वे शादी से पहले की तीन रातें थीं उसके बाद की चार रातें वह सोनिया के साथ होटल में बिताकर पांचवे दिन बिदाई के लिए हरनाम के सामने उपस्थित हो गया था। फ्रेदेरिक हरनाम की एक बात मानकर उसके एकदम झुके हुए सिर को थोड़ा सा ऊपर उठ आने का अवसर दे चुका था। वह सोनिया के साथ के अपने ब्याह की कुछ रश्मों को हिन्दू ब्याह पद्धति में मान लेने को तैयार हो गया था और मंदिर भी पहुंच गया था पुजारी जी से आशीर्वाद के लिए। हां यह दूसरी बात थी कि उसने वह आशीर्वाद पांव पर झुककर नहीं बल्कि पुजारी जी से हाथ मिलाकर हासिल किया था।

अपनी बेटी और दामाद को बिदाई देकर हरनाम सात दिन चारपाई नहीं दोड़ सका था। गांव के सभी लोग आ-आकर उसको धैर्य बंधा जाते। यह कह जाते कि बेटी तो यों भी अपने घर की कभी होती नहीं। वहां खुशी से रहेगी। देश छोड़ने के पूरे दो महीने बाद उसकी चिट्ठी आई थी। जिसमें उसने लिखा था कि वह बहुत खुश थी उस सुन्दर देश में। उसने साथ में उस सुन्दर देश की दो तस्वीरें भी भेजी थीं। हरनाम ने उन दो सुन्दर चित्रों में सोनिया को बहुत ढूंढा था पर उनमें उसे नहीं मिली थी। इसके बाद छह महीने उसके पत्र का प्रतीक्षा में हरनाम को वे दिन बड़े लम्बे प्रतीत हुए थे। उसके बाद जो चिट्ठी आई थी उसमें सोनिया ने न कोई खुशी जाहिर की थी और न ही कोई दुख। वह चिट्ठी हिंदी में थी और हरनाम ने उसे कई बार पढ़ा था उन वाक्यों में वह शब्द ढूंढ़ निकालने के लिए जिससे उसे इस बात का आश्वासन मिल जाता कि उसकी बेटी वहां खुश थी। इसके बाद तो उधर से कोई चिट्ठी आई ही नहीं।

2249 HA/2000—9B

आज 'वीक एण्ड' के पन्ने पर उसने उसके चित्र को देखा। उस चेहरे पर की उदासी को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी थी कि वह खुशहाली की तस्वीर नहीं थी। चन्दू ने जब अखबार पढ़कर उसे समझाना शुरू किया था तो हरनाम को लगा था कि इसे बेहतर तो यही था कि उसे उसकी खबर बिल्कुल ही न मिली होती। दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो उससे आदमी का सिर नहीं झुकता लेकिन अखबार की उन बातों ने तो उसके सिर को झुका दिया था। लेख का शीर्षक था—'स्विटजरलैण्ड में ब्याही मॉरिशसीय लड़कियों को वेश्या बनने की मजबूरी।

उस लेख से हरनाम यह जान सका था कि उस देश में शादी होकर गई मॉरिशस की तीस लड़कियों में उसकी अपनी इकलौती बेटी भी थी। जो आदमी उसे ब्याह कर ले गया था उसने उसक बेटी को भी उन दूसरी लड़कियों की तरह दो महीने पत्नी के रूप में रखा। फिर जिस तरह बाकी के पतियों ने उन्हें वेश्यालयों में जा छोड़ा था ठीक उसी तरह सोनिया से भी उसके सारे कपड़े, गहने यहां तक कि पासपोर्ट तक भी छीन कर उसे वेश्यालय के हवाले कर दिया थौ मॉरिशस के एक पत्रकार की तहकीकात के बाद ओर पड़ोसी देश के मॉरिशसीय उच्चायुक्त की सहायता से उन तीस लड़कियों में से पांच को उस चुगुल से छुड़ाया जा चुका था। उन्हें सरकारी खर्च पर मॉरिशस लौटाया जा रहा था। सोमवार की शाम के हवाई जहाज से वे पांचों अपने देश को लौट रही थी। पर मॉरिशस के स्वास्थ्य अधिकारियों को प्राप्त सूचनाओं के तेहत इस बात का डर था कि उन लड़कियों में से दो-तीन को यौन सम्बन्धी जानलेवा रोग लग चुका है इसी लिए मॉरिशस पहुंचकर उन पांचों को स्वास्थ्य विभाग के ओब्जरवेशन में सात दिन रहना होगा।

हरनाम के अपने भीतर से बेटी का मोह खंडित हो गया था। उसे अपनी पत्नी का मोह जकड़े हुए था। उसे चिन्ता थी उसकी आत्मा के जार-बे-जार होने की। दस दिन के भीतर देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार था। गांव की सभा की ओर से तय हुआ था कि उस अवसर पर मंदिर में प्रधान मंत्री, शिक्षा मन्त्री और कृषि मन्त्री, इन तीनों की उपस्थिति में हरनाम के सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए उसका भव्य स्वागत। गांव का मंदिर पूरे गांव के साथ एकदम पीछे छूट चुका था। अंधेरा फैलता ही गया था। तूफ़ान की गति बढ़ती ही गई थी। समुद्र में ज्वारभाटे ऊंचे उठते गए थे। एक बार गंगा स्नान के अवसर पर गांव के बड़े-बच्चों को नौका बिहार करा चुकने के बाद उसने गाबी को घर भेज दिया था और अपनी पत्नी के साथ अकेले नाव में घूमने निकल बैठा था। दो या तीन बार से अधिक उसकी नाव में नहीं चढ़ी थी। उस दिन भी हरनाम के जिद्द पर ही वह सूर्यास्त को कुछ अधिक करीब से देख आने को तैयार हो गई थी। उस दिन हरनाम नाव को डूबते सूर्य की सुनहली रोशनी के बीचोंबीच खे कर तट पर लौटा था। बीच में उसकी पत्नी ने उसे कहा था।

—तुमने देखा हमारे गांव में ज्यादा पत्नियां अपने पति से पहले मरती हैं।

—क्या मतलब ?

—हो सकता है कि मैं भी तुमसे पहले मरूं।

—तुम मुझसे ग्यारह साल छोटी हो।

—मौत उम्र देखकर बहुम कम आती है। मैं अगर तुमसे पहले मर गई तो तुम सोनिया को डाक्टर बनाना भूल न जाना। मेरे बाप के दिए जो दो बीघे खेत हैं, उसे बेच दोगे तो पूरा खर्च..।

—क्या बोलने लगी।

—तुम अगर मेरी बेटी को डाक्टर नहीं बना पाए तो मैं मर कर भी शान्ति नहीं पाऊंगी।

—तुम्हें मरने दूंगा तब तो मरोगी तुम।

हरनाम उस दिन कोई चार-पांच सौ लोगों को बिन एक पैसा किसी से लिए नाव में घुमा चुका था। इस बात से वह खुश था इसलिए मज़ाक करने की भी स्थिति में था।

—तुम अगर मुझसे पहले मर भी गई तो मैं इस नाव में तुम्हें ढूंढने निकल जाऊंगा। और तुम्हें मौत से छुड़ाकर ही लौटूंगा।

प्रलयंकर गति ले चुका था तूफ़ान। वर्षा भी मूसलाधार शुरू हो चुकी थी। ज्वारभाटे ऊंचे ही उठते गए। नाव में पानी भरता गया फिर भी हरनाम उसे आगे बढ़ाने की हर कोशिश करता रहा। उस घटाटोप अंधेरे और दहाड़ते समन्दर के बीच उसे इतना ज्ञान अवश्य था कि उसकी नाव क्षितिज की ओर ही बढ़ी जा रही थी। उसकी पत्नी की मृत्यु, पर जब सोनिया उससे पूछ बैठी थी कि उसकी मां मर कर कहां पहुंची होगी तो उसने कहा था।

—क्षितिज के उस पार।

संवादिता, ट्रियोलेट, मॉरीशस

पुस्तक-समीक्षा

I. **पुस्तक का नाम** : ज्योतिर्गमय (काव्य-संग्रह)
लेखिका : श्रीमती कान्ता शुक्ला
प्रकाशक : भारतीय ग्रन्थमाला, लखनऊ
प्राक्कथन : प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित
समीक्षा : डॉ. शशि तिवारी

'ज्योतिर्गमय' श्रीमती कान्ता शुक्ला का द्वितीय कविता संग्रह है, जिसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की उद्‌भावक सौ कविताएं संकलित की गई हैं। पिछली शताब्दी के अन्तिम दो-तीन दशकों में अतुकान्त कविताओं का बोलबाला रहा—विषय भी विविध रहे और अभिव्यक्ति-प्रकारों में भी नूतनता ने प्रश्रय लिया। किन्तु आत्मानुभूति और आत्मप्रगीति के स्वर को उजागर करने वाली कविताएं अपेक्षाकृत कम लिखी गईं। श्रीमती कान्ता शुक्ला का कविता संग्रह 'ज्योतिर्गमय' उसी कोटि की कविताओं की प्रस्तुति है। लेखिका की अन्तर्मुखी धार्मिक प्रवृत्ति उनके दीर्घकालिक सांसारिक अनुभवों से पुष्ट होकर कविता में सहज बह निकली है। अपनी बात में उन्होंने कहा है—

'लिख चुकी गाथा सुबह की
शाम लिखने जा रही हूं।
राह चलते थक गई
विश्राम लिखने जा रही हूं।
विविध रूपों में अनेकों
जाल में बनुती रही थी
और उस रंगीन सूली पर
सदा चढ़ती रही थी
उन प्रहारों के दुःख परिणाम लिखने जा रही हूं।

ईश्वर की सर्वव्याप्ति, नित्यता और सत्यता के संकेत ग्रहण करती हुई लेखिका मायिक जगत् की मिथ्या प्रतीति का मानो अनुभव करती हैं। ईश्वर को कभी भांतिपूर्वक पुकारती हैं तो कभी भौतिक प्रपञ्चों की निस्सारता की दुहाई देती हैं। कई कविताओं में स्वयं को सम्बोधित करना उनकी स्वगत संवेदनशीलता का निदर्शन है। 'दे दो वरदान', 'तमसो या जयोर्गिमय' करू विश्राम', 'जीवनमुक्त' आदि कविताओं में ऐसा दिखाई देता है कि कवयित्री चिन्तन में लीन होकर शब्दों पर बह रही हैं।

इस कविता संग्रह में दो खण्ड हैं—प्रथम 'नवकिरण' और द्वितीय 'प्रकाश की ओर'। इसके प्राक्कथन में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित

ने लिखा है, 'प्रकाश की ओर' नामक खण्ड में ऐसी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें भवबन्ध, अहम-तत्त्व, कालतत्त्व, अन्तरात्मा, मन, शान्ति, आशावृत्ति, अन्तःसमाधि, मृत्यु देवता आदि का विवेचन है। यह खण्ड दर्शन दिग्दर्शन से परिपूर्ण है। इसमें शिव तत्त्व की बड़ी गहन विवेचना हुई है। वस्तुतः उपासना पद्धति के भेद-प्रभेद में उनका कविमन नहीं रहा है, वे तो परम तत्त्व का आभास पाकर एक महासुख अथवा एक परमपूर्ण विश्राम का अनुभव कर रही हैं। यहां कविता मात्र कला नहीं है, बल्कि एक उद्‌गीथ है। कवयित्री ने जो आत्मप्रबोध किया है, वह जन-जन को सम्बोधित है। इन कविताओं में विशिष्ट कोटि की शुचिता है। ये तमसो मा ज्योतिर्गमय की अलख जगाती दिखाई देती हैं--

मन्दिर में प्रज्वलित दीप
हर रहा अन्धकार फैला रहा उजास
तैल और बाती उजाले की ओर
बढ़ने में साथी
कहीं से आ रहा सन्देश
छोड़ दे--तमस का परिवेश
हो जा अमृतमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय।

इस कविता संग्रह की रचनाओं के आस्वादन से हृदय में सात्विक भावों का संचार होता है। जीवन में उभरती निगुशा और विवशता की भावना क्षीण होती है। साहित्य और अध्यात्म को एकीकृत करने में समर्थ यह काव्यकृति स्वागतयोग्य है।

कविताओं में प्रतीकों के माध्यम से गहन भावों को व्यक्त करना स्वयं में काव्यसर्जना की एक विधा है। कवयित्री ने उसे बखूबी अपनाया है। भाषा सरल और सरस है। पुस्तक का कलेवर और आवरण आकर्षक है।

समीक्षक : रीडर, संस्कृत विभाग, मैत्रेयी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

II. स्वस्तिक की छांव में

II. पुस्तक का नाम : स्वस्तिक की छांव में
कवि : श्री कृष्ण अग्रवाल 'मंगल'
प्रकाशक : मंगल प्रस्थ 18, महेन्द्र श्रीमानी स्ट्रीट, कलकत्ता-700009
मूल्य : 60 रुपए
समीक्षा : डॉ. राजकुमारी शर्मा

'स्वास्तिक की छांव में' कवि श्री कृष्ण अग्रवाल 'मंगल' की द्वितीय काव्यकृति है। इससे पूर्व 1983 में उनकी 'चोर चरित चर्चा' नाम से एक काव्य कृति प्रकाशित हो चुकी है। 'आकाश अपना-अपना' काव्य संकलन में आपकी दस कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तो उनकी रचनाएं प्रकाशित होती ही रहती हैं। आकाशवाणी, कलकत्ता से उनकी रचनाओं का प्रसारण समय-समय पर होता रहता है।

मंगल जी की काव्य-कृति 'स्वस्तिक की छांव में' हर प्रकार के कल्याणकारी-पुष्पों की गन्ध समाहित है। स्वस्तिक का अर्थ ही मंगल कल्याण इत्यादि है। इसी कारण 'मंगल' जी की कई रचनाओं में इसका भाव देखने को मिलता है। पुस्तक की काव्यमय भूमिका में डॉ. अवस्थी जी लिखते हैं जो 'मंगल' जी के हृदय तथा काव्य-संग्रह का परिचय है।

यदि हम जीना चाहते आदर्शों के गांव में
तो आओ हम सब रमें शुभ 'स्वस्तिक की छांव में'।।

'मंगल' जी के काव्य-संग्रह में यद्यपि अधिकतर रचनाएं अतुकान्त हैं लेकिन भावों की प्रगाढ़ता के कारण यह कमी नहीं खलती। विषयों की विविधता उनको अपनी अलग पहचान देती है। मंगल जी की कविताएं लोक साहित्य के अति निकट हैं। वे जन-जन के कवि हैं। उनकी कविताओं में पाठकों एवं श्रोताओं को बांधे रखने की क्षमता है। ये समयकालीन भी है और सामयिक भी। कवि पलायनवादी नहीं हैं। वे जीवन के प्रति लिखते हैं "नहीं, मृत्यु तो नहीं चाहता, चाहता तो जीवन ही हूं। भले ही मौ जगह, किसी और को मिले।" (पृष्ठ 25)

आज मानव अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। इसी बात को कवि ने अपनी कविता हिंसा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। परन्तु स्वयं 'मंगल' जी ऐसे नहीं हैं। वे दुख तथा पीड़ाओं को देखकर संसार से पलायन की बात नहीं करते—वरन जीवन के प्रति आशावान है।

कवि तन्त्र, मन्त्र, नक्षत्र द्वारा विध्वंस करने की बातों को भी नकार देता है, लिखता है—

जब तुम्हारे मन में ज्ञान गृह गठित है,
तो कोई भी नक्षत्र तुम्हारा कुछ बिगार नहीं सकता।
और तुम्हारे कर, कर्म में तंत्र त्वरित है
तो कोई भी मंत्र तुम्हें मार नहीं सकता।"

(पृष्ठ-9)

इतना ही नहीं वे कहते हैं जब स्वयं का विवेक जागृत होता है, तब मनुष्य विवेकानन्द होता है—आप भी देखें—

क्योंकि जब स्वयं का विवेक जागृत होता है
तो मानव विवेकानन्द होता है।
आत्मा में उतरकर उत्तम आनन्द होता है
अपरा ओ परा विद्या में पारंगत परमानन्द होता है (पृष्ठ-9)

कवि ने पहले से चली आ रही मान्यता धारणा कि लक्ष्मी सरस्वती कभी साथ नहीं रहती को तोड़ा है। दोनों को एक साथ बिठाया है। इतना ही नहीं केवल सरस्वती का आह्वान कर, लक्ष्मी को स्वतः ही आने का बाध्य किया है। यह कमाल कवि ने अपनी कविता 'समभाव' (पृष्ठ 10) में किया है।

अपनी कविता "मां सरस्वती सदा सदृश्य है में कवि ने लिखा है कि कि माना तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर—सरस्वती अदृश्य है—परन्तु मंगल जी का कहना है कि कवि की कविता में मां सरस्वती सदा सदृश्य है। आप भी अवलोकन करें—

माना कि गंगा और जमुना के संगम में,
सरस्वती अदृश्य है।
परन्तु कवि की कविता में
मां सरस्वती सदा सदृश्य है।"

(पृष्ठ-16)

'मंगल' जी ने भूत, भविष्य तथा वर्तमान के बारे में भी अपने विचार बड़े सशक्त ढंग से अभिव्यक्ति किए हैं। वे लिखते हैं—

"भूत जो बीत गया, उसके लिए कभी सोचता नहीं।
वर्तमान मेरे सामने है, उसे कहीं खोजता नहीं।

भविष्य के लिये सदा जागरूक हूं
इसलिए कभी ऊंघता नहीं।
तीनों ही काल की सुगंध, मेरे आंगन में महकती है,
पर मैं कभी सूंघता नहीं।

(पृष्ठ-21)

हर्ष, उल्लास, अनुराग, करुणा एवं संवेदना के क्षणों को 'मंगल' जी ने बड़े मनोयोग से अपनी कविताओं में समेटा है। मंगल जी सहज-भाषा, कुशल शब्द-योजना, सुकोमल पदावली पाठकों पर अवश्य अपना प्रभाव छोड़ेगी। आम जनता की सेहत के लिए टानिक का कार्य करेगी—ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं सहित...।

समीक्षा : सी/डी-30 पुराना कवि नगर, गाजियाबाद-201001

III. आर्थिक विषमताएं–एक दृष्टिकोण

डॉ. (क.) संतोष अग्रवाल

नोबल पुरस्कार प्राप्त श्री अमर्त्य सेन की पुस्तक 'आर्थिक विषताएं' एक अनूठी रचना है। यह पुस्तक पूर्व प्रकाशित ग्रन्थ 'कलैक्टिव चौयस तथा सोशल वैलफ़ेयर' में प्रगट किए गए विचारों का मन्थन है। इस पुस्तक 'आर्थिक विषमताओं' पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लेखक ने आम–वितरण पर विचार किया है न कि सम्पत्ति–वितरण पर। आर्थिक–विषमताओं का महत्त्व तो जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिबिम्बित होता है। आपका कहना है कि यदि समाज के विभिन्न–वर्गों में तनाव बढ़ता है तो विषमताएं भी बढ़ती हैं। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता लगेगा कि इन विषमताओं में समय के अन्तराल के साथ परिवर्तन आता रहा है जिनका तत्कालीन आर्थिक राजनैतिक स्थितियों एवं–नीतियों से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए तभी हम तथ्य क्या है जान सकते हैं।

समाज के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में अर्थ तथा उसकी उपयोगिता का विशेष महत्व है। सच पूछा जाए तो वैयक्तिक तथा सामाजिक सम्बन्धों के हर रेखा–बिन्दु पर अर्थ तथा उसकी उपयोगिता का सिद्धान्त वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करता है। अतः आर्थिक विषमताएं हमारे सन्मुख आती रहती हैं जिनके बहुत से रूप हैं। जब अनायास ही इनमें कुछ भी साम्य स्थापित हो जाता है तो एक स्पष्ट दिशा मिल जाती है किन्तु जब इन विषमताओं में विरोधाभास होता है तब विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

आर्थिक विषमताओं को मापने के दो तरीके लेखक ने बताए हैं–

(i) निष्पक्ष–भाव से मापन करना–जैसे दो व्यक्तियों में शत–प्रतिशत का पचास प्रतिशत प्रत्येक को देना।

(ii) समाज के कल्याण का मापन करते हुए विषमताओं का मूल्यांकन करना। क्योंकि आर्थिक–विषमताएं जितनी अधिक होगी उतनी ही सामाजिक कल्याण की मापन रेखा छोटी हो जाएगी।

श्री सेन ने सैद्धान्तिक धरातल पर आर्थिक–विषमता के सभी पक्षों की विवेचना की है। आपने गणित तथा साख्यि का आश्रय लेते हुए इन समग्र विचारों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए विश्व को चौंका दिया है। इस पुस्तक में प्रसिद्ध रैडक्लिफ़ व्याख्यान हैं जो अपने वास्तविक विश्वविद्यालय में 1972 में दिए थे। इन व्याख्यानों को सुन कर बुद्धि वर्ग में एक नई चेतना, नई स्फूर्ति जाग उठी थी तथा सोच का एक नया ढंग उन्हें मिल गया था। यह अर्थशास्त्र की विचारधारा को मानवीय–संबंधों से जोड़ने का नवीन प्रयास है। यह कहना कि क्योंकि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं से अधिक

हैं अतः उसे अधिक आय मिलनी चाहिए असंगत हैं। क्योंकि हो सकता है कि अधिक आवश्यकताओं वाला व्यक्ति रोगी हो जिसे अपने इलाज के लिए अधिक धन कम करना पड़ता हो अथवा निरर्थक पैसा खर्च करने का वह आदी हो। इस प्रकार के अनेक लोग देश में होंगे। उनकी आवश्यकताओं की ध्यान में रख कर ही वेतन का निर्णय करना प्रमुख–उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि आवश्यकताओं का तुलनात्मक–आकलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्रियों को नकारात्मक दृष्टिकोण न रख कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तभी समाज में न्याय हो सकेगा और देश भी विकासोन्मुखी होगा।

लेखक ने 'ऍरो' की चिकित्सा–बीमा को अर्थशास्त्र से जोड़ा है तथा आवश्यकताओं की विभिन्नताओं के अन्तर पर भी विचार किया है। यदि बीमा की धन–राशि किसी को अधिक मिलती है और किसी को कम तो इसका कारण है कि अमुक व्यक्ति ने बीमा की किश्तें अधिक जमा कराई होंगी। सच तो यह है कि जितना हम समाज को देते हैं उतना ही वह हमें देता है। यहीं वहीं श्री सेन ने इन विषमताओं को समान धरातल पर किस प्रकार लाया जाए, इस पर बौद्धिक–मनन करते हुए कहा है कि हमें न केवल वैयक्तिक–योग्यताओं को परखना चाहिए बल्कि वास्तविक आय तथा कीमतों की अनिश्चितता को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि केवल औसत–आय पर ही दृष्टि डालेंगे तो हम अपूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। ऐसी स्थिति जनता को विद्रोह करने पर मजबूर कर देगी ओर इसी से हमें बचना है।

श्री अमर्त्य सेन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने अर्थशास्त्र के सभी विद्वानों के विचारों की समीचीन व्याख्या करते हुए अपना विचार प्रतिपादन किया है। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण कि रम को श्रेणियों में विभाजित नहीं करना चाहिए प्रस्तुत करते हुए श्री सेन ने कहा कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलना चाहिए तभी बुर्जुआ–अधिकारों के संकुचित क्षितिज को पार कर सकते हैं। शोषण का विश्लेषण भी आपने किया। आपका कहना है कि श्रम का पूरा फल यदि श्रमिक को न मिल कर उसके मालिक की तिजोरियों में चला जाता है तो यही शोषण है। परिणामतः आर्थिक–विषमताओं को जन्म देने वाले इस शोषण को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम विजयपथ पर नहीं बढ़ सकते।

अवसरों की समानता पर विचार करते हुए आपने कहा कि अवसरों की समानता की पात्रता से जुड़ी हुई हैं पात्रता की संकल्पना पर विचार करते हुए लेखक ने कहा है कि आय के वितरण सें जुड़ी अनेक प्रतिस्थापनाओं में पात्रता निहित रूप से रहती है। फिर भी योग्यता तथा उत्पादिता में अन्तर तो रहता ही है। भूमि के टुकड़े उपजा हो सकते हैं योग्य नहीं। मशीनें योग्य नहीं होतीं अतः योग्यता का विचार तन्त्र प्रत्यक्षतः सम्पत्ति से प्राप्त आय पर लागू नहीं होता। योग्यता पर विचार करते हुए दो स्थितियां हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। प्रथम, किन्हीं अवस्थाओं में योग्यता के प्रयोग के अवसर ही नहीं आते ओर दूसरे प्रशिक्षण, शिक्षण एवं सीखने के पश्चात् जो कार्य–कुशलता प्राप्त होती है उसमें भी भेद संभव हो सकते हैं। अतः योग्यता के अनुरूप पारिश्रमिक की व्यवस्था करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

दक्षता के आधार पर भी योग्यता के प्रतिफल तय करना कठिन हो जाता है। प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक योग्यताओं को मान देना चाहिए अथवा अभिगृहीत दक्षताओं के आधार पर योग्यताओं को पुरस्कृत करना चाहिए। यह टकराव सम्भवतः हमेशा बना रहेगा जिसे दूर करने के लिए लेखक ने सुझाव दिया है कि पात्रता की अपेक्षा आवश्यकताओं के विश्लेषण पर अधिक ध्यान देना उचित होगा। लेखक ने वैयक्तिक तुलनाओं के लिए एक व्यापक विश्लेषण तन्त्र का प्रयोग किया है। विषमता के विचार की अपूर्णता एवं उसमें आदर्शवादी सम्मिश्रण के कारण विषमता का स्वरूप विवेचन का विषय रहा है।

श्री सेन ने चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति के आर्थिक मूल आधारों का अध्ययन करने का सुझाव देते हुए कहा है कि उसमें बार–बार भुगतान के वैकल्पिक स्वरूप एवं काम करने की प्रेरणा के प्रश्न उठते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि 'सर्वहारा की महान सांस्कृतिक क्रान्ति' का उद्देश्य जन–जन के चिन्तन में इस क्रान्ति के द्वारा ऐसा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है जिसमें आर्थिक बदलाव मुख्य रहे। यह हमारे देश की उत्पादन–शक्तियों के विकास की सशक्त प्रेरणा शक्ति है। "सांस्कृतिक क्रान्ति का आग्रह है नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक भौतिक विकास के लिए शिक्षण हो जिससे श्रमिकों में समाजवादी संचेतना एवं संस्कृति का संचार हो सके।"

श्री सेन का आर्थिक दर्शन जो आर्थिक विषमताओं पर आधारित है जीवन के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ता है। यह न केवल हमारे देश के लिए वरन् पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है जिसे सम्पूर्ण विद्वान वर्ग ने स्वीकार किया है। दर्शन का यह सिद्धान्त कि व्यक्ति ही समष्टि का निर्माण करता है, यह प्रतिवादित करता है कि उसे उसकी उपयोगिता के आधार पर परखना चाहिए। उसके महत्व को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना मानव–समाज की बहुत बड़ी हार होगी क्योंकि इससे आर्थिक विषमताओं में बढ़ोतरी होगी जो अन्ततः आगे बढ़ने से हमें रोकेगी। अतः वैयक्तिक योग्यता का हनन न करना ही आर्थिक–विषमताओं को कम करना होगा।

समीक्षक : बी-5/517, एकता गार्डन्स, (मदर डेयरी के पास) दिल्ली-110092

III. इक्कीसवीं सदी का भारत

IV. पुस्तक का नाम	:	'इक्कीसवीं सदी का भारत' नव निर्माण की रूप रेखा
लेखक	:	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वाई सुन्दर राजन
अनुवाद	:	हरिमोहन शर्मा
प्रकाशक	:	राजपाल एंड सन्ज़, कश्मीरी गेट–दिल्ली प्र.सं. 304,
मूल्य	:	200 रु.
समीक्षा	:	डॉ. परमानंद पांचाल

पुस्तक भारत में न्यूक्लियर बम के निर्माता सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के ग्रन्थ 'इंडिया 2020 : ए विज़न फॉर दि न्यू मिलेनियम' का हिंदी अनुवाद है। श्री यज्ञ स्वामी सुंदर राजन के सहयोग से लिखी गई इस पुस्तक में भारत अगले बीस वर्षों में किस प्रकार विश्व के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध पांच राष्ट्रों में सम्मिलित हो सकता है–उसकी परिकल्पना तथा कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना में आवश्यक सांख्यकीय आंकड़ों, आरेखों और तालिकाओं की सहायता से सन् 2020 तक भारत के सर्वांगीण विकास की रूप–रेखा प्रस्तुत करते हुए यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देश जिस प्रकार कार्य–योजनाएं बनाकर निर्माण का कार्य करते हैं उसी प्रकार भारत भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में विकास की नई उंचाइयां, नए आयाम छू सकता है। विद्वान लेखक दृढ़ विश्वास के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सन् 2020 में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी तक पहुंच सकने में पूर्ण समर्थ है।'

पुस्तक में विषय सामग्री का विवेचन 12 अध्यायों में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। भूमिका में स्पष्ट किया गया है कि 'दि टैक्नॉलॉजी इन्फार्मेशन, फार कास्टिंग एंड एसेसमेंट कौंसिल (टाइफैक) में सन 2000 तक भारत के लिए एक तकनीकी योजना निर्धारित करने का कार्यक्रम बनाया गया था, उसके मुद्दों से भी विषय के विवेचन में आधारभूत सामग्री और उपयोगी तथ्य प्राप्त करने में सहायता मिली है। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के आरंभ में किसी महापुरुष या धर्मग्रन्थ का उद्धरण देकर विषय को सार्थक रूप देने का प्रयास किया गया है। प्रथम अध्याय में इस संभावना विस्तार से विचार किया गया है कि क्या भारत विकसित देश बन सकेगा ? आज़ादी के समय हिन्दुस्तानियों के मन में देश के लिए मर मिटने की जो ललक थी, तमन्ना थी, वह पचास वर्षों के बाद अब ग़ायब हो गई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब हिन्दुस्तानियों को सुरक्षित और सुखद 'वर्तमान' तो मिले ही, बेहतर 'भविष्य' भी मिले। हमें ऐसे ही विकसित भारत के सपनों को साकार करना है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है लेखक का यह मानना बिलकुल सही हे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुझे अब महज़ सुरक्षा विभाग से जुड़े मुझे नहीं रह गए हैं बल्कि वाणिज्य, व्यापार, पूंजी–निवेश

जैसे मुझे ज्ञान व कौशल के आधार के सृजन और उपयोग के मुझे से भी जड़े हुए हैं। दूसरे देशों की सामरिक महत्व की प्रणालियों का आयात करके हम हमेशा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने के आदी हो जाएंगे। इसलिए हमें इस दिशा में आत्मनिर्भर होना होगा। और निजी प्रौद्योगिकियों को लगातार विकसित करना होगा, क्योंकि विकसित देश कई प्रकार की प्रौद्योगिकियों को भारत जैसे विकासशील देशों की पहुंच से बाहर रख रहे हैं। दूसरे अध्याय में अमेरिका, यूरोप, मलेशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इज़राइल द्वारा प्रगति के विवरण दिए गए हैं।

सन् 2020 के लिए तकनीकी परिकल्पना के अन्तर्गत भारत की मूल क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है। देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का सहारा लेना होगा। इनमें सबसे उपयोगी प्रौद्योगिकी वह होगी जो हमारा परिचय 'ट्रांसजैनिक' अर्थात् ऐसे पौधों से जो मानवकृत हैं, कराएगी और इच्छित किस्म की 'जीन' को लक्षित पौधे में अंतरिक्ष करने में समर्थ होगी। अनाज, दूध और फल तथा सब्जियों के उत्पादन और भंडारण के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य–योजनाएं बनानी होंगी।

सौभाग्य से भारत में उत्कृष्ट श्रेणी की धातुओं के भंडार हैं लौह, कच्चा मैगनीज, टिटेनियम तथा बेरीलियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास योग्य और दक्ष लोगों की भी कमी नहीं है। रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हमारे पास जैव–स्रोतों का बाहुल्य है। यदि हम इन क्षमताओं का लाभ नहीं उठाते और पश्चिमी देशों का मुंह ताकते रहेंगे तो विश्व के विकसित देश हमारे जैव–वैविध्य का शोषण अपने हित में करते रहेंगे। हिमालय में मिलने वाले औषधीय पेड़–पौधों का उपयो हम वाणिज्यिक रूप में कर सकते हैं।

लेखक का मानना है कि 'यदि हम उन्नत और प्रगत किस्म के सॉफ्टवेयरों का निर्माण अपनी निराली शैली में कर सकें तो इस बाज की प्रबल संभावनाएं हैं कि हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। सेवा–क्षेत्र में सूचना–प्रौद्योगिकी (इन्फोटैक) की भूमिका बढ़ती जा रही है। इससे हमारी सेवा–प्रणाली का परिदृश्य पूर्ण रूप से बदल जाएगा।

नौवें अध्याय में 'शक्ति संवर्धक उद्योग' के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी योजनाएं जैसे–अंतरिक्ष योजना, परमाणु योजना, दोहरे उपयोगों की प्रौद्योगिकी, सिस्टम इंजीनियरिंग, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, लाइट कॉम्बैट एयर क्राफ्ट, प्रगत लेन्सर, क्रायौजैनिक इंजिन, अति विमान, न्यूक्लीय विस्तार तथा सामरिक महत्व के उद्योगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की रूप रेखा भी एक पृथक अध्याय 10 में प्रस्तुत की गई है। परिकल्पना की सफलता के लिए अवसर संरचनाओं में निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया गया है।

अंतिम अध्याय में परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए सभी घटकों की भूमिकाएं निर्धारित की गई है कि कौन क्या योगदान दे सकता है, विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन क्या योगदान दे सकता है, इसे एक अपील और प्रार्थना के रूप में सारे देश के सामने रखा गया है। सरकारी मन्त्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शोध और प्रयोग शालाओं, उच्च अध्ययन की संस्थाओं, निजी क्षेत्रों लघु उद्योग क्षेत्रों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, गैर–सरकारी संस्थाओं, मीडिया और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों जैसे डॉक्टर शिक्षक, बैंकर तथा प्रशासक आदि की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसकी रूप–रेखा प्रस्तुत की गई है। मीडिया का रोल भी महत्वपूर्ण है। उन्हें भारत की उपलब्धियों का प्रचार करना चाहिए, भले ही वे कम हों। लेखक का विचार है कि हमें सरकारी ढांचे को काफी कम करना होगा। इज़ारेदारियों में बहुत ज्यादा कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार इस परिकल्पना के अनुसार मेहनत से काम करने से अगले बीस वर्षों में हम संसार के पांच विकसित देशों में शामिल हो सकते हैं एक अरब भारतीय इस राष्ट्रीय रूपांतरण में हमारे संसाधन हैं।

यह पुस्तक निश्चय ही राष्ट्रीय महत्व का एक उपयोगी दस्तावेज़ है जो न केवल अर्थशास्त्र के अध्येताओं के लिए अपितु देशों के भविष्य के प्रति चिंतित प्रत्येक भारतीय के लिए पठनीय है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होने पर भी भाषा सरल, सहज और सुस्पष्ट है। कहीं–कहीं पारिभाषिक शब्दों के कारण क्लिष्टता का आभास होने लगता है, किंतु इससे विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आती। पुस्तक की साज–सज्जा सुंदर और आकर्षक है। मुद्रण त्रुटि रहित और सुस्पष्ट है।

232ए, पाकेट-I, मयूर विहार, फेज़-1, दिल्ली-1100091

MGIPRRND—2249 HA/2000—3000